खण्ड-160, अंक-2
मंगलवार, 1 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(22 नवम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 160 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३७)

अक्षयवर सिंह,श्री
अजीज इमाम,श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा,श्री
अनन्तस्वरूप सिंह,श्री
अमृतनाथ मिश्र,श्री
अवधेशचन्द्र सिंह,श्री
अशरफ़ अली खां ,श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन ,श्री
इस्तफ़ा हुसैन ,श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्ने गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद, विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पान्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री

चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव,श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा ,श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुहनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री

भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पान्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल ,श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ,श्री
महीलाल ,श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़ , श्री
मुहम्मद इब्राहीम ,श्री हाफ़िज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी ,श्रीमती
रघुनाथप्रसाद ,श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव,श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह,राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्रामसिंह,श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल ,श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जमींदारी मुआवजे की किस्तें वसूल करने में इन्कम टैक्स इक्जेम्पशन सर्टिफिकेट के कारण अड़चनें

**१— श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जमींदारी मुआवजे की बांड की किस्तें वसूल करने के लिये इन्कम टैक्स क्लियरेंन्स सर्टिफिकेट्स (Income-tax clearance Certificates) हासिल करने में बड़ी दुशवारियां पेश आ रहीं हैं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जमींदारी मुआवजे के बांडों की किस्तें वसूल करने के लिये Income-tax clearance certificate नहीं लेना पड़ता बल्कि Income-tax exemption certificate लेना पड़ता है । इसके हासिल करने में कुछ दिक्कतें जरूर पेश आती हैं ।

**२—श्री मुहम्मद तकी हादी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करेगी कि इनकम टैक्स के बाकी दारों की एक-एक फेहरिस्त हर तहसील में भेज दे ताकि हर व्यक्ति को इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत न रहे ?

श्री चरणसिंह—माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है उससे Income-tax exemption certificate के प्राप्त करने में कोई आसानी नहीं होगी । इनकम टैक्स केन्द्रीय सरकार का विषय है । राज्य सरकार इस सिलसिले में बहुत कुछ लिखापढ़ी केन्द्रीय सरकार से कर चुकी है । केन्द्रीय सरकार ही इसके मुताल्लिक नियम बना सकती है ।

तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में टेस्ट वर्क चलाने की आवश्यकता

**३—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में भूखमरी की आशंका है जिसके लिये तहसील से टेस्टवर्क के लिये ११/२ लाख रुपये की मांग की गई है ?

श्री चरणसिंह—गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में भुखमरी की कोई आशंका नहीं है । इस जिले से टेस्ट वर्क्स के लिये कोई मांग अभी तक सरकार के पास नहीं आई है ।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार इस बात की इनक्वायरी करवाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के लिये डेढ़ लाख की मांग की थी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । कोई ऐसी मांग सरकार से नहीं की गयी । जिलाधीश ने तहसीलदार से यह पूछा था कि टेस्टवर्क्स की जरुरत है या नहीं । उन्होंने एक लाख २० हजार रुपये की स्कीम भेजी । लेकिन साथ ही लिख दिया कि वहां पी० डब्लू डी० के जो वर्क्स हैं उन ही पर लेबर नहीं आ रही है, इसलिये टेस्ट वर्क्स पर क्या आयेगी ।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में औडिहार किराकत रोड पर चार-पांच रुपये हजार पर जनता ने मिट्टी का काम किया है जब कि पी० डब्लू डी० का रेट १८ रुपया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं, केवल सूचना है । इसके बारे में बहस दफ्तर में हो जाय तो ज्यादा अच्छा है ।

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३–५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[१५ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न १–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६–७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

गंगा नदी पर गढ़मुक्तेश्वर में पुल बनाने तथा हिण्डन पर गाजियाबाद में पुल चौड़ा करने की आवश्यकता

*८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी पर गढ़मुक्तेश्वर पर बनने वाले पुल तथा हिन्ड नदी पर गाजियाबाद के पुल को चौड़ा किये जाने की योजना में अब तक क्या-क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)— (अ) गंगा नदी पर पुल का आगणन तैयार किया जा चुका है और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा गया है, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर पुल निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा। इस पुल की मेरठ की तरफ की अप्रोच रोड का आगणन स्वीकृत हो चुका है और उस पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। मुरादाबाद की तरफ की अप्रोच रोड का आगणन केन्द्रीय सरकार ने अभी स्वीकृत नहीं किया है परन्तु उसके लिये भूमि प्राप्त करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ब) हिन्डन नदी को चौड़ा करने के कार्य का आगणन स्वीकृत किया जा चुका है और इसके लिये टेन्डर मांगे गये हैं। टेन्डर स्वीकृत होने के बाद पुल पर कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या निर्माण मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को गढ़मुक्तेश्वर पर जो गंगा जी का पुल है उसके कागजात कब भेजे गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बिल्कुल सही तिथि देने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री रामचन्द्र विकल —हिंडन नदी के पुल का टेंडर कब तक सरकार द्वारा स्वीकृत होने की आशा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहुत शीघ्र ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गढ़मुक्तेश्वर पर जो पुल बन रहा है यह रेल के पुल से सम्बन्धित है या जहां पर नावों का पुल है वहां बनाया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, रेल के पुल से सम्बन्धित नहीं है बल्कि रेल के पुल से नीचे की तरफ है ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर का पुल कितने दिनों में तैयार हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे खयाल से अभी उसमें दो वर्ष का समय लग जायगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर के पुल पर कितने रुपये का अनुमानित व्यय है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---पुल के निर्माण का आगणन ६५·६७ लाख रुपया है जो उसकी ऐप्रोच रोड्स आदि हैं उसका अलग है ।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास गढ़मुक्तेश्वर की जनता के इस प्रकार के आवेदन --पत्र आये हैं कि यदि पुल जहां नहर का पुल है वहां न बनाया जाय तो गढ़मुक्तेश्वर की आबादी बर्बाद हो जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, ऐसे आवेदन-पत्र आये थे । किन्तु यह बात निर्मूल पायी गयी ।

*६-१०---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--- [६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११-१२---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[२० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३-१५---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[हटा दिया गया ।]

*१७-१८---**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)---[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१९-२० ---**श्री जगदीशसरन** (जिला बरेली)---[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

अकबरपुर तहसील में टोंस नदी का पानी निकालने का विचार

*२१---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री को सन् १९५३ में यह सुझाव दिया गया था कि फैजाबाद जिले की अकबर पुर तहसील में टोंस नदी की बाढ़ से उन क्षेत्रों की रक्षा के लिये टोंस नदी का बाढ़ का पानी नहर द्वारा थिरुआ नदी में ले जाकर घाघरा में बहा दिया जाय ? यदि हां, तो उस सुझाव पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इस सुझाव के सम्बन्ध में कोई सूचना सिंचाई विभाग में उपलब्ध नहीं है अतः इस सुझाव पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस सुझाव पर अब विचार किया जायेगा ।

जौनपुर को बाढ़ से बचाने के लिये दहीरपुर नाले की खुदाई की आवश्यकता

*२२---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार का विचार जौनपुर में गोमती के दहीपुर के नाले को, शहर की बाढ़ से रक्षा करने की दृष्टि से, फिर से गहरा करने का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जौनपुर शहर के समीप दहीरपुर नाले द्वारा पानी के निकास के मार्ग की शीघ्र जांच-पड़ताल कराने का इरादा सरकार कर चुकी है। जांच की रिपोर्ट आने पर ही कुछ निश्चय किया जा सकेगा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार ने जांच-पड़ताल कराने का आदेश जारी कर दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, आदेश तो उसी वक्त जारी करा दिये थे जब मैं जौनपुर गया हुआ था जब वह बाढ़ में डूबा हुआ था।

जौनपुर जिले में बन्धों और बन्धियों की आवश्यकता

*२३---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कहां-कहां बांध अथवा बन्धियां बनाई गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में किसी भी बन्ध अथवा बन्धियों का निर्माण नहीं हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को पता है कि जौनपुर में बहुत से बंध और बंधियों की आवश्यकता है और इसको देखते हुये पंचवर्षीय योजना में कुछ बन्धियों के बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आवश्यकता किस विचार से ? वहां जो प्रबन्ध हो रहा है उसमें बहुत से नलकूप बन रहे हैं और नहर भी निकल रही है, जौनपुर बांच और मड़ियाहूं बांच। इसके अलावा अगर माननीय सदस्य बांध, बन्धियों के सम्बन्ध में सुझाव दें तो अवश्य सरकार विचार करेगी।

*२४-२६---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---(अनुपस्थित)---

[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बिजनौर जिलान्तर्गत नजीबाबाद व बढ़ापुर परगनों में सिंचाई के साधनों की कमी

*२७---**श्री रतनलाल जैन** (जिला बिजनौर)---क्या सरकार को विदित है कि बिजनौर जिले के अन्तर्गत नजीबाबाद व बढ़ापुर परगने में आबपाशी का कोई साधन नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस समय परगना बढ़ापुर, तहसील नगीना में सिंचाई का कोई सरकारी साधन नहीं है।

नजीबाबाद तहसील में १२ सरकारी नलकूप बने हुये हैं।

*२८---**श्री रतनलाल जैन**---क्या बिजनौर जिला नियोजन समिति ने इस प्रस्ताव के अनुसार कि आगामी पंचवर्षीय योजना में जिले के उन भागों में विशेष कर नलकूप बनाये जावें जहां अब तक आबपाशी का कोई साधन नहीं है, नजीबाबाद व बढ़ापुर परगनों में नलकूप बनाने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कितने ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बढ़ापुर परगने में ७ तथा नजीबाबाद तहसील में ४० नलकूप बनाने का प्रस्ताव है।

श्री रतनलाल जैन---माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि नजीबाबाद परगने में कितने नल-कूप बनाने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उत्तर में तो कहा गया कि नजीबाबाद में ४० नलकूप बनाने का प्रस्ताव है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाने वाले हैं। तो जब कोई कुआं बनेगा तो सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में बनेगा और उस समय जब स्थितिकरण होगा तब ठीक-ठीक बताया जा सकेगा।

श्री रतनलाल जैन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन प्रस्तावित नलकूपों की संख्या निर्धारित कर दी गयी है? यदि हां, तो कहां-कहां? और नहीं तो कब तक की जा सकेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, अभी नहीं की गई है।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नजीबाबाद तहसील में कोई एस्पलेरेटरी ट्यूबवेल बन रहे हैं और जब वे ४० ट्यूबवेल बन जायंगे, उनके बाद में बनेंगे या उससे पहले?

श्री कमलापति त्रिपाठी--- ये कुएं तो अगली पंचवर्षीय योजना में बनेंगे। बिजनौर के लिये कुल ३० शायद कुएं हैं। वह तो इसी वक्त बनने वाले हैं।

श्री रतनलाल जैन---माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि बढ़ापुर परगने में प्रस्तावित रामगंगा डैम से कोई नहर निकालने का वह विचार रखते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये तो नोटिस चाहिये कि रामगंगा डैम से नहर बढ़ापुर में जायगी या नहीं।

बौद्ध धर्म सम्बन्धी स्थानों के पुनर्निर्माणार्थ राज्य सरकार का व्यय

*२९---**श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध धर्म संबंधी स्थानों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना उसके मशविरे से बनाई है? यदि हां, तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना रुपया खर्च किया जायेगा?

सूचना मंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---महात्मा बुद्ध की २५०० वीं परिनिर्माण तिथि के अवसर पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की सलाह से बौद्ध धर्म से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश में स्थित स्थानों के विकास के लिये तथा समारोह की अवधि में यात्रियों के ठहरने और उनकी सुविधा के लिये जल, विद्युत आदि की व्यवस्था करने के लिये एक योजना बनायी है। जिस पर राज्य सरकार १२,८२,००० रुपया खर्च करेगी।

श्री भगवानसहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की तकलीफ फरमायेंगे कि यह इंतजाम किन-किन जगहों पर किया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा ख्याल है कि एक तो सारनाथ है, देवरिया जिले में कुशीनगर है, एक लुम्बनी है और एक फर्रुखाबाद जिले में सनकसा स्थान है।

श्री भगवानसहाय---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---केन्द्रीय सरकार का ६ लाख ४४ हजार रुपया व्यय होगा और कुल रकम ७१ लाख ९ हजार की है।

श्री भगवानसहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस शुभ अवसर पर बहुत से विदेशी यात्रियों के आने की सम्भावना है इसके लिये क्या इंतजाम पर्याप्त है या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अपनी समझ में तो बड़ा पर्याप्त प्रबन्ध करने की चेष्टा का गयी है, क्योंकि इसके लिये भारत सरकार ने एक बड़ी हाई पावर कमेटी बनायी थी जिसके वाइस प्रेसीडेंट उसके अध्यक्ष थे और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, भोपाल के मुख्य मंत्री और शायद बिहार के मुख्य मंत्री उसके सदस्य थे और उन लोगों ने बाद में एक कमेटी बनायी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और उसने घूमफिर कर सारा प्रबन्ध देख लिया है। आप देखें कि करीब-करीब अपने प्रदेश की सरकार का और भारत सरकार का कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। प्रबन्ध, मुझे आशा है, अच्छा ही होगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी इन विकास सम्बन्धी योजनाओं का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका ब्योरा तीन प्रकार का है। एक तो वहां भारत सरकार स्वयं खर्च कर रही है जिस पर ६ लाख ४४ हजार रुपया खर्च हो रहा है और वह खास कर आर्कियालोजिकल इम्प्रूवमेंट्स के काम हैं। सारनाथ में भी, कुशीनगर में भी, सनकसा में भी और श्रावस्ती में भी। यह कार्य पुरातत्व विभाग के अन्डर में हो रहा है। इसके सिवाय भारत सरकार देवरिया और कुशीनगर को मिलाने के लिये एक रेलवे लाइन भी निकाल रही है जिस पर साढ़े आठ लाख रुपये खर्च हो रहा है। क्योंकि देवरिया से कुशीनगर तक कोई लाइन नहीं थी और अब वे इस भाग को जोड़ देंगे। उम्मीद यह है कि इस काम को वह अगले समारोह के पूर्व ही समाप्त कर देंगे। इसके बाद उन्होंने ७१ लाख रुपया हमारे प्रदेश की सरकार को दिया है जिससे कि हम कुछ काम कर रहे हैं। रुपया उनका है काम हम कर रहे हैं और यह रुपया इस सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा खर्च किया जा रहा है। इन कामों में सारनाथ-बनारस रोड का इम्प्रूवमेंट करेंगे। वरुणा के ऊपर एक पुल बन रहा है जिसमें सारनाथ नजदीक हो जाय। रोड बन रही है सारनाथ में पुल तक और बाईपास बन रहा है रेलवे क्रासिंग तक। इसमें १४ लाख ७६ हजार रुपया खर्च हो रहा है। कुशीनगर की सड़क को इम्प्रूव कर रहे हैं जिस पर २ लाख रुपया खर्च होगा। देवरिया-कुशीनगर की सड़क को इम्प्रूव कर रहे हैं जिस पर साढ़े ६ लाख रुपया खर्च होगा और एक रेस्ट हाउस कुशीनगर में बन रहा है जहां लोग आकर टिक सकें और इसमें ८ लाख खर्च होगा। फेफना-सनकसा की सड़क इम्प्रूव की जा रही है। बलरामपुर-श्रावस्ती की रोड को इम्प्रूव किया जा रहा है। श्रावस्ती जिसको सहेत-महेत भी कहा जाता है वहां एक रेस्ट हाउस भी बन रहा है। लुम्बनी से नौगढ़ तक एक सड़क बन रही है। नौगढ़ उत्तर प्रदेश में है और लुम्बनी नैपाल की सीमा में पड़ता है। लुम्बनी से नौगढ़ तक की सड़क बनाने पर ३ लाख रुपया खर्च हम कर रहे हैं और बस्ती से नौगढ़ तक की सड़क पर साढ़े आठ लाख रुपया खर्च हो रहा है। लुम्बनी महात्मा बुद्ध का जन्मस्थान है। इस तरह से आप देखें कि ७१ लाख रुपया जो उन्होंने दिया है वह हम खर्च कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या सरकार प्रयाग से कौशाम्बी तक की सड़क बनवाने की योजना का सुझाव इसके अन्दर रखने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, अभी इसमें कोई ऐसा सुझाव नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--कुशीनगर से देवरिया तक रेलवे लाइन कब से बनना प्रारम्भ हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष--इसका सम्बन्ध केन्द्र से अधिक है। उन्होंने बता दिया कि केन्द्र बना देगी। इससे यह पूरक प्रश्न उठता नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लुम्बनी गार्डेन्स के विकास के सिलसिले में जो व्यय होगा उसके लिये कोई आश्वासन नैपाल सरकार की ओर से मिला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। अगर कोई आश्वासन मिला होगा तो वह भारत सरकार के पास होगा, लेकिन उन्होंने जरूर दे रखा है अपनी सड़क वगैरह बनाने के लिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में सनकसा स्थान के विकास की भी कोई योजना इसके अन्दर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि फेफना सनकसा रोड जो है यह चार लाख रुपये लगाकर इंप्रूव की जा रही है। वहां पर वाटर सप्लाई के इन्तजाम के लिये ५ हजार रुपया खर्च होगा और मेडिकल पर १० हजार रुपया और रेस्ट हाउसेज के लिये २५ हजार रुपये खर्च होंगे।

*३०-३१---**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)---[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

छोटी गंडक की बाढ़ को रोकने के लिये योजना

*३२---**श्री रामेश्वरलाल**---क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि छोटी गंडक नदी की बाढ़ को रोकने के लिये सरकार कौन सी योजना लागू करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बड़ी गंडक और छोटी गंडक के मध्यस्थल में ऊंची भूमि पर एक बाँध का आयोजन किया गया है जो निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है :

(१) नैपाल बांध;

(२) छितौनी बांध के उत्तर की ओर बढ़ोत्तरी,

(३) छितौनी बांध के दक्षिण की ओर बढ़ोत्तरी।

*३३---**श्री रामेश्वरलाल**---क्या गंडक बड़ी गंडक से एक छोटे नाले द्वारा सम्बन्धित है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, बड़ी गंडक से बाढ़ के दिनों छोटी गंडक में नैपाल राज्य के अन्दर और जिला गोरखपुर में तहसील महराजगंज तथा जिला देवरिया में तहसील हाटा के अन्दर बहुत से स्थानों से पानी आता है। बड़ी गंडक के किनरे-किनारे उन स्थानों को रोकने के लिये जिनसे बाढ़ के दिनों में पानी आता है एक बांध निर्माण करने की योजना है। भारत राज्य के अन्दर बांध का कार्य आरम्भ हो गया है और कार्य आगामी बरसात के पहले समाप्त कर दिया जायगा और नैपाल राज्य के अन्दर स्वीकृति के पश्चात् कार्य किया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि छितौनी बांध के उत्तर और दक्षिण में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में पहले भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सुझाव दिये गये थे, जिन्हें पहले अस्वीकृत कर दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी तो मुझे स्मृति नहीं है। लेकिन इंजीनियरों ने जो सर्वे किया उसमें उन्होंने यह जरूर लिखा कि दक्षिण में और उत्तर में भी इतना बढ़ा न चाहिये नहीं तो छोटी गंडक की बाढ़ रुकेगी नहीं। इसलिये उसका एस्टीमेट वगैरह बन गया है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि नैपाल बांध कहां बंधेगा और उसके संबंध में अब तक क्या बातचीत चल रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नैपाल बांध करीब-करीब सारा नैपाल में पड़ता है। इसका सर्वे भी हो चुका है और एस्टीमेट भी बन गया है। करीब १९ लाख रुपये के एस्टीमेट इसका है। लेकिन वहां हम तब तक बांध नहीं बना सकते हैं जब तक कि नैपाल गवर्नमेंट की स्वीकृति न मिल जाय और वह स्वीकृति लेने के लिये भारत सरकार के विदेशीय विभाग को लिखा गया है और वह लिखा-पढ़ी कर रहा है। जैसे ही स्वीकृति आ जायगी हम उस काम को हाथ में लेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सरकारी रिपोर्टों में इस वर्ष बड़ी गंडक में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम बाढ़ आयी है ?

श्री अध्यक्ष---यह बाढ़ का सवाल नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बड़ी गंडक के किनारे जो इलाका यू० पी० की ओर पड़ता है उस पर भी बांध बनाने का विचार है जो पडरौना तहसील के किनारे पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बड़ी गंडक को नैपाल से लेकर और जहां वह बिहार में घुसती है वहां तक करीब-करीब सब रोक लेने का विचार है। अब किसी खास जगह के बारे में अगर माननीय सदस्य पूछें तो पता लगा कर बता सकता हूं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री को इसकी जानकारी है कि मैंने कुछ ऐसे ही बन्धों को बांधने के लिये सुझाव उनकी सेवा में भेजे थे जिसके बारे में इंजीनियरों ने इन्कार करके चिट्ठी लिख दी है कि वहां पर बांध नहीं बनाया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा हो सकता है कि किसी जगह उसकी आवश्यकता और उपयुक्तता की दृष्टि से बांध बनाना मुनासिब न हो। अगर माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी चाहें तो मेरे कमरे में पूछ लें, मैं इंजीनियरों से जानकारी कर के उनको बतला दूंगा।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बांध के बनाने में जो खर्च पड़ेगा उस में नैपाल सरकार की ओर से भी कुछ सहायता प्राप्त होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नैपाल सरकार से सहायता का तो कोई प्रश्न इस वक्त है नहीं। हमने एस्टीमेट बनाया है। हम बांध बनाना चाहते हैं। उससे हमारे यहां का फ़ायदा है और अगर उनकी स्वीकृति मिल जाय तो मैं समझता हूं यही उनकी बड़ी भारी कृपा है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो बांध बनने वाले हैं वे कब तक तैयार हो जायंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बनने वाले नहीं है, बांध बराबर बन रहे हैं। छितौनी बांध का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। दूसरा हिस्सा जहां तक हम बना सकते हैं उसमें काम लग चुका है, जहां तक नहीं बना सकते हैं उसकी स्वीकृति प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी बांधों की तरह से यह भी आवश्यक समझते हैं कि छोटी गंडक जो टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होकर अधिक लम्बे रास्ते में बहती है उसे छोटा कर दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, जितने टेढ़ों को सीधा किया जा सके उतना ही अच्छा है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी कोई ऐसी सर्वे करायेंगे कि छोटी गंडक बहुत दूर तक बहती है और बहुत दूर तक के गांवों को नुक्सान पहुंचाती है, तो वह थोड़ी दूर तक ही बह सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, यह तो एक सुझाव है और हमारे यहां इस पर काम भी हो रहा है कि छोटी गंडक को एक नहर की शक्ल दे दी जाय और जहां तक हो सके इसको सीधा किया जाय। लेकिन इसमें कुछ अड़चनें हैं क्यों कि सीधा करने में नई जमीन लेनी पड़ती है और इसमें देवरिया जिले में खास तौर से बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इतना मैं और आपकी आज्ञा से बतला दूं कि जब छितौनी बांध बन जायगा तो सम्भवतः भविष्य में बाढ़ नहीं आयेगी, क्योंकि उसमें सारा पानी बड़ी गंडक से विशेष रूप से आता है।

गोंडा व बहराइच जिलों के उत्तर राप्ती भाग में बन्धों का निर्माण

*३४---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ नियन्त्रण योजनन्तर्गत, कितने नये बन्धे गोंडा और बहराइच जिलों के उत्तर राप्ती भाग में वर्षा के पश्चात् बनना शुरू होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गोंडा जिले में गिरगिटी बांध के ऊपर कार्य प्रगति पर है और खैरमान बांध पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायेगा। बहराइच जिले में भी रामपुर और बनघोघवा बांध पर कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

*३५---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि बघेलखंड और मझगवां बांधों के सम्बन्ध में जिन-जिन कृषकों की भूमि निकली है, उनको आज तक खेती योग्य भूमि नहीं मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१९२ एकड़ भूमि जो कि मझगवां और बघेलखंड बांधों के भीतर है, उन कृषकों को जिनकी भूमि उक्त बांधों के सम्बन्ध में ली गयी है, पट्टे पर स्थायी रूप से सिंचाई विभाग द्वारा दी गयी है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की ५२४,९८ एकड़ भूमि संबंधित कृषकों की ४०४,२० एकड़ भूमि के प्रतिफल में उनको स्थायी रूप से पट्टे पर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछली वर्षा से मझगवां, बघेलखंड और रामपुर बांधों के ऊपर काम हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, इतनी जानकारी तो मुझे है ही।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---मेरा प्रश्न था कि वर्षाकाल के बाद कितने बांधों पर काम नये सिरे से होगा। क्या माननीय मंत्री जी पिछले वर्षाकाल के बाद इस जाड़े में कितने नये बांधों पर काम शुरू होगा यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पहले इन चारों बांधों को पूरा कर लें तब और बांधों पर काम शुरू करेंगे।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ नियंत्रण योजनान्तर्गत कितने और नये बांधों की स्कीम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह जरा तफसील का सवाल है लेकिन मैं जानता हूं कि शायद डेढ़ दो दर्जन बांध वहां बनेंगे और वह राप्ती के बेसिन में बनेंगे ताकि राप्ती का जल ऊपर ही रुका रहे और बाढ़ संकट स्थिति कम हो जाय इसका प्रस्ताव फ्लड बोर्ड के सामने है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो १९५ एकड़ जमीन इन जिलों से निकली है और ५२४.९८ एकड़ जो भूमि है, उसके लिये क्या सरकार ने ऐसा निश्चय कर लिया है कि यह उन्हीं को दी जायगी जिनके पास भूमि नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह भूमि तो पहले उनको दी जायगी जिनकी जमीन ली गयी है।

बलिया जिले में नलकूप लगाने का फ्रेंच कम्पनी को ठेका

*३६---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि जिला बलिया में कुछ नलकूपों को बनाने का ठेका सरकार द्वारा किसी फ्रेंच कम्पनी को दे दिया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ठेका कब दिया गया था और यह काम ठेकेदार कब प्रारम्भ करेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ठेका देने की तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी पहले दिया जा चुका है, शायद १९५४ के शुरू में या १९५३ के आखिर में, और काम शुरू करने की बात यह है कि हम उम्मीद यह करते हैं कि इस बार जून के पहले यह कम्पनी बलिया के जितने कुवें हैं उन सब को बना डालेगी, जितने उसके जिम्मे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन ठेकों को देने से पहले भारतीय फर्मों से भी कोई टेंडर मांगे गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---टेंडर मांग कर ही ठेका दिया जाता है और टेंडर के मांगने पर कोई भी अपना टेंडर दे सकता है, वह चाहे भारतीय हो या अभारतीय।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि फ्रेंच कम्पनी को कितने नलकूपों का ठेका दिया गया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा खयाल है कि उनका दो सौ कुंवों का ठेका था, जिसे मालूम हुआ कि पूरा नहीं कर सकते। तो छंटते-छंटते अब केवल ५० कुवें उनके जिम्मे रह गये हैं।

श्री राधामोहन सिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अगर यह फ्रेंच कम्पनी अपना काम नहीं शुरू करती तो क्या यह कुवें दूसरे ठेकेदारों के जरिये से बनाये जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, वह नहीं शुरू करेगी तो या तो इनको विभाग बनायेगा या वे किसी दूसरे कम्पनी से बनाये जायेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस फ्रेंच कम्पनी का नाम क्या है और यह ठेका किस हिसाब से दिया गया था यानी प्रति कूप कितनी लागत पर?

श्री कमलापति त्रिपाठी---शर्तों के लिये तो सूचना चाहिये क्योंकि काफी बड़ा समझौता होता है। उसमें बहुत सी शर्तें होती हैं और सूचना मिलने पर वह शर्तें पेश की जा सकती हैं।

*३७---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में बनने वाले नलकूपों का ठेका

*३८---**श्री मान्धाता सिंह** (जिला बलिया)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में अब तक जितने नलकूप बन गये हैं उनके बाद कितने और नलकूप इस वर्ष बनेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बलिया जिले में सितम्बर, १९५५ तक ६३ नलकूप खोदे जा चुके हैं और ३१ मार्च, १९५६ तक ३८ और नलकूप बनाने की योजना है।

श्री मान्धाता सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह जो ३८ नलकूप बनने वाले हैं, वह कौन बनायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनमें से मेरा ख्याल है कि करीब २५ कुवें तो वह फ्रेंच कम्पनी बनायेगी और बाकी या तो विभाग बनायेगा या किसी दूसरे ठेकेदार से बनवाये जायेंगे।

श्री राधामोहन सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि जो ६३ नलकूप बनकर तैयार हुये हैं उनमें कितने चालू हालत में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तक जो ६३ नलकूप बने हैं उनमें ४२ पर तो मशीन लग गयी है, लेकिन चल रहे हैं केवल ३३, क्योंकि ३३ पर ही बिजली पहुंची है। २७ पर तो विद्युत् विभाग की बिजली है और ६ पर डिजील इंजन लगाये गये हैं। इस प्रकार से ३३ कुवें चालू हालत में हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सिंचाई मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो ३८ नलकूप बनने वाले हैं, उनके लिये साइट ले लिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि साइट तय कर दिया गया है।

श्री राधामोहन सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि नलकूपों को बिजली मिलने में दिक्कत पड़ रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दिक्कत बिजली मिलने पर क्या पड़ रही है वहां तो हर जगह काम होता चलता है और बिजली मिलती चलती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि प्रश्न संख्या ३६ से संबंधित फ्रेंच कम्पनी ही प्रश्न संख्या ३८ से संबंधित कुओं की निर्मात्री है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, वह सम्बन्ध आपने बिलकुल ठीक खोजा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि यह नलकूप जो बनाये गये जब इनका ठेका दिया गया तो उसका इस्टीमेट तैयार नहीं था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैंने यह प्रश्न समझा नहीं है, बगैर इस्टीमेट के तो कोई काम होना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि कोई इस्टीमेट इनका नहीं था, फिर भी ठेका दे दिया गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अगर माननीय सदस्य किसी खास जगह के लिये बतलायेंगे तो उसकी जांच कर ली जायगी।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि यह क्या जनरल शिकायत है कि यह फ्रेंच कम्पनी अन्य कम्पनियों की अपेक्षा अधिक मूल्य पर नलकूप लगाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, यह शिकायत नहीं है। शिकायत केवल यह है कि यह काम बहुत धीमे करती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी ने जो दूसरी शिकायत के बारे में चर्चा किया वह शिकायत सदन के सामने बतलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह बता दिया गया है।

*३९—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)— [२० दिसम्बर, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

*४०-४१—श्री परमेश्वरीदयाल (जिला जौनपुर)—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२-४३—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४—४६—श्री गुरूप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[वापस लिये गये।]

डुमरियागंज तहसील में बांध चरगहवा बनाने के लिये नैपाल सरकार की स्वीकृति के लिये प्रार्थना

*४७—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सिंचाई मंत्री यह बत येंगे कि बांध चरगहवा में तहसील डुमरियागंज में नैपाल सरकार की स्वीकृति आ गयी अथवा नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, अभी नहीं आयी। नैपाल में भारतीय दूतावास द्वारा नैपाल सरकार को यह बताया गया है कि इस बांध से नैपाल राज्य के किसी क्षेत्र को हानि पहुंचने की संभावना नहीं है और उनसे यह प्रार्थना की गयी है कि वह अपने एक इंजीनियर को नियुक्त करें जो हमारे इंजीनियर के साथ उस जगह का निरीक्षण करें जहां बांध बनाने का प्रस्ताव है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नैपाली क्षेत्र को हानि न होने की संभावना कहां तक ठीक है।

*४८—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार इस दिशा में कोई शीघ्र कदम उठाने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नैपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पूरी कार्यवाही की जा चुकी है। पिछले प्रश्न के उत्तर में कहे गये मामले के निर्णय होते ही बांध का काम तुरन्त चालू किया जायेगा।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अंतिम जांच कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जांच तो तब समाप्त हो जबकि उसके करने की इजाजत मिले। अभी नैपाल से जांच करने की इजाजत ही नहीं मिली है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस बांध को बनाने में सरकार कितना रुपया खर्च करने का अनुमान रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक चरगहवा नाला के बांध पर १,३२,८०० रु० खर्च होंगे।

*४९-५१—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—[२१ नवम्बर, १९५५ को प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सरकारी दौरों पर जाने वाले पत्रकारों की योग्यता

*५२—श्री श्याममनोहर मिश्र (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी किस सरकारी दौरों पर जाने के योग्य पत्रकारों को किस आधार पर चुना जाता है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—इस सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं है। प्रेस टुअर के लिये साधारणतः प्रदेश में प्रकाशित प्रमुख समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि प्रदेश के बाहर के ऐसे प्रमुख

नोट—तारांकित प्रश्न ५२ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछा।

पत्रों के प्रतिनिधि जिनका सरकुलेशन काफी तादाद में इस प्रदेश में भी रहता है और जिनके प्रतिनिधि इस प्रदेश की राजधानी में कार्य करते हों, मुख्य समाचार समितियों के राजधानी में कार्य करने वाले प्रतिनिधि तथा इस प्रदेश के आल इंडिया रेडियो के विशेष प्रतिनिधि आमंत्रित किये जाते हैं ।

*५३-५४---श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५५-५६---श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)---[१८ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ६७-६८ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

"उत्तर प्रदेश अविभाज्य" नामक लेटर पैड्स का वितरण

*५७---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सूचना मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सूचना विभाग की तरफ से "उत्तर प्रदेश अविभाज्य" नाम के कुछ लेटर पैड छपवाये गये ? यदि हां, तो कितने ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । ५०० लेटर पैड छपवाये गये थे ।

*५८---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन पैडों के छपवाने में कितना धन व्यय हुआ और वह किसी कीमत पर बांटे गये या मुफ्त ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इन पैडों के छपवाने में ३२ रु० और कागज में अनुमानतः २४३ रु० व्यय हुआ । पैडों का वितरण मुफ्त किया गया ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय सूचना मंत्री बतलायेंगे कि यह मुफ्त पैड जो बांटे गये, वे किन लोगों में बांटे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुछ तो सचिवालय के अधिकारियों में बांटे गये, कुछ और स्थानों में तथा कुछ हरिद्वार में एक शिविर हो रहा था उसमें बांटे गये ।

श्री रामचन्द्र विकल---इस पैड को छपवाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना विभाग की ओर से बहुत से प्रकाशन होते रहते हैं और वे आवश्यक समझ कर ही किये जाते हैं ।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि ये पैड्स इस सदन के सब सदस्यों को दे दिये जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब यह तो मैं जानता नहीं हूं कि कुछ पैड्स बाकी बचे हैं या नहीं यदि सदन चाहे तो आगे छपवा कर बांट दिये जायेंगे ?

श्री शिवनाथ काटजू---इस सदन के बहुत से सदस्य चाहेंगे कि वे पैड्स उनको भी मिलें इसलिये क्या माननीय मंत्री जी उनका प्रकाशन करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब इस विषय पर सरकार स्वयं विचार कर लेगी ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इन पैड्स पर विभाजन के पक्ष में कुछ लिखे जाने की मनाही तो नहीं थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुमकिन है कि इन पैड्स पर विभाजन के पक्ष में कुछ लिखा गया हो ।

श्री जोरावर वर्मा--सूचना विभाग के अन्य प्रकाशनों की भांति यह पैड इस सदन के सदस्यों को क्यों नहीं बांटे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--थोड़े से छपवाये गये थे जो बांट दिये गये, यदि माननीय सदस्य चाहें तो और भी बटवारा किया जाय ।

*५९-६१--**श्री हरगोविन्द पन्त** (जिला अल्मोड़ा)--[६ दिसम्बर १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२-६३--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

झांसी जिले में बेतवा नदी के पारीछा बांध पर होकर यातायात के लिये प्रार्थना

*६४--**श्री रामसहाय शर्मा** (जिला झांसी)--क्या सरकार के पास जिला झांसी की जनता की ओर से इस बात की मांग की गई है कि बेतवा नदी के पारीछा बांध पर होकर मोटरें तथा बैलगाड़ियां निकलने की आज्ञा प्रदान कर दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । श्री शिवकुमार पाठक, मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, झांसी से इस विषय पर एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

*६५--**श्री रामसहाय शर्मा**--क्या सरकार इस नदी के बांध (dam) पर नया रास्ता और सड़क निर्माण करा कर यातायात की कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग प्रदान करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बेतवा नदी पर झांसी, ललितपुर-हरपालपुर रोड पर नेटघाट नामक स्थान पर एक रेपटा (causeway) बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । आशा है कि यह रेपटा बन जाने के बाद पारीछा पर दूसरा पुल बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री रामसहाय शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि बोट घाट से पारीछा बांध २० मील पड़ता है इसलिये वहां की जनता की आवश्यकता जरूर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी आवश्यकता होगी तो उसका प्रबन्ध भी किया जायगा । सरकार इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की चेष्टा करती ही रहती है और खास कर के झांसी जिले में ।

श्री रामसहाय शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पारीछा बांध बरेठा-घाट तक वहां केवल एक ही फेरी रहती है और वहां की जनता को बहुत ज्यादा कष्ट रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य कह रहे हैं तो अवश्य ही वहां कष्ट होगा ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था

*६६--**श्री कमलासिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की किन-किन तहसीलों में नहर द्वारा और किन-किन तहसीलों में नलकूप द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है और कहां दोनों की व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गाजीपुर जिले की जमनिया तहसील में नहर द्वारा और गाजीपुर, सैदपुर तथा मुहम्मदाबाद तहसीलों में नलकूप द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है । मुहम्मदाबाद तहसील में नहर तथा नलकूप द्वारा सिंचाई करने का विचार है ।

*६७—**श्री कमलासिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की किन-किन तहसीलों में कितने नलकूप गत बारह महीनों में कहां-कहां बने हैं और कितने नलकूप किन स्थानों पर बनाने के लिये प्रस्तावित है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गत बारह महीनों में गाजीपुर जिले की भिन्न-भिन्न तहसीलों में जितने नलकूप जिन स्थानों पर बने हैं तथा बनाने के लिये प्रस्तावित हैं, उनके विवरण की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १८८ पर)

*६८—**श्री कमलासिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने नलकूप कोआपरेटिव विभाग द्वारा बनाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले में १० कोआपरेटिव नलकूप बनाये जा रहे हैं।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में हर तहसील में कितने नलकूप अब तक बनाये जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो ६३ नलकूप बने हैं उनका विवरण इस प्रकार है: गाजीपुर में २८, सैदपुर में १३ और महदाबाद में २२।

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सैदपुर तहसील में कुल नलकूपों की संख्या कितनी प्रपोज्ड है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१३ बनाये जा चुके और २७ अभी और बनने वाले हैं।

श्री कमलासिंह—क्या यह सही है कि सदन के अन्दर माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि घाघरा नहर से सैदपुर तहसील को नहर निकाली जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ पम्प कैनाल दूसरा स्टेज उसका है, यदि वह बना तो अवश्य गाजीपुर की सैदपुर तहसील को भी पानी दिया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि गाजीपुर जिले में ये नलकूप किस कम्पनी द्वारा बनाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ तो नलकूप विभाग द्वारा ही बनाये गये हैं और कुछ थोड़े से नलकूप थे, जिन्हें फ्रेंच कम्पनी को बनाने के लिये दिया गया है।

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गाजीपुर जिले में फ्रेंच कम्पनी ने जहां बोरिंग की है वहां वह बिल्कुल असफल रही है और स्टेट ने जो नलकूप बनाये हैं, वहां उसे सफलता मिली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्टेट के लोग तो तेज हैं ही नलकूप बनाने में।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार मेहरबानी करके गाजीपुर जिले में आगे जितने नलकूप बनाये जायेंगे, उनको स्टेट के जरिये ही बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्टेट के जरिये काफी बनाये जायेंगे। मेरा ख्याल है कि सिर्फ थोड़े से २४-२५ कुएं फ्रेंच कम्पनी को बनाने हैं और अब जो क्षेत्र सेलेक्ट करके उनको कुएं बनाने के लिये दिया गया है, वह ऐसा है कि सम्भवतः उनको भी सफलता मिल जायगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विभाग द्वारा जो एस्टिमेट नलकूप बनाने के लिये तैयार किये गये हैं उससे अधिक पर फ्रेंच कम्पनी को ठेका दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फ्रेंच कम्पनी का एस्टिमेट इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन सम्भव है कि ऐसा हो कि विभाग के एस्टिमेट से उसका एस्टिमेट थोड़ा ज्यादा हो।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अगर फ्रेंच कम्पनी की अधिक शिकायतें आ रही हैं तो उसको बदल दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने कहा कि फ्रेंच कम्पनी को कोई शिकायत नहीं है, सिवा इसके कि वह जरा काम ढीला करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो जरा ढीला काम करते हैं।

अलीगढ़ डिवीजन में ट्यूववेल आपरेटर्स का चुनाव

*६९—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ डिवीजन में ट्यूबवेल आपरेटर्स का सन् १९५५ में चुनाव हुआ था ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने व्यक्ति छांटे गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, एक चुनाव मई, १९५५ में हुआ था। इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे गये ५४६ उम्मीदवारों में से १२५ का चुनाव किया गया।

*७०—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो उम्मेदवार छांटे गये उनमें से कितने इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे गये थे और कितने सीधे लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सभी चुने गये उम्मीदवार इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे गये थे। सीधे प्राप्त हुये प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया गया।

*७१—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार लिये गये उम्मीदवारों की शिक्षा योग्यता एवं हरिजन जाति के उम्मीदवारों की संख्या बतायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चुने गये उम्मीदवारों की शिक्षा योग्यता ८वीं कक्षा से १२वीं कक्षा पास तक की है। अनुसूचित जाति वाले ११ उम्मीदवार चुने गये। इम्पलायमेंट एक्सचेंज ने हरिजन जाति के उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जाति वाले उम्मीदवारों की संख्या में शामिल कर ली थी, जिसके कारण ऐसा कोई रेकार्ड नहीं मिलता कि अनुसूचित जाति वाले उम्मीदवारों में से कितने हरिजन जाति के थे।

*७२-७३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

२-३—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—[६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ अगस्त, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १४ सितम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था। राज्यपाल महोदय की अनुमति ६ अक्टूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५–५६ का प्रथम पूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५५ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५–५६ का प्रथम पूरक), विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ सितम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ११ अक्टूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १७ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५०–५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ सितम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ११ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ अक्टूबर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २० वाँ अधिनियम बन गया।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर विवादार्थ अधिक समय की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नेता सदन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो डिबेट यहां पर होगा वह बजाय तीन दिन के चार दिन हो अर्थात् उसकी तिथि २५ तक कर दी जाय। २२, २३, २४ और २५ तक उस पर वाद-विवाद हो। कुछ सदस्यों की यह मांग थी कि हमारे यहां सम्मानित रूसी मेहमान आये हुए हैं और वह तराई क्षेत्र में जायंगे, तो उनको भी मौका मिल जायगा कि वह भी इस वाद-विवाद में भाग ले सकें। इसलिए मैं यह सुझाव रख रहा हूं कि इस पर वाद-विवाद २२, २३, २४ और २५ चार दिन हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, जो हामरा गैर-सरकारी दिन है २५ तारीख का, उसके बदले में कोई दूसरा दिन हमको मिल सके तो यह सुझाव हमें स्वीकार हो सकता है। वैसे यह हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि २५ तारीख गैर-सरकारी दिन है। या उसके लिए ऐसा कर लिया जाय कि आधे दिन तक यह चले और आधे दिन हमारा गैर-सरकारी कार्यक्रम ले लिया जाय। वैसे हमें कोई एतराज नहीं है ४ दिन तक इसके ऊपर बहस चलने में, लेकिन जो हमारा गैर-सरकारी दिन है वह बहुत इम्पार्टेन्ट होता है। उसके बदले में दूसरा दिन हमें मिल जाय तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री, आपको इस सुझाव के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो सुझाव सुनने में आये। एक तो यह कि डिबेट चार दिन चले दूसरा यह कि साढ़े तीन दिन चले।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने एक यह भी सुझाव दिया इसमें कि दूसरा कोई गैर-सरकारी दिन उसके बदले में मिले तो चार रोज चलने में उनको कोई एतराज नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बहरहाल, मैं ऐसा मानता हूं कि कई माननीय सदस्यों की राय है कि इस पर डिबेट चार दिन चलना चाहिये। इसमें मुझे कोई खास आपत्ति नहीं है। रही गैर-सरकारी दिन की बात। तो यों तो हम गवर्नमेंट की तरफ से यह मान नहीं रहे हैं इसलिए जाब्ते से तो नहीं कहा जा सकता कि हम एक दिन और दे दें, लेकिन अगर एक दिन यह जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में एक दिन और दे दें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, जरा २५ के बाद का क्या कार्यक्रम होगा, वह भी हमें बता दिया जाय। सुना है छुट्टी होने वाली है। अगर मालूम हो जाय तो हम भी वैसा ही प्रोग्राम बना लें।

श्री अध्यक्ष---यह बाद में आप पूछियेगा। पहले मैं इस पर सदन की राय ले लूं। तो मैं यह समझूं कि सदन की यह राय है कि २५ तारीख को भी इसके ऊपर वाद-विवाद हो और वह गैर-सरकारी दिन होते हुए भी उस पर उस दिन वाद-विवाद होना चाहिए और गैर-सरकारी दिन के सम्बन्ध में किसी दूसरे रोज उसका विचार कर लिया जायगा। यह स्वीकृत हुआ।

अब इसके बाद का कार्यक्रम क्या होगा यह आप बता दें।

सदन का भावी कार्यक्रम

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---हम लोगों का तो यह ख्याल था कि शनिश्चर और इतवार के बाद २८ तारीख को सदन की बैठक हो जाती तो अच्छा था। उसके बाद तो बन्द करना ही होगा, क्योंकि कार्तिक स्नान इत्यादि और कई चीजें हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कई माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है कि एक दिन के लिए २८ तारीख को बैठक न हो। उनका खयाल है कि जिन लोगों को पूर्णिमा स्नान के लिए जाना है वह आसानी से नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमें २८ तारीख की बैठक भी नहीं रखनी पड़ेगी और अगले सोमवार को जोकि दिसम्बर की ५ तारीख को पड़ता है, उस दिन सदन की बैठक हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष---नेता सदन जारी रखें।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे-मोटे सन्धान (adjustments) को छोड़ कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये।"

श्रीमन्, व्यक्तिगत रूप से तो मुझको इस बात का अफसोस है कि आज हमको इस प्रश्न पर विचार करने में इतना समय लगाना पड़ रहा है। मेरा तो ऐसा खयाल है कि जिस जमाने से हमारा देश गुजर रहा है उसमें हमारी सारी शक्ति पुनस्संगठन और पुनर्निर्माण के काम में ही लगनी चाहिए थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से इस आयोग के बैठाये जाने की बात देश के सामने आई तब से कई प्रकार के विचार हमारे सामने आये। कुछ हद तक आपस में—उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं—कटुता भी पैदा हुई और जो एक गलत-सा वातावरण पैदा हुआ वह अभी तक चला जा रहा है। लेकिन अब उस पुरानी बात की चर्चा करना बेकार है। आयोग बना और उसके सदस्यों ने जगह-जगह दौरा करके साक्ष्य लिया और अब उनकी रिपोर्ट हमारे सामने है। उस रिपोर्ट पर विचार करना ही होगा और ऐसी दशा में यह शायद अच्छा ही है कि जितनी जल्दी इस पर विचार खत्म हो जाय और आगे कोई न कोई सूरत निकले जिसको हम आसानी से स्वीकार कर लें और अपने पुनस्संगठन और पुनर्निर्माण के काम में लगें, जो सबसे आवश्यक चीज है। रिपोर्टों की सूरत क्या है, इसके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दिसम्बर २९, १९५३ में केन्द्रीय मिनिस्टरी आफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसका चौथा पैराग्राफ इस बात पर अच्छा प्रकाश डालता है। छोटा-सा है, मैं उसे पढ़े देता हूं —

"The language and culture of an area have an undoubted importance, as they represent a pattern of living, which is common in that area. In considering a re-organization of a State, however, there are other important factors which are also to be borne in mind. The first essential consideration is the preservation and strengthening the unity and security of India. Financial, economic and administrative considerations are almost equally important not only from the point of view of each State, but for the whole nation. India is embarked upon a five-year plan for her economic, cultural and moral progress. Changes interfering with the successful prosecution of such a national plan would be harmful to the national interest."

थोड़े में इसका भाव यह है कि निश्चय ही इस बात का ध्यान देना चाहिये कि जिस किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार हो रहा हो वहां के लोगों की भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, तथा आर्थिक प्रश्नों पर भी विचार करना होगा। शासन सम्बन्धी प्रश्नों पर भी विचार करना होगा। लेकिन दो चीजें मुख्य हैं। जो भी किया जाय, इस बात का खयाल रखना चाहिये कि उससे भारत की एकता और भारत की रक्षा पूरे तौर से अक्षुण्ण रहे। अक्षुण्ण ही नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो। दूसरी बात यह है कि अपने देश में हम लोगों ने पुनर्निर्माण का कार्य हर दिशा में हाथ में लिया है और आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, हर दिशा में अपने राष्ट्र को फिर से बनाने जा रहे हैं। तो कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होना

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

चाहिये जिससे कि इतने बड़े काम में बाधा पड़े। सिद्धान्त के रूप में अगर कोई बात कही जा सकती है तो यही कही जा सकती है। इसको ध्यान में रख कर इन प्रश्नों पर हमको विचार करना है।

जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें उत्तर प्रदेश और इस राष्ट्र के दूसरे प्रदेशों के बारे में भी बात कही गयी है। निश्चय ही हम लोगों ने सारी रिपोर्ट पर विचार किया होगा और अपनी राय रखते होंगे लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि यथासंभव हम लोग दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में ज्यादा न कहें तो अच्छा है, अपने ही राज्य के सम्बन्ध में अपनी राय देना अच्छा होता है। दूसर राज्यों के सम्बन्ध में हमको शायद उतनी जानकारी भी नहीं है और सम्भव है कोई बात जो यहां हम कहें पूरी जानकारी न होने के कारण जिस राज्य के सम्बन्ध में हम कहें वह वहां के लोगों को पसन्द न हो और व्यर्थ के विवाद में हम पड़ जायं। मैं स्वयं जो कुछ आपके सामने निवेदन करूंगा वह केवल उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कहूंगा।

मैं जानता हूं कि जब से यह प्रश्न उठा कि राज्यों का किस प्रकार पुनस्संगठन हो तब से जहां उत्तर प्रदेश में यह राय थी कि उत्तर प्रदेश ज्यों का त्यों बना रहे उसके साथ ही एक राय यह भी व्यक्त की गयी कि नहीं, उत्तर प्रदेश का कुछ विभाजन होना चाहिये। जिन लोगों ने विभाजन के पक्ष में अपनी राय दी निश्चय ही उनका भी उद्देश्य यही रहा होगा कि उससे सभी लोगों का कल्याण हो और देश की भी सुरक्षा बढ़े। उनकी नीयत के सम्बन्ध में किसी को भी एक क्षण के लिये सन्देह करने का कोई अवसर नहीं है और वह उचित भी नहीं होगा और मैं ऐसा समझता हूं कि जिन लोगों ने विभाजन के पक्ष में शुरू में अपनी राय दी उनमें से जहां कुछ लोगों ने काफी विचार करने के बाद अपनी राय बदली वहां अब भी ऐसे कई मित्र हमारे, यहां इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी, इस खयाल के हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिये और मैं समझता हूं कि उनकी राय हमारे सामने आयेगी।

उस वक्त जब विभाजन की बात चली तो उसका रूप तो यह था कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले उत्तर प्रदेश से अलग हो जायं। वे पश्चिम की तरफ के जिले थे। उनके साथ दिल्ली के कुछ जिले मिलें और कुछ और। इस तरह से मिला कर एक नया राज्य बनाया जाय। यह जरूर अफसोस की बात हुई, मैं अपनी दृष्टि से कहता हूं कि इस विभाजन के मामले में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जो उसमें दिलचस्पी रखते थे उनसे अधिक दिलचस्पी दिल्ली के लोगों ने ली, जिनका दिल्ली के शासन से सम्बन्ध था। मेरी समझ में उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। बहरहाल, मैं नहीं जानता कि उनको उत्तर प्रदेश के हमारे पश्चिमी जिले के लोगों की भलाई में कहां तक दिलचस्पी थी और कहां तक, जो उनकी नीयत थी, वह किसी दूसरे खयाल से थी। अस्तु, उत्तर प्रदेश के विभाजन के पक्ष में दो-तीन बातें खास तौर से कही जाती थीं। एक तो यह कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है और इतने बड़े प्रदेश का शासन कहीं से भी करना कठिन हो जाता है। हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, गवर्नमेंट का केन्द्र लखनऊ में है। ये बातें सामने आती थीं कि ये जगहें केन्द्र में नहीं हैं, प्रदेश के कुछ हिस्से के लोगों से काफी दूर पड़ती हैं। इसके सम्बन्ध में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक इतना बड़ा होने की बात है, यह कोई निराली बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है। आप दुनिया के देशों को ले लें। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका बहुत बड़ा देश है। रूस बहुत बड़ा देश है, दुनिया में बहुत से बड़े देश हैं और हमारा भारतवर्ष भी बहुत बड़ा देश है और फिर भी एक ही केन्द्रीय

गवर्नमेंट होती है जो इन सब प्रदेशों पर शासन करती है। बाहर के प्रदेशों की बात ले लीजिये और उनको आप देखिये। आस्ट्रेलिया एक राज्य है, एक कांटीनेंट है और फिर भी एक ही शासन के मातहत हुकूमत होती है। उसके अन्दर कई स्टेट्स हैं, मसलन एक वैस्टर्न आस्ट्रेलिया है, उसका क्षेत्रफल ९ लाख ७५ हजार वर्गमील है, इसके सामने हमारे प्रदेश की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी स्टेट क्वीन्सलैण्ड है उसका क्षेत्रफल ६ लाख ७० हजार वर्गमील है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में एक स्टेट टैक्सस है जिसका क्षेत्रफल २ लाख ६० हजार वर्गमील है और भी बहुत-सी बड़ी-बड़ी स्टेट ह उनका शासन हो रहा है स्वतंत्र रूप से और उनके अन्तर्गत जो प्रदेश हैं वे भी काफी बड़े हैं, उनका भी शासन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि इतने बड़े प्रदेश का शासन नहीं हो सकता है, यह ठीक नहीं है और यह कोई मजबूत तर्क नहीं है।

यह जो कहा जाता है कि इस प्रदेश का केन्द्र-स्थान लखनऊ में है और हाईकोर्ट इलाहाबाद में है जो मध्य में नहीं है तो यह भौगोलिक दृष्टि से तो सही बात है लेकिन आजकल के जमाने में और पहले जमाने में भी यह चीज नहीं थी। दुनिया में बड़ा भारी साम्राज्य मौर्य वंश का था और उसका शासन पाटलीपुत्र यानी पटना से होता था। यह भी बीच में नहीं था। मुगलों के जमाने में शासन दिल्ली से होता था और दिल्ली राजधानी थी लेकिन यह भी हमारे देश के बीच में नहीं थी। आज भी आप देखते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली में है, जो बीच में नहीं है। इसी प्रकार से रूस की राजधानी मास्को में है जो रूस के बीच में नहीं है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है जो अमेरिका के बीच में नहीं है और इंगलैण्ड की राजधानी लंदन में है जो बीच में नहीं है, तो यह तर्क बड़ा भारी बलवान और दृढ़ नहीं हुआ। पहले भी यह चीज नहीं थी और आज-कल तो रेल है, तार है, हवाई जहाज है, जिससे आदमी एक जगह से दूसरी जगह आसानी स आ जा सकते हैं और लोग मिल सकते हैं। आज यहां कोई आदमी होता है वह कल इंगलैण्ड पहुंच जाता है। जब दुनिया में इतनी बड़ी स्टेट्स हैं तो हमारे प्रदेश की उनके सामने क्या हैसियत है, तो यह कोई बलवान तर्क नहीं हुआ।

इस सम्बन्ध में एक बात यह कही गई कि कुछ जिले पश्चिम के ऐसे हैं जिनके विकास की तरफ काफी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कुछ दूसरे जिले खास तौर स वह जिले जो प्रदेश के पूर्व में हैं, उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मान लिया जाय थोड़ी देर के लिये कि ऐसा है, लेकिन है नहीं, इसके सम्बन्ध में मैं पीछे कहूंगा। सोचने की बात यह है कि यदि ऐसा है भी तो शिकायत की क्या बात है। आज पश्चिम के जो जिले हैं सम्पन्न हैं, सुखी हैं, समृद्धिशाली हैं। हमारे लिये यह बड़ी खुशी की बात है। वहां आबपाशी का प्रबन्ध है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि जो सम्पन्नता की सामग्री वहां है और उसका जो प्रबन्ध वहां हुआ था तो वह सारा उत्तर प्रदेश की आमदनी से ही तो हुआ था। चाहे वह किसी समय में हुआ होगा और इन जिलों में वह सामान जुटाया गया जिनसे वह सम्पन्न हों तो यह कोई शोभा की बात नहीं है कि अब वह अलग होने की बात कहें। जैसे कोई घर है और उनसे एक भाई को पढ़ाने-लिखाने में रुपया खर्च किया है और जब वह सम्पन्न हो गया और दूसरे भाई के पढ़ान-लिखाने का समय आया तो वह भाई जिसके ऊपर सारे घर ने मिल कर उसको सम्पन्न बनाया था, वह कहे कि मैं तो अलग होता हूं तो यह उसके लिये कोई शोभा की बात नहीं है। अगर यह तर्क मान लिया जाय तो इसका परिणाम क्या होगा? देश के जो दुर्बल हिस्से हैं, जैसे आसाम है और भी कई प्रदेश हैं, जैसे मध्य भारत आदि हैं, जिनके पास रुपया नहीं है और साधन भी नहीं हैं तो क्या उनको भारतीय सरकार के खजाने से रुपया न दिया जाय? बम्बई रुपये वाला है, बना रहे।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जो सुखी है, समृद्धिशाली है, व्यापारी ह और रोजगारी है, वह बना रहे और देश के जो हिस्से गरीब है, जिनके पास साधन नहीं हैं तो क्या उनको हमेशा गरीब बना रहने दिया जाय और उनको केन्द्र से रुपया न दिया जाय ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो यही होना चाहिये कि हर प्रदेश को उन्नति का मौका मिल ताकि देश का कोई हिस्सा, प्रदेश का कोई भी टुकड़ा, कोई भी जिला दूसरे पर बोझ बन कर न रहे, बल्कि सब अच्छी हालत में रहें, सब सम्पन्न रहें और सब सुखी रहें। जब तक कि देश का कोई हिस्सा कमजोर रहता है, कोई हिस्सा संपूर्ण नहीं है, तब तक वह दूसरों के लिये बोझ है, वह दूसरों को भी नीचे खींचेगा। तो प्रदश के कुछ हिस्स ऐस थे कि जिनकी उन्नति का पहले खयाल नहीं किया गया। किन्हीं कारणों से नहरों इत्यादि का प्रबन्ध पहले नहीं हुआ। अगर वहाँ प्रबन्ध किया जाता हो तो उसमें किसी को रंज नहीं होना चाहिये बल्कि खुशी होनी चाहिए कि अब तक जिनकी तरफ ध्यान नहीं गया था वह भी आज हमारे बराबर आ जायंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह खयाल गलत है। अगर पिछले १० वर्षों के आंकड़े लिये जायं तो यह देखा जायगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी बटवारा हुआ है, जो भी यहां खर्च हुआ है वह सर्वथा न्यायोचित हुआ है। किसी एक जगह नहर की जरूरत हुई है तो वहां नहर बनाई गई है, नलकूप की जरूरत हुई तो नलकूप बनाया गया है और बिजली की आवश्यकता हुई तो उसका प्रबन्ध किया गया है। शिक्षा के लिये स्कूलों का प्रबन्ध, अस्पताल का प्रबन्ध और जिस किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय, जनसंख्या को ही ले लीजिये, सब तरह से देखने से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो रुपया-पैसा खर्च किया गया है उसमें कहीं भी किसी हिस्से के साथ अन्याय नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे पास बहुत काफी आंकड़े हैं, मैं उनको दे सकता हूं लेकिन मैं एक वजह से समय नहीं लेना चाहता हूं। स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन के सामने हमने आंकड़े भेजे थे, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक वजह से मैं आंकड़ों को यहां पेश नहीं करना चाहता और वह वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन का जो आधार था वह ही चला गया। उसके विभाजन का आधार यह था कि यहां के १६ जिले दिल्ली के हिस्से के साथ मिलाये जायंगे और इस प्रकार दिल्ली को केन्द्र मान कर एक राज्य बनेगा। वह चीज खत्म हो गई इसलिये कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने यह निश्चय किया है कि दिल्ली का राज्य होगा ही नहीं। जब दिल्ली का राज्य ही नहीं होगा तो जो केन्द्र बनने की बात थी वह खत्म हो गई और वह किस्सा ही चला गया। उस वक्त जो बातें उसके समर्थन में कही गई थीं उनके जवाब में जो आंकड़े पेश किये जा सकते थे उनकी चर्चा करके अब मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—नियम में संकल्प के प्रस्तावक को २५ मिनट बोलने के लिये हैं, और बाकी सदस्य १५ मिनट बोल सकेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—एक दिन बढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष—कुछ भी हो गया हो। २५ मिनट प्रस्तावक को मिनट हैं और १५ मिनट से ज्यादा किसी को बोलने के लिये नहीं मिलेंगे जब तक कि आप नियम को स्थगित नहीं करते। अगर आप नियम को स्थगित कर दें तो दूसरी बात ह।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—चूंकि एक दिन का समय और मिलेगा लिहाजा यह प्रस्ताव मैं करता हूं कि मुख्य मंत्री को अधिक समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्री जी का सवाल नहीं। मैंने तो यह कहा कि नियम यह है। जो मेरे पास सूचना आई है उसके अनुसार करीब ६०-७० आदमी बोलेंगे। तो ऐसी अवस्था में १५ मिनट से ज्यादा मैं दूसरों के लिये नहीं दूंगा। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये आप ज्यादा समय देना चाहते हैं तो प्रस्तावक के लिये नियम में कुछ ढील करने की जरूरत है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जो लोग अमेंडमेंट मूव करेंगे उनको भी १५ मिनट दिये जायंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसी से मैं कह रहा हूं कि अगर उसके लिये आप कोई प्रस्ताव भेजना चाहते हैं तो मेरे पास भेज दें और मैं उसको बाद में ले लूंगा, लेकिन अभी एक-एक आदमी अपनी बात अगर बोलना चाहे तो मैं उसमें समय नहीं देना चाहता हूं।

श्री देवदत्त मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य मंत्री को बोलने के लिये एक घंटे का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ? (किसी के आपत्ति न करने पर) तो ठीक है, प्रस्तावक को बोलने के लिये एक घंटे का समय रहेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—मुख्य मंत्री जी जितने तक बोलना चाहें उनको पूरी छूट हो, लेकिन बाकी बोलने वालों के लिये २० मिनट से अधिक समय नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले एक प्रस्ताव लेता हूं। मुख्य मंत्री जी जिस समय अपना भाषण समाप्त करना चाहें, करें, लेकिन एक घंटे का साधारण समय है।

(किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की, किन्तु कुछ सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

मैं अब किसी को कोई चीज कहने के लिये इजाजत नहीं देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि पुराना प्रस्ताव यह था कि उत्तर प्रदेश से देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, एटा, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर इन जिलों को निकाल लिया जाय और कुछ दूसरे प्रदेश के जिलों को मिला कर नया राज्य बने। अब सरदार पणिक्कर ने जो अपने नोट आफ़ डिसेण्ट में लिखा है उसमें उन्होंने दूसरी राय दी है। उन्होंने देहरादून और पीलीभीत को छोड़ दिया है। वह शायद इस वजह से कि उन्होंने पहड़ी जिलों को उत्तर प्रदेश के साथ रहने दिया। उनके दिमाग़ में यह बात आयी हो कि जब पहाड़ी जिलों को उत्तर प्रदेश में रहने दिया जायगा तो उत्तर प्रदेश के लिये कोई रास्ता रहना चाहिये जिससे उनके लिये रास्ता निकल सके। इस वजह से उन्होंने पीलीभीत और देहरादून को छोड़ दिया। झांसी डिवीजन के कुछ जिले मिला दिये और कुछ हिस्से मध्य भारत के मिला दिये। यह राय उन्होंने नये राज्य को बनाने के लिये दी कि १४ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले, मध्यभारत के कुछ जिले, झांसी डिवीजन के कुछ जिले मिला कर एक आगरा स्टेट बना दी जाय, जिसकी राजधानी आगरा में हो।

यह बात मैंने उस पुराने तर्क के सम्बन्ध में कही जिसकी बाबत मैं इस सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। केवल २, ३ बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सरदार पणिक्कर ने जो बात कही है सम्भव है कि कुछ लोगों के ध्यान में यह बात हो कि उनके प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये। लेकिन इसके विषय में २, ३ पहलुओं से विचार कर लेना चाहिये। इस प्रस्ताव को मानने में कुछ दिक्क़तें पैदा होंगी जिनका जिक्र पणिक्कर साहब ने अपने नोट में नहीं किया है। लेकिन जब हम किसी बात का निश्चय कर लेते हैं तो उसका असर बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक जा कर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बड़ेगा, क्योंकि इससे राज्य की सीमा बदलती है और सीमाएं रोजबरोज नहीं बदला करती हैं। इस कारण इस पर कई पहलुओं से गौर करना चाहिये कि इसमें क्या-क्या दिक्कतें उत्पन्न होंगी। मान लीजिये कि इस राज्य का झांसी डिवीजन और १४ जिले और मध्यभारत के कुछ हिस्से, इन सब को मिला कर एक नया राज्य बनाया जाय, तो अब हमको यह सोचना चाहिये कि जो नया राज्य बनेगा वह अपना खर्चा चलाने के लिये अपना भार उठा सकेगा या नहीं। झांसी डिवीजन हमारे प्रदेश के उन हिस्सों में है जो इस प्रदेश के ग़रीब जिले कहलाते हैं। झांसी डिवीजन अपना खर्चा अपने से नहीं चला सकता है। प्रदेश के और हिस्सों ने मिल कर वहां लोगों की भलाई के लिये काम किये हैं और किये जा रहे हैं। ललितपुर बांध बनाया गया है। माताटीला बांध बनाया जा रहा है। झांसी डिवीजन के मिल जाने से रुपये-पैसे के मामले में वह कोई मदद नहीं दे सकता है। मध्य-भारत भी ऐसा नहीं है जो अपना खर्चा उठा सके। इसके माने यही होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो १४ जिले होंगे उनको ही यह सारा बोझा सम्भालना होगा। झांसी डिवीजन के जो जिले हैं उसका बोझा सम्भालना होगा और मध्यभारत का बोझा भी अपने कन्धों पर लेना होगा। एक बात और याद रखने की है और वह यह है कि जब कभी बटवारा होगा उसमें प्रदेश के देने और पावने का भी बटवारा होगा। उत्तर प्रदेश के ऊपर जो ऋण है जो पब्लिक डेट है उसमें भी हिस्सा बटाना होगा और उस पब्लिक डेट का जो बटवारा होगा वह इस दृष्टि से होगा और उसमें यह देखना होगा कि कर्जा किस साल लिया गया और किस-किस काम के लिये लिया गया। यदि कोई ऐसा क़र्जा लिया गया है कि जिस कर्जे से किसी खास जिले को फ़ायदा हुआ है तो जाहिर है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रदेश के उन जिलों पर पड़ेगा। इस बात को भी समझ लेना चाहिये कि इस लायबिलिटी को ले कर आप फिर चलेंगे और इसके अलावा झांसी डिवीजन और मध्यभारत के जिलों का भार भी उठा सकेंगे या नहीं, यह सोचने की बात है। फिर आप गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से क़र्ज ले कर अपना काम चलायेंगे और उनसे ही लेते रहेंगे। यह बात शायद सोचने पर कोई बटवारे की बात को पसन्द नहीं करेगा। किसी से मदद न लेकर अपने रेवेन्यू के बल पर अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाना बहुत मुश्किल होगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।

ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी दिक्क़त होगी। इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन मध्य भारत के शासन का स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है। यह एक सत्य बात है। वह राज्य बड़ा नहीं था एक छोटा-सा राज्य था। मुझे मध्य भारत का थोड़ा-सा निजी अनुभव भी है। मैं प्रिन्सेज कालेज में तीन साल तक रह चुका हूं। उस राज्य के हर हिस्से से परिचित हूं। रूलिंग प्रिन्सेज में कई मेरे विद्यार्थी हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। मैं काफी उस हिस्से से वाकिफ हूं और वहां के काफ़ी हिस्से से वाकफियत है। वहां ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां कि यू० पी० के रिटायर्ड हेड कानिस्टेबिल जा कर इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस रहे हैं। जब मध्यभारत बना तो उसमें जहां कि बड़ी-बड़ी स्टेट्स ग्वालियर और इंदौर जैसी मिलीं वहां कुछ छोटी-छोटी स्टेट्स भी मिलीं। यद्यपि उन्होंने वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने का भरसक प्रयत्न किया लेकिन वह इन ५–६ सालों में उसको एक-सा और ठीक न कर पाये, न तो जस्टिस के मामले में और न ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। अगर उसको उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया जायगा तो उसके शासन का स्तर बिल्कुल ही अलग होगा तथा उसके मिलने से बड़ी तकलीफ़ होगी, दिक्क़तें पैदा होंगी। कुछ लोग जो सरदार पणिक्कर के सुझावों से संतुष्ट हो कर और भी स्थानों को अपने में मिलाना चाहते हैं, वे इन करीब १४ जिलों के साथ बड़ा अन्याय करेंगे। मुख्य प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने की बात क्यों सोची जाती है?

प्रान्तों के बटवारे के सम्बन्ध में एक आधार भाषा का माना गया है और भाषा के आधार पर कुछ स्टेट्स बनी हैं। भाषा के आधार पर जब प्रान्त बनाये जाते हैं और उसमें मराठी बोलने वालों का एक प्रान्त, गुजराती बोलने वालों का एक प्रान्त, बंगाली बोलने वालों का एक प्रान्त बनाया जाता है तो फिर बेचारी गरीब हिन्दी को क्यों भुला दिया जाता है?

उसके बारे में जब हम खयाल करते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य-भारत और विंध्य प्रदेश को मिला कर एक प्रान्त बना दिया जाय। अगर यह विचार प्रकट किया जाता तो किसी हद तक ठीक होता और यह खयाल किया जाता कि जब मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र प्रान्त, गुजराती भाषा के लिये गुजरात प्रान्त, बंगाली भाषा के लिये बंगाल प्रान्त और इसी प्रकार से तामिल भाषा के लिये तामिल प्रान्त और तेलगू भाषा के लिये तेलगू प्रान्त की बात सोची गयी तो हिन्दी के लिये भी हिन्दी भाषी प्रदेश हो अगर ऐसा सोचा जाता तो बात कुछ समझ में आ सकती थी। मैं यह नहीं कहता कि इतने बड़े राज्य का बनाया जाना प्रैक्टिकल बात हुई होती लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि उस समय ऐसी बात अवश्य कही जा सकती थी कि हिन्दी बोलने वालों का एक प्रान्त बनाया जा रहा है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि एक तरह की भाषा बोलने वालों के प्रान्त के दो टुकड़े क्यों किये जा रहे हैं। हमारे प्रान्त में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक ही भाषा बोली जाती है, चाहे उसके डायलेक्ट कुछ भी हों। तो फिर यह बात समझ में नहीं आती कि हम लोगों को क्यों अलग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सतयुग, द्वापर, त्रेता अथवा कलयुग की बात नहीं कहता लेकिन वर्तमान में हमारा जो प्रान्त ह, उसके जो रहन वाले हैं उनकी एक विशिष्ट कल्चर है। यहां के रहने वालों की संस्कृति, सभ्यता, रस्म-रिवाज, बोलचाल और आचार-विचार एक से हैं, और जगह कुछ भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके उठने-बैठने और बोलचाल तथा बर्ताव का जो तरीका है उसमें कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ लोग उसको अवश्य जरूरत से ज्यादा फार्मल समझते हैं लेकिन वह यहां की खास तहजीब है। इस प्रकार की कल्चर का आधार भी हमारे आपस का बहुत बड़ा बन्धन है। इसका भी हमें खयाल करना चाहिये।

बार-बार ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत पहले हमारा प्रान्त इस प्रकार का नहीं था, केवल १००–१५० वर्षों से ही ऐसा है। लेकिन यह भी एक छोटी चीज नहीं है, थोड़ा समय नहीं है। मान लिया जाय कि यहां के आदमी साथ-साथ अंग्रेजी शासन-काल में ही आये लेकिन इतन दिनों में यहां आपस में इतनी ज्यादा एकता आ गयी है जिसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। हमारा दश एक कृषि प्रधान देश है और विशेष रूप से हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। हमारे यहां सारे प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अन्त हो गया है तथा लैंड टेन्योर का जो सिस्टम है वह सब एक-सा है। जितना भी ऐडमिनिस्ट्रेशन है, ग्राम पंचायतें और अदालती पंचायतें हैं, वे सार प्रदेश में एक समान ह। इस प्रकार से सारे प्रदेश में एक प्रकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तरीक़ा भी सारे प्रदेश में एक समान ही है। जहां तक शिक्षा का संबंध है एक ही प्रकार की किताबें सारे प्रदेश में पढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार से अगर इस प्रदेश के कुछ भाग को मध्य भारत या और किसी प्रदेश के किसी भाग से मिला दिया जायगा तो वहां की हालत ही दूसरी होगी। वहां दूसरे ही प्रकार की लैंड टेन्योर होगी, वहां का सिस्टम दूसरा ही होगा, कानून भी वहां दूसरे ही प्रकार के होंगे और इस प्रकार से बिल्कुल बेजोड़ मेल पैदा करने में दिक्क़त हो जायगी, जिसमें सबको तक़लीफ़ होगी, उनको भी शायद तक़लीफ़ होगी। यहां के लोगों को तो जरूर ही तकलीफ़ होगी इस तरह के बेजोड़ मेल से।

हमने अपने प्लान्स आगे के लिए बनाये हैं उन प्लान्स की तरफ़ आप ध्यान दें। बिजली की ही बात है, आजकज के जमाने में बग़ैर बिजली के तरक्की नहीं हो सकती। हमने बिजली के प्रोजेक्ट्स पश्चिम में भी बनाये हैं और इधर रिहन्द डांम के भी बनाये हैं यानी दोनों तरफ बिजली के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों तरफ से कानपुर तथा इलाहाबाद में आकर हमारी यह स्कीम एक में मिल जावगी। बिजली के के लिये सारे स्टेट की तस्वीर हमारे सामने है, पावर इरीगेशन की तस्वीर हमारे सामने है। जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है चाहे वह बड़ी इंडस्ट्री हो या छोटी इंडस्ट्री हो, वह हमारे सामने है। बड़ी इंडस्ट्रीज को ही आप देखें, मोदीनगर जो पश्चिम में है वहां इतनी बड़ी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इंडस्ट्रीज चल रही हैं, गाजियाबाद में हमारी इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही हैं जो पश्चिम में ही है। जहां तक पूरब की बात है यह प्रकृति की देन है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी हमें मिर्ज़ापुर जिले में ही खोलनी पड़ी। हम पूरब तथा पश्चिम सारे प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं। जहां तक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की बात है, जहां बनारस, मऊ में हम टेक्सटाइल को तरक्की दे रहे हैं, वहां मुरादाबाद में बर्तन को तरक्की देने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम के जिलों में स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को तरक्की देने के लिये भी कोशिश कर रहे हैं। उन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए आज हमारे प्रदेश में हजारों पड़ एश आदि के लगाये जा रहे ह जिनकी लकड़ी से वे सामान बन सकें। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में क्रिकेट, हाकी आदि खेलों के लिये सामान तैयार किये जाते हैं जिनके लिये खास तौर से पश्चिमी जिलों में ही हजारों पेड़ लगाये जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से शहतूत के पेड़ लगाये जा रहे हैं जिससे हम रेशम के कीड़े पाल सकें और रेशम इंडस्ट्रीज की तरक्की कर सकें। तो हमारे सामने चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हों, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात हो, उन सब की तरक्की की बात हमारे सामने है और इसलिये जो हमारा अगला पंचवर्षीय प्लान आवेगा उसमें पूरब-पश्चिम की कोई बात नहीं है, उसमें सारे स्टेट की तस्वीर आपको दिखलाई पड़ेगी। अगर इसमें किसी तरह के हेर-फेर की बात की गयी तो पूरब का प्लान भी छिन्न-भिन्न हो जायगा और पश्चिम का प्लान भी छिन्न-भिन्न हो जायगा। मध्य भारत की सूरत दूसरी थी, विन्ध्य प्रदेश की सूरत दूसरी थी और उन्होंने जो अपना प्लान बनाया है वह वहां की परिस्थिति के अनुसार बनाया है और हमारे यहां का जो प्लान है वह हमारे यहां की परिस्थिति के अनुसार बनाया गया है। दोनों में बहुत फर्क है और अगर दोनों को मिलाया जाय तो एक अजीब चीज हो जायगी और दोनों में से किसी के लिये भी वह लाभदायक नहीं होगी।

बार-बार खासतौर से सरदार पणिक्कर ने और वे लोग जो उनके साथ थे उन्होंने कई मर्तबा इस बात पर जोर दिया है कि बड़े साइज का स्टेट नहीं होना चाहिये। अगर बड़े स्टेट की बात की जाती है तो कवल उत्तर प्रदेश ही बड़ा नहीं है। जहां सरदार पणिक्कर ने उत्तर प्रदेश के बड़ा होने पर एतराज किया है वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी बड़ा मध्य प्रदेश को बनाने की सिफारिश की है जिसमें मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और भूपाल भी शामिल हैं। वह मध्य प्रदेश जो मौजूदा उत्तर प्रदेश अनडिवाइडेड है उससे भी ३०, ४० हजार स्क्वायर मील बड़ा है। फिर उत्तर प्रदेश ने ही कौन-सा बड़ा पाप किया है जो कहा जाता है कि इतना बड़ा स्टेट नहीं होना चाहिये। जिस कलम से उत्तर प्रदेश के लिये लिखा गया है कि इतना बड़ा स्टेट नहीं होना चाहिय उसी कलम से वहीं लिखा गया है कि मध्य प्रदेश बने जो १ लाख ७१ हजार स्क्वायर मील का होगा। जहां तक पापुलेशन की बात है, जरूर हमारे यहां पापुलेशन ज्यादा है लेकिन डेंसिटी आफ़ पापुलेशन देखा जाय तो कई जगह से जैसे ट्रावनकोर कोचीन, वस्ट बंगाल, बिहार आदि से बड़ा उत्तर प्रदेश नहीं है। लिहाजा इस दृष्टि से भी नहीं कहा जा सकता है कि हमार यहां की पापुलेशन ज्यादा है। मैंने अभी आप के सामन मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि एक तरफ़ तो इतनी बड़ी यूनिट है, दूसरी तरफ़ हैदराबाद के कुछ हिस्से तथा आंध्र को मिला कर एक विशाल आंध्र बनाने की बात चल रही है, मैसूर तथा तेलंगाना के कुछ हिस्से को मिला कर कर्नाटक को बनाने की बात है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि इतने बड़े-बड़े स्टेट तो बनें लेकिन उत्तर प्रदेश के टुकड़े-टुकड़े जरूर कर दिये जायं, आखिर इस ग़रीब उत्तर प्रदेश ने कौन-सा बड़ा पाप किया है? यह लाजिक (तर्क) मेरी समझ में नहीं आ सकी।

एक बात और भुलायी जाती है कि बड़े-बड़े टुकड़े होने से देश का फायदा भी हो सकता है। छोटे-छोटे टुकड़े भले ही हों लेकिन अगर कभी भारत की सेक्योरिटी, भारत की सुरक्षा का सवाल चाहे वह भीतरी हो या बाहरी किन्हीं कारणों से पैदा हो तो भारत की रक्षा में बड़े-बड़े यूनिट ही सफलीभूत हो सकते हैं। हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जब सन् १९४७ ई० में पाकिस्तान बनने का सवाल पैदा हुआ उस वक्त हमारे प्रदेश के फ्रंटियर

पर और पंजाब में जो सूरत पैदा हो गयी थी और जिसमें पंजाब चौपट हो गया और वहां क्या बर्बादी नहीं हुई, बिहार में भी तमाम रायट्स हुए। लेकिन आप जरा सोचें कि अगर इस प्रदेश में वही सूरत हो जाती और वैसी ही आग भड़क उठती तो मैं समझता हूं कि सारे भारत को कोई ऐसे वक्त में सम्भाल नहीं सकता था, और मेरा और सभी का खयाल होगा कि केवल एक बड़ी स्टेट होने के कारण यह प्रदेश उस आग को फैलने से रोक सका और बड़े होने के नाते चूंकि उसमें शक्ति थी इसलिये उस वक्त सारा भारत सम्भल गया और उस नाजुक वक्त से निकल सका। हमारा जो तिब्बत और चीन का फ्रंटियर है उसकी रक्षा करना वैसे केन्द्रीय सरकार का काम है लेकिन आपको मालूम होगा कि उस तमाम फ्रंटियर पर रक्षा के लिये कोई भारत सरकार की फौज नहीं है, बल्कि उस १८ हजार फुट की ऊंचाई पर इसी विशाल प्रदेश की पुलिस रहती है और कहा जाता है कि वह १८,००० फुट की ऊंचाई पर यहां का सबसे बड़ा और ऊंचा पुलिस आउटपोस्ट है। इसके अलावा ईश्वर न करे कि कभी समय पड़ जाय तो जो देश की बड़ी स्टेट्स हैं वही भारत सरकार की हर तरह की मदद कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति और पैसा भी होता है और काफी पुलिस आदि रखने की ताक़त होती है। कोई कमजोर स्टेट रक्षा नहीं कर सकती, वह तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती और जिस हद तक, वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती उस हद तक तो वह केन्द्रीय सरकार को ही कमजोर बनाती है, क्योंकि उसको मजबूर हो कर अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी। इसलिये समस्त देश की भलाई की दृष्टि से भी यह परम आवश्यक है कि भारत की रक्षा के लिये कुछ बड़ी-बड़ी स्टेट्स यहां रहें। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि सुरक्षा की नजर से एक मजबूत स्टेट बीच में बनी रहना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस बात को सभी लोग समझते होंगे।

बड़ी स्टेट होने से कौन सा एक अजीब हौवा सामने आ जाता है। बहुत से लोग इस बात से भी घबराते हैं कि इस प्रदेश के बहुत से लोग पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। जो हमारे उन १३–१४ जिलों के भाई हैं वह शायद न कहते हों लेकिन वैसे कहा जाता ह कि उत्तर प्रदेश कोई हौवा है। पार्लियामेंट में या सेन्ट्रल गवर्नमेंट में अगर इस प्रदेश के आदमी अधिक पहुच गये हैं तो इसको क्या किया जाय? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किसी से पूछ कर तो जन्म प्रयाग में लिया नहीं था, और यह उनक पिछले जन्म के पुण्यों का फल रहा होगा, जिनको देश योग्य समझता है, जो किसी पद के लायक होता है वह पहुंच जाता है। रही पार्लियामेंट के मेम्बर बनने की बात तो वह तो आबादी के लिहाज से बनते हैं। पणिक्कर साहब ने लिखा है कि इसमें फेडरल प्रिन्सिपल नहीं माना गया है और कांस्टीट्यशन में प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होनी चाहिये चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो। मैं कहता हूं कि चाहे सरदार पणिक्कर हों या और कोई भी शख्स हो वह बताये कि इस प्रदेश के किसी भी मेम्बर ने या किसी जिम्मेदार आदमी ने कभी भी कोई प्रान्तीयता दिखाई है? उत्तर प्रदश में कभी भी प्रान्तीयता या प्राविन्शियलिज्म को कोई स्थान दिया गया है? हमारे यहां अभी तीन-चार वर्ष पहले इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस जैसे जिम्मेदार पद पर एक बंगाली सज्जन थे, डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन, श्री घोष एक बंगाली सज्जन थे, श्री घोशाल, काटेज इंडस्ट्रीज के डायरक्टर रहे, हेल्थ के डिप्टी डायरेक्टर श्री बनर्जी रहे, चीफ़ जस्टिस यहां बंगाली सज्जन रहे और एक साथ चार-चार, पांच-पांच बंगाली थे जो यहां बड़े पदों पर रहे और हमारे यहां कभी यह सवाल नहीं उठा कि मदरासी, गुजराती, बंगाली या महाराष्ट्री में कोई भेद है और आज भी हमारे यहां दूसरे प्रदेशों के लोग मौजूद हैं। हमने कभी कोई प्रश्न प्राविन्शियलिज्म का नहीं उठाया। कोई नहीं कह सकता कि यहां के पार्लियामेंट के सदस्यों ने कभी भी पार्लियामेंट में कोई प्रान्तीयता बर्ती हो। फाइव ईयर प्लान चली, उसमें उन लोगों ने कौन-सा खज़ाना लाकर इस प्रदेश में भर दिया या कोई बताये कि किस मौक़े पर यहां के लोगों ने प्रान्तीयता बर्ती? अगर यहां के मेम्बर अधिक ह तो इससे भी देश का कोई नुक़सान नहीं होता। अगर किसी का यह खयाल है कि जो बड़ा भारी फेडरल सिद्धान्त है कि जितने छोटे-बड़े राज्य हैं सबके प्रति-

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

निधियों की संख्या बराबर हो तो उसके लिये वह विधान को पहले बदलवा दें। बड़े प्रदेशों से ५ मेम्बर पहुंचें, कुर्ग और आसाम से भी पांच-पांच और यहां से भी पांच पहुंच जायं लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कहां आती है, अगर संविधान में कोई ग़लत बात वे समझते हैं तो उसको वे पहले बदलवायें लेकिन इससे उत्तर प्रदश के बटने की बात नहीं पैदा होती। संविधान के बदलने में दो दिन, चार दिन, दस दिन की बात होगी लेकिन अगर प्रदेश का विभाजन हो जायगा तो उससे तो पुश्त दर पुश्त की ख़राबी वाली बात होगी और इससे इतना बड़ा लम्बा-चौड़ा नुक्सान हो सकता है कि वह भयानक चीज भी हो सकती है। इस दृष्टि से भी और किसी भी दृष्टि से यह उचित नहीं कहा जा सकता कि इस महान् प्रदेश का विभाजन हो और इनके अतिरिक्त और कोई आगूमेंट्स नहीं हैं जिनका मैं जवाब दूं। मैंने इन बातों को आप के सामने रख दिया है और अब उसके परिणाम को आपके सामने रखता हूं कि जैसा उत्तर प्रदेश आज है वैसा ही यदि वह बना रहेगा तो उसी में हमारा कल्याण है और सारे देश का कल्याण है।

मैं एक बात का ज़िक्र और करना चाहता हूं। जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ बाउंडरीज के सम्बन्ध में अगर थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने की जरूरत हो या जरूरत पैदा हो सकती है तो उसके सम्बन्ध में एक चीज हमने की है वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमने कभी नहीं चाहा और न कभी दूसरे स्टेट के हिस्सों को अपने यहां मिलाने की बात रखी है। लेकिन जब रिपोर्ट पेश हो गयी और सामने आ गयी है तो दिल्ली में जो चीफ़ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें मैंने निवेदन किया था और अब गवर्नमेंट की तरफ से लिखा भी है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी का कोई हिस्सा लें और हमने शुरू से कभी नहीं कहा लकिन जब कि रिपोर्ट में तय हो गया है कि विन्ध्य प्रदेश इत्यादि को तोड़ना है तो जो वहां के लोग चाहें सो हो। लेकिन विन्ध्य प्रदेश का एक छोटा-सा हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। उस हिस्से को बघेलखंड कहते हैं। उस हिस्से की बाबत अगर विन्ध्य प्रदेश ज्यों का त्यों रहता हो तो हमें कुछ अर्ज़ नहीं करना है लेकिन अगर यह तय कर दिया जाय कि विन्ध्य प्रदेश को तोड़ना है और उसको किसी और में मिलाना है तो वह हिस्सा जिसमें बघेलखंड का भाग है जो रीवां स्टेट के पास का हिस्सा है वह उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय तो उससे अच्छा होगा। वहां के लोग भी दौड़ रहे हैं और रोज़-रोज़ दिल्ली तक दौड़ रहे हैं और वहां के लोगों की इच्छा भी है। लेकिन यह हमने इसलिये किया है कि हमारा जो रिहंद डैम है आप जानते हैं कि उसमें १८० स्क्वायर मील की लेक बन रही है। उसमें करीब १४० मील तक तो उत्तर प्रदेश में है और ३० मील के करीब रीवां स्टेट में पड़ता है। तो यह छोटा-सा भाग इस लेक का विन्ध्य प्रदेश के पास है। अब १४० स्क्वायर मील तो उत्तर प्रदेश की स्टेट के शासन में रह और ३० मील बिन्ध्य प्रदेश की स्टेट के शासन में रहे तो उचित नहीं है। यह बहुत छोटा-सा टुकड़ा है। एक चीज और है जब विन्ध्य प्रदेश ने इस जमीन को देना मंजूर किया था तो उस समय एक समझौता हुआ था कि जो बिजली यहां पैदा होगी उसमें से उनको दी जाएगी। अब जहां तक इन राज्यों के समझौते की बात है उनमें आगे चल कर विवाद हो सकता है। हम कहेंगे कि हमने इतना देने को कहा था और वे कहेंगे कि नहीं तुमने काफी देने को कहा था कि हम काफी देंगे। लेकिन अगर यह बड़ा छोटा-सा टुकड़ा आ जाय तो इसमें आसानी होगी। यदि यह कहा जाता है कि साहब वहां कुछ मिनरल्स हैं, कुछ खनिज पदार्थ हैं। तो अगर वह हमको मिल जायं तो मिल जायं। इसमें तो कोई अन्याय की बात हमने नहीं की। इस वक्त मध्य प्रदेश का वह हिस्सा, हिन्दुस्तान का खनिज पदार्थों की दृष्टि से सब से सुन्दर और सब से बड़ा हिस्सा बस्तर स्टेट है, जिसको उड़ीसा वाले भी चाहते हैं, जिसे आन्ध्र वाले भी चाहते हैं। वैसे तो बस्तर स्टेट बहुत ही छोटा-सा राज्य भले ही है लेकिन खनिजों की दृष्टि से बहुत ही अमीर है। वह भाग मध्य प्रदेश को दे दिया गया है। तो अगर एक छोटा-सा भाग रिहंड डैम के महत्व को देखते हुए इधर

या जाता है और उस भाग के उस भूमि के कुछ मिनरल्स भी इस प्रदेश को चले आते हैं तो उससे मध्य प्रदेश का कोई नुक्सान नहीं होगा। तो बस इतना तो मैं मिनरल्स आदि के एक्स्प्लाइट करने की बात के बारे में कहता हूं और उस सम्बन्ध में अधिक कोई बात नहीं है। जहां तक बाउंडरीज मिलाने की बात है मैं इतना निवदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश किसी का कोई नुक्सान नहीं चाहता है। देश की सुरक्षा, उसकी भलाई की दृष्टि से हम सब कुछ करना चाहते हैं।

अब अन्त में बैठने के पहले मैं एक अपील करना चाहता हूं। हम चार दिन इस पर विवाद करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय देने का अख्तियार है, लेकिन अभी जिस सभ्यता और संस्कृति का मैंने जिक्र किया था उसका लिहाज करते हुये चाहे उत्तर प्रदेश एक रहे जैसा मेरे जैसे लोग चाहते हैं और चाहे उसके टुकड़े हो जायं, चाहे दो, चार, दस-बीस और चाहे सैकड़ों टुकड़े हो जायं, लेकिन तब भी हम आशा करते हैं कि हर हालत में हम जो भी अपनी तहजीब है, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता है उसको नहीं छोड़ेंगे। जो भी चार दिन के अन्दर डिवेट होगा उसमें कड़वी बात नहीं होगी। किसी व्यक्ति के किसी इरादे पर कोई आक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सिद्धान्तों की बातें हो सकती हैं और बगैर किसी कड़वी बातों के और अगर ऐसी बात होगी तो वह उत्तर प्रदेश के गौरव के सर्वथा अनुकूल होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष––अब इस विषय पर पहले विचार हो जाय कि बाकी सदस्यों को समय थोड़ा दिया जाय या ज्यादा दिया जाय इसके ऊपर विचार करना है या नहीं। मैं तो समझता हूं कि १५ मिनट का समय काफी होगा। कुछ लोगों की तरफ से मेरे पास यहां तक खबर आई है जिसमें वे कहते हैं कि हमको चाहे ५ मिनट दे दिया जाय, ७ मिनट दे दिया जाय, लेकिन बोलने का अवसर अवश्य दिया जाय। यहां तक मांग है क्योंकि हर एक को अपने-अपने जिले की दृष्टि से भी कुछ विचार करना पड़ता है और इस दृष्टि से भी विचार करना पड़ता है जैसे कि कुछ लोगों के ऐसे विचार हैं कि हमारे पड़ोस के जिले जोड़े जायं। तो हर एक आदमी चाहेगा कि वह अपना प्वाइंट आफ व्यू रख सके। इसलिये १५ मिनट वैसे काफी हैं नहीं तो फिर पीछे से लोग बोल नहीं सकेंगे और ५–५ मिनट देने की नौबत आ जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––मेरा एक सुझाव है जो आपने १५ मिनट की बात कही वह तो ठीक है, लेकिन माननीय श्रीचन्द्र जी को कम से कम २५ मिनट मिलने चाहिये, क्योंकि सारी स्टेट के खाके को सामने रखकर अपोजीशन को लीड किया है। उन्हें मौका मिलना चाहिये कि सदन के सामने वे अपनी सारी बातों को रख सकें, ताकि हम उन पर विचार कर। इसी तरह से २५ मिनट माननीय नेता विरोधी दल को भी मिलें, ताकि वे अपने विचार रख सकें। इसके अलावा सबको १५, १५ मिनट मिलने चाहिये।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)––उपाध्याय जी ने स्वयं माना कि इस प्रश्न पर बिरोधी दल के नेता का काम श्री श्रीचन्द्र जी कर रहे हैं। इसलिये श्रीचन्द्र जी का जहां तक सवाल है.....

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि आप जरा अनुचित सी बात कह रहे हैं। यह उनके ऊपर टीका है।

मैं समझता हूं कि इस तरह से रखा जाय कि विरोधी दल के नेता को २५ मिनट और जो स्वतंत्र दल है उनकी भी मांगें हैं लिहाजा राजा साहब जगम्मनपुर के लिये भी २५ मिनट रक्खे जायं और श्रीचन्द्र जी के लिये भी २५ मिनट रख दिये जायं। तीन आदमियों के लिये २५, २५ मिनट रक्खे देता हूं और बाकी लोगों के लिये १५, १५ मिनट।

(इस क्रम पर श्री अध्यक्ष ने श्री नरदेव शास्त्री का नाम पुकारा, किन्तु श्री शास्त्री ने कहा कि वे अपना संशोधन उपस्थित करना नहीं चाहते। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि बाद में उनको बोलने का अवसर दिया जायगा।)

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य संशोधन पेश करें वही सामने आयें। माननीय श्रीचन्द्र, आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शास्त्री जी के संशोधन का समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरा और उनका संशोधन करीब-करीब एक ही है।

श्री अध्यक्ष—वे अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहते हैं। आप अपना पेश करना चाहते हैं ?

श्री श्रीचन्द्र—जी हां, पेश करना चाहता हूं।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से·····

श्री अध्यक्ष—आप संशोधित रूप में अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री श्रीचन्द्र—जी हां, मैंने कुछ परिवर्तन कर दिये हैं, जो मैंने कल दे दिये थे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे छपे हुए संशोधन की पंक्ति २ में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जाय—

शब्द "से" और "पूर्णतया" के बीच में यह शब्द जोड़ दिये जायं "उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में" और तीसरी पंक्ति में से "श्री के० एम० पणिक्कर" से लेकर "बना दिया जाय" के स्थान पर····

श्री अध्यक्ष—उसे आपने पेश नहीं किया है। वह तो केवल कार्यक्रम में है। इस लिए कौन से शब्द निकाल दिये जायं और कौन से जोड़ दिये जायं, यह न कहिए। आप संशोधित रूप में अपना संशोधन पढ़ दीजिये।

श्री श्रीचन्द्र—मेरा संशोधन यह है कि प्रस्ताव के स्थान पर ये शब्द रख दिये जायं—

"यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग के माननीय सदस्य श्री के० एम० पणिक्कर के नोट से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों के पुनर्गठन के संबंध में पूर्णतया सहमत है और इस बात का आग्रह करता हूं कि देश के आर्थिक प्रबन्ध और संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों, महेन्द्रगढ़ जिला, अम्बाला डिवीजन, पुरानी दिल्ली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर से सम्मिलित कुछ छोटे-छोटे परिवर्तनों के साथ एक नया प्रदेश बना दिया जाय।"

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जो डेढ़ वर्ष से यह बातें चल रही हैं इस सम्बन्ध में हमने अपने तीन मेमोरेंडम राज्य कमीशन के पास भेजे और जैसी स्थिति आयी उसी प्रकार से उसमें परिवर्तन भी हुए। जो हमारा अन्तिम मेमोरेंडम है, यह हमने भेजा है, उत्तर प्रदेश के १६ जिले, पांच जिले मेरठ डिवीजन के, पांच आगरा डिवीजन के, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल, पेप्सू से महेन्द्रगढ़, पंजाब से अम्बाला डिवीजन और पुरानी दिल्ली। एक प्रकार से तो यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और दूसरे प्रकार से दूसरा राज्य भी बड़ा बनाया जा रहा है। दिल्ली इस वास्ते लिया है कि पश्चिमी जिलों में जो कुछ भी व्यापार होता है उसका दिल्ली से सम्बन्ध है। यदि दिल्ली जैसा स्थान वहां राजधानी बनता है तो जितने व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए बड़ी सहूलियत होगी और दूसरा कारण यह भी है कि वहां पर बना-बनाया सेक्रेटेरिएट और दफ्तर आदि हैं वे न बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमने दिल्ली को शामिल किया है। यह बात बिलकुल गलत है कि हम किसी के कहने से प्रेरित हुए हों या किसी के कहने से किसी की तरफ गये हों। जैसा कि पहले भी कहा गया है यह कार्य देश की उन्नति के लिए किया गया है।

रहा दूरी का प्रश्न। किसी भी स्थान को लीजिये डेढ़ सौ मील से अधिक दूरी नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे प्रदेश में चार सौ मील तक, साढ़े तीन सौ मील तक फासला

मुजफ्फरनगर, मेरठ से इलाहाबाद, लखनऊ का पड़ता है। यह कहा जाता है कि आजकल रेलवे, तार और हवाई जहाज इत्यादि ऐसे हो गये हैं कि जिससे जनता को बड़ी सहूलियत है। लेकिन ये चीजें तो हमारे मिनिस्टरों और बड़े-बड़े आदमियों के लिए हैं। वह बड़ी आसानी से हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं, मेल ट्रेन में सफर कर सकते हैं। परन्तु गरीब जनता को देखिये जिसको डाक गाड़ी में जाना पड़े या हवाई जहाज में जाना पड़े, उनको कितनी कठिनाई होती है। जनता के लिए केवल हाई कोर्ट का ही सवाल नहीं है बल्कि जनता के जितने भी मनुष्य हैं, चाहे सरकारी नौकर हों, चाहे व्यापार करने वाले हों, खेती करने वाले हों, कोई भी हो समस्त पश्चिमी जिलों की जनता को लखनऊ और इलाहाबाद आना पड़ता है। उनके व्यय और समय के नष्ट होने का कहीं ठिकाना ही नहीं है। इसका हिसाब लगाना बड़ा कठिन है, परन्तु मैंने एक हिसाब लगाया और अपने माननीय सदस्यों के सामने मैंने बजट के अवसर पर यह भी कुछ साइक्लोस्टाइल्ड निकालकर दिखलाया था और बतलाया था कि टी० ए० और डी० ए० में सरकारी अफसरों के १५० मील से अधिक फासला होने पर कितना व्यय पड़ता है। १,००० से कम की टी० ए० की मद को छोड़ दिया था। उसमें पौने दो करोड़ से अधिक रुपया खर्च होता है। इस प्रकार से अगर नजदीक राजधानी हो तो राजधानी के पास जितने भी आफिसर्स होंगे प्रबन्ध ठीक करेंगे। पंचवर्षीय योजना में पश्चिम में ७ करोड़ और पूर्व में ७८ करोड़ रुपया व्यय होगा। मिनिस्टर्स इत्यादि का तो मैंने खर्चा नहीं जोड़ा था, सरकार बड़ी आसानी से सब बातों को देख सकती है और वहां निकट स्थान पर सुचारु रूप से प्रबन्ध कर सकती है और जो इतना रुपया नष्ट होता है बेकार, उसी रुपये से नयी स्टेट बन कर चल सकती है। बड़ी स्टेट होने के कारण एक दूसरी भी असुविधा है। आप देखें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पांच से अधिक डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, वह इसलिए कि उत्तर प्रदेश दूर तक फैला हुआ है जैसे मेरठ और बरेली इत्यादि में डिप्टी डायरेक्टर्स को रखना पड़ा। तो इसका कारण क्या है ? यहां डिप्टी डाइरेक्टर्स अलग-अलग स्थानों पर रखने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि दूरी अधिक है। वहां का प्रबन्ध नहीं कर सकते थे बगैर उनके रखे हुए, इसलिए उनको रखना पड़ा। यदि १५० मील के अन्दर हो तो एक डिप्टी डाइरेक्टर, एक डाइरेक्टर रखना ही काफी होगा। ये हैं असुविधायें जिनके कारण यह सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं। रहा यह कि जितने हमारे सरकारी नौकर हैं, वे लापरवाह हैं। मैं यह बात मानता हूं कि हवाई जहाज से जल्दी जा सकते हैं, लेकिन यह विचार हर जिले के सब व्यक्तियों का है कि हमसे बड़ी दूरी पर हमारी राजधानी लखनऊ और इलाहाबाद हैं और वहां से आसानी से प्रत्येक बड़ा अफसर या मिनिस्टर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए सरकारी अधिकारी कुछ मुमराह रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। यदि नजदीक हो तो कार में बैठ कर किसी वक्त भी वह जा सकते हैं और पूरी निगरानी रखी जा सकती है। बड़े होने के कारण यह परेशानी है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जब तक यह बड़ा उत्तर प्रदेश रहेगा इस प्रकार से इसका सुचारु रूप से प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

किसी देश को खयाल किया जाता है बड़ा, उसकी आबादी के कारण। क्षेत्रफल के कारण बड़ा नहीं समझा जाता है। जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि उत्तर प्रदेश से और बहुत से अनेक प्रदेश बड़े हैं, वे क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं, लेकिन आबादी के अनुसार बड़े नहीं हैं। कोई देश प्रबन्ध के रूप में आबादी से बड़ा होता है क्षेत्रफल से बड़ा नहीं हुआ करता। हमको प्रबन्ध करना है, इन्तजाम करना है वहां के मनुष्यों का न कि पृथ्वी का और पहाड़ और जंगल का। तो मुख्य मंत्री जी की बात बिलकुल गलत है। इतनी बड़ी स्टेट संसार भर में कहीं नहीं है जितनी कि हमारी स्टेट है। रहा यह कि पहले किसी समय में बड़े-बड़े राज्य हुआ करते थे और उनका प्रबन्ध सुचारु रूप से होता था। वह ढंग राज्य के दूसरे थे। उस समय इस प्रकार के राज्य की परिपाटी नहीं थी जैसी कि आज है। आज जनता का राज्य है। जनता के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति हर जगह पहुंचने का प्रयत्न करता है। इसलिए काम भी अधिक बढ़ता है। उस समय किसी भी व्यक्ति को यह आज्ञा नहीं थी कि वह अपने उच्चतम अधिकारी के पास पहुंचे। सब तरह के कष्ट सहकर वहीं रहता था और

[श्री श्रीचन्द्र]

अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह हर जगह पहुंचे और अधिक से अधिक रूप में जितना भी हो सके अपने कष्टों का वर्णन करे। इसलिए उन कष्टों के सुनने के लिए राज्य का यह पूरा कर्त्तव्य है कि ऐसे मनुष्यों को वह खास तौर से अवसर दे और उनकी दिक्कतों को सुने।

एक बात और मैं आपके सामने रख दूं कि पश्चिमी और पूर्वी जिलों का कुछ वर्णन किया गया कि पश्चिमी जिलों में विकास के कार्य कुछ कम हुए और पूर्वी जिलों में कुछ अधिक हुए या इधर-उधर कुछ कमती-बढ़ती हुई। मैंने यह सब बातें एक बार पेश की थीं। पिछले साल की बात है, मैंने तमाम फैक्ट्स ऐंड फिगर्स दिये थे। वह सब तो मैं इस समय नहीं देना चाहता, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा लेकिन संक्षेप में बतला देना चाहता हूं। कई दफा स्टेटिस्टिक्स के डाइरेक्टर ने भी लिखा था और हमारे फैक्ट्स और फिगर्स को गलत बतलाया था, लेकिन हमने चैलेंज किया था कि इनको कोई भी गलत बतला दे। और मैं वह त्रुटियां बतलाये देता हूं। जो हमारी सरकार ने खुफिया तरीके से छिपे-छिपे अपना मेमोरेंडम एस० आर० सी० के पास भेजा था। उसकी चन्द बातें बतला देना चाहता हूं। उसमें यह है कि हमारे जितने १६ जिले पश्चिम के हैं उनके लिए शारदा की नहर नहीं है यह पूर्वी जिलों में बहती है। खटीमा पावर हाउस पश्चिमी जिलों में नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें दिखलाई गई हैं, स्मृति-पत्र में यह दिखलाया गया है कि पश्चिमी जिलों में व्यय अधिक हो रहा है। खटीमा पावर हाउस, शारदा नहर किधर है ? यह पूर्वी जिलों में है। यह बहस नहीं है पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। हम उन्नति चाहते हैं पश्चिमी और पूर्वी सभी जिलों की, लेकिन अच्छे ढंग से, कायदे में। एक बात इसी सम्बन्ध में और वर्णन कर दूं कि अब तक सरकार ने अंग्रेजी राज्य ने और कांग्रेस सरकार ने भी यह किया कि पश्चिमी जिलों से रुपया लेकर उधर पूर्व में लगाते रहे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सिवाय जमुना और गंगा की नहर के और वहां क्या है ? सन् १८६० से जब से वह बनी अब तक जो कुछ भी आमदनी हो रही है जमुना की नहर से उसके हिसाब से हर दूसरे-तीसरे साल अपनी लागत पूरी कर लेते हैं और गंगा की नहर चौथे-पांचवें साल अपनी पूरी लागत पूरी कर लेती है। अरबों रुपया इस हुकूमत और अंग्रेजी राज्य ने उनसे कमा लिया जिससे कि तमाम उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचा। अगर वह नहरें न बन जातीं तो इसका अर्थ यह था कि वह पश्चिमी क्षेत्र भी कष्ट में रहते और ये पूर्वी जिले भी कष्ट में रहते। इसलिये पश्चिमी जिलों में जो यह दो नहरें बनायी गयीं, पूर्वी जिलों को अधिक लाभ पहुंचा और लाभ पहुंच रहा है। वह रुपया सब उधर लग रहा है। अतः कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे यह कहा जाय कि आज तक पश्चिमी जिलों में सब कुछ लगता रहा और पूर्वी जिलों का नम्बर आया तो अलग होने की बातें होने लगीं।

मैं इस बात पर अधिक नहीं कहूंगा। केवल इतना कहूंगा कि जो कुछ भी मेमोरेंडम में कहा गया वह गलत कहा गया, यह बात नहीं है। और भी बहुत सी बातों को लीजिये। इंजीनियर्स से सलाह-मशविरा किया गया था। उन्होंने रिपोर्ट दी कि देहरादून या हल्द्वानी आगरे में सीमेंट फैक्टरी खोल दी जाय जब कि कोई फैक्टरी उधर नहीं है। आगरे तथा देहरादून में फैक्टरी के योग्य पत्थर भी है। तो वहां सीमेंट फैक्टरी खुल सकती थी। अभी हाल ही में देख लीजिये कि कानपुर जो कि लखनऊ से केवल ४५ मील के फासले पर है वहां मेडिकल कालिज खोला जा रहा है। मैं कहता हूं कि लखनऊ के इतने नजदीक खोलने की क्या जरूरत है जब कि पहले से ही एक कालिज यहां मौजूद है ? बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, मेरठ किसी जगह पर खोल दें, लेकिन काफी फासले पर होना चाहिये, जिससे जनता को सुविधा हो। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि डिटेल्स में बताना मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल बात होगी।

मैं एक बात और आप से निवेदन कर दूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रांत का अच्छा रखने के लिये मैं यह मानता हूं कि सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन यह कोई छिपी बात नहीं है कि बाराबंकी में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ और दूसरे स्थानों में क्या

हुआ और जो डकत थ आगरे में, उनको कितनी जल्दी गिरफ्तार किया गया, कस शूट किया गया, ये सब चीजें प्रबन्ध की हैं और उसके ढील होने से हमारे देश की हर हालत में हानि और कठिनाई और मुश्किल बढ़ती ही चली जायगी और ये भाव क्यों बने हुए ह ? उत्तर प्रदेश को बड़ा रखने का जो भाव है उसके कारण हमारे देश को हानि हो रही है। और यह भाव क्यों पैदा हुआ ? यह एक प्राकृतिक नियम है कि यदि कोई मनुष्य किसी सम्पत्ति का अधिकारी होगा, जैसे मन्त्रिगण यहां उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों के मालिक बने हुए हैं, तो वे यह चाहेंगे कि प्रथम तो अपना प्रभुत्व कायम रखें और दूसरे स्वार्थवश बात यह भी हो सकती है कि पुराने प्रेम आपस में रहें। इसीलिये वे इन सब बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एकतो यह कि वे तमाम भारतवर्ष में अपने आपको सबसे ऊंचा समझते हैं कि हमारा सब प्रदेशों पर आधिपत्य है—केन्द्र पर भी है और यहां पर पश्चिमी जिलों पर भी है और पूर्वी और पहाड़ी जिलों पर तो है ही। तो मन्त्रिगण अपना यह प्रभुत्व समझे हुये हैं, जिसको वे दूर करना नहीं चाहते और यह दिखलाना चाहते हैं कि हम बड़े हैं। दूसरी बात एक और है कि जब कोई भी दो भाई या आपस के सम्बन्धी अलग होते हैं तो उनके अन्दर अलग होने के समय कुछ प्रेम सा भी उमड़ जाता है और जब वे अलग होते हैं तो प्रेम के कारण उनको अलग करना एक मुश्किल बात होती है। तो यह भी रुकावट हो रही है। लेकिन इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि यह भावुकता और विचार छोड़ कर अपने प्रदेश के हित के लिये सोचा जाय तो यह सबसे उत्तम हित होगा कि यू० पी० के दो भाग हों जिस प्रकार के परगने, तहसील और जिले बनाये हुये हैं यह भी प्रबन्ध के लिये ही हैं। कहा यह जाता है कि हमारा छोटा राज्य होने से खर्च अधिक पड़ेगा और हमको रुपये-पैसे की कठिनाई पड़ेगी। मैं कहता हूं कि खर्च अधिक नहीं पड़ेगा, बल्कि खर्च कम हो जायगा जैसे कि मैंने बजट के सम्बन्ध में आंकड़े दिये थे और इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भाषा में भी बड़ा अन्तर है, यानी चार भागों में भाषा के अनुसार यह प्रदेश बंटता है। पश्चिमी जिलों की भाषा हिन्दी या व्रज भाषा है, पूर्वी जिलों की भोजपुरी, बिहारी या मैथली है और फिर पहाड़ी क्षेत्र की पहाड़ी भाषा है, और मध्य उत्तर प्रदेश की अवधी है। तो चार-चार हिस्सों में सेन्सस रिपोर्ट १९५१ में इसको बांटा गया है। तो इसकी भाषा भी अलग-अलग है, रहन-सहन, खाना-पीना, त्योहार इत्यादि, ये भी सब चीजें अलग-अलग हैं।

अब रहा यह कि हम अपने भारतवर्ष को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। यह तो हम तभी कर सकते हैं जब किसी प्रकार का आपस में झगड़ा न हो, किसी प्रकार की जातीयता का प्रचार न हो, किसी प्रकार से जनता को कष्ट न हो, सब की तबीयत अपने आप में लगी रहे। लेकिन जहां जातिवाद चलेगा या खर्च करने का संघर्ष चलता रहेगा तो हम इन्हीं झंझटों में पड़े रहेंगे और अपने देश की कभी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिये हम यह चाहते हैं कि रस्मों-रिवाज, रहन-सहन, अजातिवाद, आर्थिक दशा, संगठन और प्रबन्ध के रूप में मैंने जितना भी क्षत्र बतलाया यदि वह एक हो जाय तो फिर जातिवाद का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। मेरे कुछ यहीं के मित्र एक गलत बात फैलाते हैं जो यहां सदन में तो नहीं आयी लेकिन मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वह यह है जो लोग बाहर हैं उन्होंने जातीयता की बात फैलायी और यह कहा कि यह तो जाटिस्थान बनता है। कोई कहता है कि यह तो उर्दू का स्थान बनता है, कोई कुछ कहता है और कोई ईर्षा की बात। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आंकड़े यहां प्रस्तुत ह और जिनको मैंने पहले सब जगह पर बंटवा भी दिया है उसमें जाटों की संख्या ५ प्रतिशत है, हरिजनों और मुसलमानों की १८ प्रतिशत, ब्राह्मण और राजपूत ७ प्रतिशत हैं, इसी प्रकार से सबकी संख्याएं हैं। और आप देखिये कि कोई भी जाति हो—ब्राह्मण हों, जाट हों—अगर वे अपनी जाति पर जाते हैं तो अवश्य ही जो शेष जातियां हैं वे सब उस जाति के विरोध में एक हो जायेंगी। मान लीजिये कि हरिजनों या मुसलमानों की संख्या १८ प्रतिशत है। अब अगर उनके अन्दर मुसलमानी या हरिजनपन की भावना पैदा होती है तो बाकी ८२ प्रतिशत स्वयं ही एक हो जायेंगे। सोचिये तो यह कभी नहीं हो सकता कि एक जाति का आतंक या प्रभुत्व छा जाय। ो यह झूठा प्रचार भी एक गलत चीज है।

[श्री श्रीचन्द्र]

इसके अलावा एक सबसे बड़ी हानि हमारे यहां यह हो रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या का ५वां हिस्सा है। तो आबादी के अनुसार हमको केंद्र से रुपया भी ५वां हिस्सा खर्च करने के लिये मिलना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि साढ़े १८ या १९ प्रतिशत के बजाय ५ या ७ प्रतिशत हमको मिल रहा है। इतनी बड़ी हमें हानि हो रही है जिसकी वजह से हमारी उन्नति भी एक प्रकार से रुकी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में उन्नति के हमारे बिचारों में अन्तर होने के कारण हमारे प्रदेश के सब आदमियों को हानि उठानी पड़ रही है। अब इसके लिये यह कहा जाता है केंद्र से कि जब उत्तर प्रदेश सेल्फ सपोर्टर है और अपने खर्च से इसका कार्य चल रहा है तो फिर कोई कारण नहीं है कि उसको और रुपया दिया जाय। मैं यह कहता हूं कि पश्चिमी जिलों में जितना कार्य हो रहा है, जैसे नहरें बनीं उनको ठीक करने के लिये, विकास का कार्य करने के लिये और जो ट्यूबवेल्स बने थे उनको बने हुये १३,१४ वर्ष हो गये हैं, वह बेकार हो चुके हैं, उनकी मरम्मत नहीं की गई है। तो जो रुपया पश्चिमी जिलों से मिले उससे पश्चिमी जिलों का हित हो और जो रुपया केंद्र से मिले उससे पूर्वी जिलों की उन्नति हो सके, तो इस रुपये से हम अपने प्रदेश की उन्नति कर सकते हैं।

अब रहा कानून वगैरह बनाने के बारे में कि अगर स्टेट्स अलग हो गईं तो नये कानून बनाने पड़ेंगे, जिससे बड़ी परेशानी होगी तो कानून से कुछ परेशानी तब होती है जब तक नये कानून न बनें। अगर कोई छोटे या बड़े क्षेत्र में परिवर्तन होगा, सीमाओं में परिवर्तन होगा तो उनमें भी कानून का अन्तर तो पड़ेगा ही और वहां वह लागू किये जायेंगे तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो सब में एक-सी ही दिक्कत पड़ सकती है। जब प्रदेश के दो हिस्से होंगे तो कानून भी कुछ समय तक अलग-अलग चलते रहेंगे और फिर एक से कानून बनाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—अब तीन मिनट आपके और बाकी रह गये हैं। आपका भाषण समाप्त होने पर ही हम उठेंगे।

श्री श्रीचन्द्र—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले मिला दिये जायं तो हमें इसमें कोई उज्र नहीं है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले उत्तर प्रदेश में मिलाने से यह और अधिक बढ़ेगा। परन्तु देखना यह है कि जब इतना बड़ा प्रदेश है तो इसका सुचारु रूप से प्रबन्ध हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उनके मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र की जनसंख्या ढाई करोड़ के करीब है और जिन को हम ले रहे हैं उनमें ५७ लाख की जनसंख्या है और आध के करीब क्षेत्रफल है और वहां सिंचाई वगैरा का भी प्रबन्ध करना है। जब यहां यह नहीं हो रहा है तो वह वहां किस प्रकार से किया जा सकता है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और कुछ कटुता वगैरह के शब्द आये। हमने प्रारम्भ से यह किया है कि किसी प्रकार से आपस में द्वेष-भाव या कटुता पैदा न होने पाये और उसके लिये हमने कार्य किया और अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हो सकी जिससे कोई झगड़ा हो या किसी किस्म की कटुता फैले। बल्कि हमारे माननीय मंत्रियों की ओर से जगह-जगह पर विरोधी द्वेषपूर्ण भाषण भी हुये और जो हमारा मेमोरेंडम राज्य पुनर्गठन आयोग को भेजा गया था उसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। यह हमारी सरकार का कर्त्तव्य नहीं था। उनको तो पूर्ण स्वतंत्रता दे देनी चाहिये थी कि सब अपने-अपने विचार लोग प्रकट करें, बल्कि हमारी सरकार को मेमोरेंडम भेजना ही नहीं चाहिये था। उसको तो एम० एल० एज० और जनता के ही ऊपर विचार करने के लिये छोड़ देना चाहिये और सरकार को तटस्थ रहना चाहिय था। लेकिन जो-जो बातें हुईं वह आपके सामने जाहिर हैं। जो हार्दिक भावना होती है वह पहली बार में ही प्रकट हो जाती है। पहले ९७ प्रतिशत एम० एल० एज० उत्तर प्रदेश के विभाजन के हक में थे, लेकिन बाद में दबाव देने से और ज्यादती करने से वह सक्रिय नहीं रहे तो यह कहना कि वह इसके हक में नहीं हैं में यह उचित नहीं समझता हूं और हमारा कर्त्तव्य यह है कि हमें अपने प्रदेश की भलाई सोचनी

चाहिये। लेकिन हमारी सरकार ने जो किया वह अनुचित-सी बात थी और हमारी यह भावना हैं कि उत्तर प्रदेश के दो हिस्से, जिस प्रकार स हमने कहा है, उसमें थोड़े हेरफेर करने में हमें आपत्ति नहीं है, किये जायं कि जिससे जो कठिनाइयां और जो दिक्कतें बताई गई हैं वह सब की सब दूर की जा सकें और आगे के लिये हम इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बात का प्रयत्न करेंगे और कर रहे हैं कि भविष्य में चल कर जैसी और प्रदेशों में बातें हो रही हैं उसी तरह की हमारे प्रदेश में कोई एक भी बात न हो। लेकिन हमको यह चाहिये कि हम अपनी बातों को स्पष्ट करने में, कहने में स्वतंत्र हों और हमें कहनी चाहिए। यदि हमने बाद में छिप कर कोई ऐसी बात की तो वह अनुचित होगी।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मि नट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, "यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि" मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है, पर साथ ही भौगोलिक तथा अन्य विशिष्ट आधारों पर वर्तमान विन्ध्य प्रदेश तथा वर्तमान मध्यभारत के मोरेना, भिन्ड, शिवपुरी व ग्वालियर जिले उत्तर प्रदेश राज्य में मिलाये जाने पर जोर देना आवश्यक समझता है।"

श्रीमन्, जो प्रस्ताव पेश करते वक्त हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विभाजन न होने के लिये जो जो दलील पेश की मैं यह नहीं चाहता हूं कि उनको दोहराऊं। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के सामने जब हम देश के हर एक एरिया के विकास और तरक्की के लिये जो हम आज पुनस्संगठन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं तो हमको इसके साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि जो एरिया ऐसे हैं कि जिनको मिलाने से यदि उस एरिया का विशेष लाभ होता है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है तो उनमें हमें परिवर्तन कर देना चाहिये। मेरी राय से स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के पेज १३० पर जहां उन्होंने यह निश्चय किया है कि विभाजन के किन-किन हिस्सों को एक साथ रहना चाहिये और क्या-क्या कारण हैं जिनकी वजह से मध्यभारत के चार जिले और उसकी कम यूनिट रखने के लिये जो तजवीज रखी है मैं उसको पढ़ना चाहता हूं उसमें यह है कि—

"474. As for the four northern districts of Madhya Bharat, there seems to be no particular reasons why they should be separated from the proposed State. Rajasthan has not claimed these four districts, which are predominantly Hindi speaking, with ninety to ninety-nine per cent of the population in each district speaking this language. We are not recommending the formation of any other Hindi speaking State, of which these four districts may form a part. On the other hand, these districts have fairly close economic and adminstrative links with the *Mahakoshal area*."

श्रीमन्, महाकोशल एरिया के लिये यह कहा गया है कि हिन्दी स्पीकिंग एरिया की कोई जरूरत नहीं है और न इसकी कोई तजवीज है, लेकिन यहां पर उन्होंने यह कहा है कि यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से एक साथ रहना चाहिये तो उत्तर प्रदेश के साथ लिंक करें। यदि हम इस नक्शे को देखें तो मालूम होगा कि यू० पी० का नक्शा इन चार जिलों के अन्दर कुछ घुसकर बना हुआ है। ऐडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमने यह देखा कि अभी जो मानसिंह डाकू के लिये ला एन्ड आर्डर के हिसाब से वहां पर पुलिस के संगठन का कार्य किया गया है उसमें तीनों राज्यों की पुलिस विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत और उत्तर प्रदेश तीनों की पुलिस वहां पर प्रबन्ध कर रही थी और ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कत होगी और उसके लिये सजेशन यह दिया गया था

[राजा वीरेन्द्रशाह]

कि इस तरह की स्टेट नहीं रहनी चाहिये जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस एरिया का आ जाना महाकोशल में चले जाने की बनिस्बत अधिक ठीक होगा। अब यह कोई कहे कि उत्तर प्रदेश स्वयं ही इतना बड़ा है कि उसमें और कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिये। लेकिन यह कहना कुछ ठीक नहीं मालूम होता कि उत्तर प्रदेश के बड़ा होने के कारण उसमें कोई चीज शामिल ही न की जाय या उसमें से कुछ घटा ही देना चाहिये, यह कोई दलील नहीं है। दलील ऐसी होनी चाहिये कि जो एरिया शामिल किया जा रहा है उसका भी लाभ हो। वहां पर जो बैकवर्ड एरिया है उसका भी सुधार हो और साथ ही साथ भौगोलिक रूप से भी उसमें एकता हो। वहां की भाषा, वहां का रहन-सहन एक सा है। इस प्रदेश में व्रज भाषा बोली जाती है। अतः प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और उनके अन्दर जो एक यह भय है कि उत्तर प्रदेश बड़ा है उसको निकाल देना चाहिये।

कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़े एरिया की स्टेट है उसका इन्तजाम करना बहुत कठिन होगा, उसके बारे में मैं यहां यह बतला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एरिया १,१३,४१० वर्ग मील है जब कि इन चार मध्य भारत के जिलों को व विन्ध्य प्रदेश को मिला दिया जायगा तो वह कुल मिलाकर १,४९,२१५ वर्ग मील हो जायगा। इसके मुकाबले में मौजूदा मध्य प्रदेश का एरिया १,७१ हजार वर्ग मील है, जो घटकर अब १,३६,००० होगा। श्रीमन्, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा एरिया आता है और वह इतना बड़ा बैकवर्ड है कि उसका संभालना बहुत ही मुश्किल हो जायगा। उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने कम होंगे कि इतने बड़े एरिया को संभालने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी के ये चार जिले मध्य भारत के विन्ध्य प्रदेश में, बघेलखंड के चार जिले और बुंदेलखंड के चार जिले उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं। बुन्देलखंड का काफी एरिया यू० पी० में अब भी है और इसी के पास के ४ जिले और मिलने चाहिये। उस एरिया में माताटीला डैम बन रहा है। इसके अतिरिक्त रिहन्ड डैम के आसपास का कुछ एरिया ऐसा है जो बघेलखंड में आता है, अगर वह एरिया भी उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय तो कुछ हर्ज न होगा। इसी प्रकार से मध्य भारत के चार जिलों के उत्तर प्रदेश में मिला दिये जाने से उनका बड़ा उपकार होगा। इसके अलावा जो विन्ध्य प्रदेश के जिले आ जाते हैं उनका भी विकास हो जायगा। उत्तर प्रदेश सदैव से यह देखता रहा है कि सारे भारत का कल्याण हो इसलिये आज भी अगर कोई एरिया ऐसा आ जाता है जो बैकवर्ड है तो उसी दृष्टि से उसको ले लेना चाहिये। इससे सारे भारत के विकास और कल्याण में मदद मिलेगी। तो बुन्देलखंड का वह एरिया जो बैकवर्ड समझा जाता है अगर वह आप के प्रदेश में आ जाता है तो हमको इतना उदार होना चाहिये कि उसको मिला लें। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस एरिया के साथ-साथ अगर बुन्देलखंड के एरिया को भी जोड़ लिया जाय तो हमारे ऊपर उसका कोई विशेष एफेक्ट नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइण्ट आफ व्यू से भी ठीक रहेगा और भौगोलिक नक्शा भी उसका ठीक रहेगा। लैंग्वेज तथा भाषा के हिसाब से इन सब बातों को देखते हुये हम समझते हैं कि इससे मध्य प्रदेश को कोई हानि नहीं होगी। मध्य प्रदेश का एरिया काफी बड़ा रहता है, जिसमें भोपाल है तथा बस्तर का एरिया है जहां बहुत से मिनरल्स हैं, मध्य भारत का मेलवा एरिया, जिसको मालवा प्रांत कहते हैं सब उसी में रहता है, इंदौर भी रहता है, इस तरह से उसमें कोई कमी नहीं होती। हम मध्य प्रदेश की तरक्की को किसी तरह की हानि पहुंचा कर कोई स्टेट का हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जब मध्य भारत स्टेट बनी नहीं रहेगी उसको किसी न किसी स्टेट में मिलना ही है तो ऐडजस्टमेंट के हिसाब से यू० पी० का विभाजन न करते हुये हम यह चाहते हैं कि बुन्देलखंड के चार जिले, विन्ध्य प्रदेश तथा मध्य भारत के चार जिले इसमें आ जायं तो बड़ा अच्छा होगा मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे। मध्य भारत के माननीय मुख्य मंत्री ने तो कहा भी है कि ये ५ जिले यू० पी० या देहली प्रांत में मिला दिये जायं तो इसको हम बेहतर समझेंगे। राजस्थान ने उसको मांगा नहीं है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये चार जिले मध्य भारत

के मोरेना, भिंड, शिवपुरी व ग्वालियर मिला लिये जायं तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमारी यह सिफारिश होनी चाहिये कि इनको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। श्रीमन्, अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे इस कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर कोई अलग रहना चाहता है तो उसको डिस्टर्ब किया जाय। अगर मध्य भारत बना रहता है तब तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर वह नहीं रहता है और किसी न किसी के साथ मिलाया जाता है तो इसका खयाल जरूर होना चाहिये, क्योंकि यह समय बार बार नहीं आ सकता है। बहुत दिनों के बाद यह मौका मिला है इसलिये सब लोगों को मिल-जुल कर वैधानिक तरीके से एक चीज की मांग करनी चाहिये। हम समझते हैं कि इन चार जिलों के मिला लेने से यू० पी० का नकशा सुन्दर हो जायगा, साथ ही साथ वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कामना भी पूरी हो जायगी।

जहां तक ला ऐन्ड आर्डर का सवाल है, कहा यह जाता है कि वह चम्बल का एरिया है, जहां ला ऐन्ड आर्डर की हालत ठीक नहीं है। यह भी विचार करने की बात है कि मध्य प्रदेश के हेड क्वार्टर से वह एरिया कितना दूर हो जायगा। हेडक्वार्टर चाहे जहां भी रहे, लेकिन वह उस स्थान से काफी दूर हो जायगा, इसलिये उसको कंट्रोल करना असंभव सा होगा। मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि लोगों की तकलीफ और बढ़ेगी और कोई लाभ नहीं होगा। जहां तक यू० पी० के ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, इसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सारे भारतवर्ष में इसका नाम है कि यू० पी० का ऐडमिनिस्ट्रेशन तथा पुलिस आदि का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। जहां तक मैं समझता हूं कि बड़े बड़े स्टेट ही होने चाहिये। क्योंकि मौका पड़ने पर बड़े बड़े स्टेट ही किसी की मदद कर सकते हैं। मान लीजिये कि भारतवर्ष में कहीं अकाल पड़ गया या और कोई दैवी आपत्ति आ गयी तो उस वक्त जो बड़ा स्टेट होगा वही मदद कर सकेगा। यू० पी० की ही बात ले लीजिये, जब यहां पर बरसात से लोगों को तकलीफ हुई, कहत पड़ा तो यू० पी० चूंकि बड़ा होने की वजह से सेल्फ सफिसिएंट था इसीलिये वह अपने यहां के लोगों की मौके पर मदद कर सका। अगर छोटा स्टेट रहता तो इतनी मदद नहीं कर सकता था। जो बड़े-बड़े स्टेट होते हैं वे ही सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। हम तो इस सिद्धांत को मानते हैं कि जो छोटे-छोटे स्टेट होंगे वे सिवा दुख देने के कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को मानते हुये मैं यह कहूंगा कि यू० पी० में जोड़ने की बात करके कोई यह न सोचे कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी को हड़पना चाहते हैं। हम तो इन्साफ व न्याय चाहते हैं। हमें वास्तविक स्थिति को देखना चाहिये और हमें यह देखना चाहिये कि जो एरिया जहां फिट-इन होता है वह किया जाय और हमें केंद्रीय सरकार से कहना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री से भी मैं कहूंगा कि यह नीचे का एरिया और विन्ध्य प्रदेश का जो क्षेत्र मैंने रखा है वह जोड़ दिया जाय और इन ४ जिलों के बढ़ने से यह होगा कि यह प्रदेश और अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा और वह वहां उन्नति कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की पंक्ति १ में शब्द "की" के बाद शब्द "बहुत सी" जोड़ दिया जाय, और प्रस्ताव की पंक्ति २ के प्रथम शब्द "है" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय तथा उस के बाद के सभी शब्द निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "परन्तु इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का तथा भारत संघ के अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों—बिहार, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश (हिन्दी), मध्यभारत, दिल्ली, पूर्वी-पंजाब का हिन्दी भाषी भाग—का अधिकु वैज्ञानिक, उप-भाषावार एवं सुसंगत फिर से बटवारा होना चाहिये और इस प्रकार निर्मित प्रदेशों में एक प्रदेश (बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी जिलों को मिलाकर) भोजपुर प्रदेश अवश्य होना चाहिये।" रख दिये जायं, यह संशोधन मैं पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ से ही इस बात की मांग रही कि देश के सूबों का फिर से एक वैज्ञानिक बटवारा होना चाहिये। महात्मा गांधी ने भी

[श्री झारखण्डे राय]

इस सिद्धांत को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार किया था और इसीलिये १९२१ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संविधान में तरमीम करके अपने संगठन के सूबों का भाषावार बटवारा किया था। सन् १९२७ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक आल पार्टीज कमेटी नियुक्त की थी, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू थे और जिसके सेक्रेटरी हमारे देश के आज के प्रधान मंत्री थे। उस कमेटी ने भी इस सिद्धांत को माना था कि देश के सूबों का बटवारा जो अंग्रेजों ने किया है वह अवैज्ञानिक और असंगत है और उनका फिर से वैज्ञानिक बटवारा होना चाहिये, इस संबंध में कमेटी ने इसी बुनियादी सिद्धांत को माना था। मैं आपकी आज्ञा से उसके दो-तीन उद्धरण पेश करना चाहता हूं--

"What principles should govern this redistribution ? Partly geographical and partly economic and partly financial, but the main consideration must necessarily be the wishes of the people and the linguistic unity of the area concerned."

आगे उन्होंने कहा--

"Hence it becomes most desirable for provinces to be regrouped on a linguistic basis. Language, as a rule corresponds with a special variety of culture, of traditions and literature. In a linguistic area, all these factors will help in the general progress of the Provinces."

लेकिन हमें इस बात का दुःख रहा कि कांग्रेस पार्टी ने शासनारूढ़ होने के बाद इस सिद्धान्त को छोड़ दिया। सन् ४८ में जयपुर कांग्रेस के समय एक लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज कमेटी नियुक्त की गई थी जिसके सदस्य स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री पट्टाभि सीतारमैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इस समय भाषावार प्रान्त निर्माण सिद्धान्त का विरोध किया। लेकिन अन्त में उनको भी यही मानना पड़ा। आप की आज्ञा से मैं एक उद्धरण पेश करना चाहता हूं--

"Nevertheless, if there is a strong and widespread feeling in the areas for the linguistic Provinces, a democratic Government must ultimately submit to it, unless there is a grave danger to the state.

We realise that there is not only a strong feeling, but also much merit behind these proposals for the formation of Andhra, Kerala, Karnataka and Maharashtra Provinces. We also realise that some of these liguistic areas, notably Kerala and Karnataka, have rather suffered in the past from their association with larger multilingual provinces."

और वही दुराग्रह कांग्रेस पार्टी और उसके शासक गुट के लोगों का बहुत दिनों तक रहा। लेकिन उसके विरुद्ध पहली विजय आंध्र प्रदेश की स्थापना से हुई और दूसरी विजय इस सीमा निर्धारण आयोग की स्थापना से हुई। सीमा निर्धारण आयोग ने जो सिफारिशें हमारे सामने पेश की हैं और जिन पर आज बहस यहां हो रही है उसकी बहुत-सी बातों का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने ए० बी० सी० स्टेट्स का अन्तर दूर करने की जो सिफारिश की है उसका मैं अभिनन्दन करता हूं। उन्होंने राजप्रमुख के पद को समाप्त करने की जो सिफारिश की है वह स्तुत्य है। लेकिन उन्होंने यदि इन राजप्रमुखों के प्रिवी पर्सेज की समाप्ति के लिये सिफारिश की होती, जो विशेष सुविधायें उनको दी जाती हैं और साथ ही उनकी जो तथा कथित व्यक्तिगत सम्पत्ति है जो उन्होंने लूटपाट कर एकत्र की है, यदि उसकी समाप्ति के लिये सिफारिश की होती कि उनका खात्मा करके उनको राज्य के हित में लगाया जाय तो वह बहुत ही उत्तम होता।

अध्यक्ष महोदय, सीमा आयोग ने जो सबसे बड़ी भूल की है वह यह कि बिना किसी मूलभूत सिद्धान्त के, किसी मौलिक सिद्धान्त के उन्होंने अपना काम शुरू किया है। उन्होंने इस सिद्धान्त को नहीं माना और इसके खिलाफ बहुत से तर्क इस मोटी-सी पोथी

में दिये हैं कि हिन्दुस्तान के सूबों का बटवारा अनिवार्यतः भाषावार ही होना चाहिये। यद्यपि नतीजे में हिन्दुस्तान के १६ सूबों में से १४ सूबे इसी दृष्टिकोण से उनके जरिये बांटे गये। इस प्रकार उनके अपने ही तर्क उनके अपने ही जरिये से खत्म किये गये। साथ ही साथ दूसरी बुनियादी चीज जो उन्होंने नहीं मानी है और जिससे अनेक पेचीदगियां पैदा हो रही हैं, वह यह कि उन्होंने ग्रामों की सबसे छोटी इकाई को बटवारे के सिलसिले में नहीं माना है। उन्होंने अपने फैसले के पक्ष में कहीं जिलों का तर्क लिया है और कहीं तालुके का तर्क दिया है। विवाद-ग्रस्त सीमान्त क्षेत्रों के लिये अगर गांव की बुनियादी इकाई को मान कर वह चले होते तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र-कर्नाटक, कर्नाटक-तामिलनाद और आंध्र और तामिलनाद के बीच में जितने बाउंडरी डिस्प्यूट्स हैं वे न उठे होते और वे स्वतः खत्म हो जाते, लेकिन उन्होंने इन दोनों वैज्ञानिक बुनियादी सिद्धान्तों को न मान कर बहुत बड़ी गलती की है।

जहां तक एस० आर० सी० की रिपोर्ट में अन्य प्रान्तों का सम्बन्ध है उसके विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। गोकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपन प्रस्ताव में उसकी बहुत सी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है और उनका हम स्वागत करते हैं। आयोग ने तैलंगाना का अलग सूबा बनाने की सिफारिश की थी जो प्रतिक्रियावादी चीज है। आंध्र की जनता की सर्वदा यह मांग रही है कि एक विशालांध्र प्रदेश बनना चाहिये जिसमें हैदराबाद राज्य के आठ तैलगू भाषाभाषी जिले भी मिलाये जाने चाहिये। लेकिन वर्किंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव के जरिये इस गलती को दूर करने की सिफारिश की है। उसका हम स्वागत करते हैं। आयोग ने विदर्भ के नये राज्य के निर्माण की सिफारिश की थी, जो एक बिल्कुल ऊल-जलूल-सी चीज दिखाई देती है। उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के एक द्विभाषी राज्य को बनाने की सिफारिश की थी। यह सब प्रतिक्रिया-वादी सिफारिशें थीं। बम्बई को उसमें एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एस० आर० सी० की रिपोर्ट की बहुत सी मान्यताओं को ठुकराया है उनका हम स्वागत करते हैं। वह प्रगतिशील दिशा की तरफ एक कदम है। अब विदर्भ और महाराष्ट्र को एक में मिला कर एक प्रदेश बनेगा, जो विशाल महाराष्ट्र होगा। उसके बन जाने के बाद और महागुजरात की स्थापना की सिफारिश के बाद बम्बई को वर्किंग कमेटी ने भी महाराष्ट्र के साथ नहीं जोड़ा है। यह भयानक भूल है। हम यह समझते हैं कि एस० आर० सी० ने जिन धारणाओं को ध्यान में रख कर आत्मसमर्पण किया है उन्हीं धारणाओं ने वर्किंग कमेटी को भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वह धारणा है बिग बिजनेसमैन, जो बम्बई के हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, जो उनके सामने घुटने टेकने की और इसीलिये अब बम्बई का एक अलग प्रान्त बनने की बात उठाई जा रही है। हम समझते हैं कि बम्बई महाराष्ट्र का अविभाज्य अंग है और यह महा-राष्ट्रियों की मांग स्वीकार हो जानी चाहिये। आज विशाल आंध्र, तामिल नाड, केरल आदि दक्षिण भारत के जितने अन्य सूबे हैं उनकी मांगें करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं और इसीलिये आज वहां पर शान्ति है। मुख्य मंत्री जी ने भाषण देते वक्त शुरू में ही एक संकेत किया। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। असन्तोष के मूल कारणों को रखते हुए सन्तोष की आशा रखना व्यर्थ है। आज आंध्र में क्यों झगड़ा नहीं होता, इसलिये कि उनकी मांग पूरी हो गई। केरल में कुत्ता भी नहीं भौंकता आदमी की कौन कहे, इसलिये कि शुरू में ही एस० आर० सी० ने उनकी मांगें स्वीकार कर लीं। महाराष्ट्र में क्यों आग लग रही है। इसलिये कि मरहठों की यह मांग कि महाराष्ट्र में बम्बई मिलना चाहिए अब भी नहीं मानी जा रही है। न एस० आर० सी० ने मानी और न वर्किंग कमेटी मान रही है। सीमा आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद जो असन्तोष दिखलाई पड़ रहा है, अध्यक्ष महोदय, आप देखें, पहले जितना असन्तोष था, उससे कई गुना कम हो गया है। वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के बाद असन्तोष और भी कम हुआ है। जिनकी मांगें अब भी अधूरी हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, उनमें असन्तोष व्याप्त है।

[श्री झारखंडे राय]

पश्चिमी जिलों के बटवारे की बात शुरू में इस प्रान्त में उठाई गई---इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बहुत पहले उठाई गई थी-मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। वह गलत आधार पर मांग थी। आज जिस रूप में यू० पी० के बटवारे की बात कही जा रही है उसको भी मैं बहुत वैज्ञानिक और सुसंगत नहीं समझता। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सारे भारत में मुख्यतः भाषावार प्रान्त बनाने की बहुत बड़ी समस्या रही। अंग्रेजों ने जाति-जाति में लड़ाई और फूट डलवाने के लिये असमान बटवारा करके अपने राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। इसीलिये महात्मा गांधी ने सन् २१ में आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस सिद्धान्त को मान लिया कि भाषावार प्रान्त बनने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी उसी बात पर आ रहा हूं जो मैंने अपनी इस तरमीम में पेश की है। मैं समझता हूं कि आज एक दूसरा सीमा निर्धारण आयोग बैठाया जाय। आज नहीं तो १० वर्ष के बाद चाहे कोई दूसरी सरकार होगी उसको यह करना होगा। विचार का विषय है सारे हिन्दी भारत का फिर से बटवारा होगा। दो ही उपाय हैं या तो समस्त हिन्दी भाषी भारत को मिला कर एक प्रान्त बने लेकिन यह बेवकूफी मालूम होगी---या फिर आज जैसी स्थिति है वह बनी रहे। लेकिन आज की चीज साम्राज्यवादियों ने बनाई थी, ऊल-जलूल तरीके से, जैसे-जैसे अंग्रेज कब्जा करते गये, बगैर किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रक्खे हुए उन्होंने प्रान्तों का निर्माण किया था। इसलिये मैं समझता हूं कि समस्त हिन्दी भारत का फिर से बटवारा होना चाहिये। बटवारा किस आधार पर हो?

श्री अध्यक्ष---आपका समय खत्म हो रहा है। इसलिये जरा आप अपने आर्गूमेंट्स न दोहरायें।

श्री झारखंडे राय---शायद २५ मिनट हैं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, १५ मिनट।

श्री झारखंडे राय---मैं तो प्रस्तावक हूं।

श्री अध्यक्ष---यह निश्चय हुआ था कि दो नेताओं को और श्री श्रीचन्द्र जी को २५-२५ मिनट और दूसरों को केवल १५-१५ मिनट मिलेंगे। मैं आपको दो-तीन मिनट और दे दूंगा।

श्री झारखंडे राय---मैं कह रहा था कि हिन्दी भाषा भाषी भारत का फिर से वैज्ञानिक बटवारा होना चाहिये और उसका मुख्य आधार भी उप-भाषावार ही होना चाहिये। ऐसी हालत में बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्र हैं उन सबका एक सूबा हो सकता है। साढ़े तीन करोड़ के लगभग आबादी होगी। एक बड़ा राज्य भी होगा। उस हालत में निश्चित रूप से पश्चिमी यू० पी० के बहुत से जिले जो खड़ी बोली के हैं, दिल्ली, पंजाबी, हरियाना और राजस्थान के अनेक क्षेत्र मिल कर एक सूबा बनेगा। अनिवार्यतः ऐसी हालत में पंजाब का जो झगड़ा खड़ा हो गया है वह खत्म हो जायगा और पंजाब विशुद्ध पंजाबी भाषा भाषी प्रांत हो जायगा और हिमांचल अलग हो जायगा, जिसको कि वर्किंग कमेटी ने मान भी लिया है। हिमांचल के साथ उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र मिलाये जा सकते हैं। ऐसी हालत में जो पश्चिमी जिले के रहने वाले कुछ लोग बटवारे की मांग उठा रहे हैं उनकी भी मांग का प्रगतिशील अंश पूरा हो जायगा और सारे हिन्दी भारत का एक वैज्ञानिक तरीके पर भाषावार बटवारा हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, १९१२ में जार शाही रूस में ऐसा ही प्रश्न पैदा हुआ था। गो उसकी ठीक तुलना हमारे देश से नहीं की जा सकती। जार शाही रूस में ग्रेट रशिया साम्राज्यवादी नेशन था, जाति थी, जो अन्य जातियों, नेशनलिटीज पर हुकूमत करती थी। हमारे यहां कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब गुलाम थे, और आज हम सब आजाद हैं। लेकिन उनके सामने जातियों की समस्या पेश थी, इतने बड़े महादेश की व्यवस्था करनी थी। स्टैलिन ने १९१२ में इस सम्बन्ध में जो थीसिस पश की थी उसमें एक सिद्धांत दिया था, नेशनलिटी

का जिससे अधिक मान्य और वैज्ञानिक सिद्धान्त मुझे कम से कम नहीं मिला है। उन्होंने कहा है—"जाति एक ऐसा स्थायी जन समुदाय है जिसका इतिहास के द्वारा निर्माण हुआ है, और जो एक समान भाषा, समान क्षेत्र, समान आर्थिक जीवन तथा एक समान संस्कृति के रूप में प्रकट होने वाले समान मानसिक गठन के आधार पर बना है।" एक ही नियम अगर एक जन-समुदाय में कायम रहे तो वह नेशनलिटी या जाति नहीं मानी जा सकती। ऐसी हालत में यह जरूरी नहीं है कि सारा हिन्दी भाषा भाषी भारत की एक नेशनलिटी या जाति बन सके, क्योंकि विदेशों में डेनमार्क और नार्वे की एक ही डेनिश भाषा होते हुए भी दो अलग-अलग राष्ट्र बने हुए हैं। इसलिए हिन्दी भारत के पुनर्विभाजन की आवश्यकता है। एक भाषा भाषी होते हुए भी यहां अनेक जाति के लोग रहते हैं। इसके बटवारे के लिए एक हाई पावर कमीशन नियुक्त होना चाहिए जो तमाम चीजों को देख कर इसका बटवारा करे। मैं समझता हूं कि इससे प्रांतों की संख्या भी शायद नहीं बढ़ेगी और अगर बढ़ेगी भी तो एक-दो से अधिक नहीं बढ़ेगी और यह प्रश्न भी हल हो जायगा। ऐसी हालत में दक्षिणी भारत की समस्या हल होने के बाद, हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों के बटवारे के बाद जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी समस्या भी अपनी अलग हैं। वे आटोनामस एरियाज हो सकते हैं। वे अपनी संस्कृति और शिक्षा के मामले में आजाद होते हुए, कम्युनिकेशंस, वैदेशिक मामलों में, या अन्य समान भारतीय समस्याओं में एक साथ रह सकते हैं। हम समझते हैं कि इस प्रकार के बटवारे के साथ हमारे देश की भाषा समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जायगी और हम सफलता के साथ एक कदम जनवादी आन्दोलन की तरफ आगे बढ़ायेंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मेरे संशोधन का बहुत कुछ अंश माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण में आ गया है। इस वास्ते मैं पेश नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—दो संशोधन और हैं। एक श्री राधामोहन सिंह जी का है, जो शाब्दिक है। वह आप पेश करना चाहते हैं ?

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—दूसरा श्री नारायण दास जी का है जो सिर्फ बोलने का ही है। श्री अतहर हुसैन ख्वाजा, आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जी, मैं पेश करना चाहता हूं। जो मैंने अभी भेजा है।

श्री अध्यक्ष—इसके बाद मैं कोई संशोधन नहीं लूंगा।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, मैं जो संशोधन श्रीचन्द्र जी का है उसमें यह तरमीम पेश करता हूं आपकी इजाजत से। संशोधन की पंक्ति ४ में शब्द "जिलों" के बाद शब्द "(झांसी डिवीजन) जैसा कि सरदार पणिक्कर ने तजवीज की है और इलाहाबाद डिवीजन का इटावा जिला जिसकी कि आगरा आल पार्टी कनवेंशन ने सिफारिश की है" बढ़ा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—आपके संशोधन से पूरा क्या रूप होगा जरा आप सुना दें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—रेजोल्युशन तो है ही नहीं मेरे पास। वह तो जनाब को ही श्रीचन्द्र जी ने दे रखा है। जनाबवाला पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—आप कम से कम अपने भाषण में समझा दें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—इस तरमीम की वजह यह है कि बुनियादी तौर पर सरदार पणिक्कर की रिपोर्ट पर हमने अपने इस मांग की बुनियाद रखी है। जनाब देखेंगे कि

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

सरदार पणिक्कर ने झांसी डिवीजन को उसमें शामिल किया है और जहां तक मैं समझता हूं उसकी वजह यह है कि हमारे यू० पी० में चार डाइलेक्ट्स बोली जाती हैं। एक पहाड़ी, दूसरी ब्रजभाषा, जो कि झांसी डिवीजन तक में बोली जाती है, उसके बाद अवधी बोली जाती है, लखनऊ से गोरखपुर के बीच में और उसके बाद बिहारी या भोजपुरी।

श्री अध्यक्ष—बुन्देलखंडी आप छोड़ गये शायद।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—अगर जनाब की यह मरजी हो तो मैं उसको पांचवीं जबान मानने को तैयार हूं। बहरहाल मैं इसकी बेसिस सेंसस रिपोर्ट पर रख रहा हूं जिसमें नक्शों के जरिये से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि असल में ये चार डाइलेक्ट्स हैं और मेरा जहां तक खयाल है सरदार पणिक्कर ने इसी को अपने डिवीजन की एक बुनियाद बनाया है बहरहाल जनाब इसे देखेंगे कि जहां तक कि तारीख का सवाल है गंगा और जमुना का बेसिन पांच हजार वर्ष से एक ही रहा है। उसके बाद जब अफगान आये तो अफगानों के वक्त भी यह एक ही सूबा था, मुगलों के जमाने में भी एक ही था और सन् १८५८ में पंजाब को सिर्फ अलग किया गया सजा के तौर पर। इसलिये कि फर्स्ट वार आफ इंडिपेंडेंस में वहां के बहादुर लोगों ने वतन के लिये अपनी जानों की कुरबानी दी, इसलिये उनको अलग करना अंग्रेजों के लिये जरूरी था। इस तरह से १८५८ में यह तकसीम हो गया और वह जो हरियाना प्रांत कहलाता है वह पंजाब में चला गया और आगरे का हिस्सा और दिल्ली का हिस्सा उससे अलग कर दिया गया। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है जहां तक लैंग्वेज का ताल्लुक है, जहां तक कल्चर का ताल्लुक है, जहां तक ट्रेडीशंस का और और चीजों का ताल्लुक है यह जितना हिस्सा है हमेशा से यह एक साथ ही रहा है, एक जगह ही रहा है और आज जब कि हम आजादी की दुनिया में सांस ले रहे हैं, और आज जबकि मुल्क आजाद हो चुका है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि वह सजा जो उस हिस्से को फर्स्ट वार आफ इंडिपेंडेंस में कुरबानी करने के कारण मिली हुई थी, वह आज भी सौ बरस के बाद तक कायम रखी जाय। वह एक सजा थी पोलिटिकली जो हमको दी गई थी उस बहादुरी की वजह से जो हमारे बुजुर्गों ने दिखलायी थी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल जायज मांग है कि इस हिस्से को अलग किया जाय और उसको एक अलग प्रदेश बनाया जाय जिसका नाम ब्रज प्रदेश हो। आगरा, दिल्ली और हरियाना के हिस्से को मिलाकर यह ब्रज प्रदेश बनाया जाय और ब्रजभाषा उसकी जबान समझी जाय।

जनाबवाला, यह कहा गया कि यह डिमांड तो बिल्कुल नयी है और बेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि फिर जरा तारीख को दुहराइये तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि १९२० से यह डिमांड शुरू हुई और बहुत बड़े-बड़े लोगों के हाथों से शुरू हुई। महात्मा गांधी ने इसका खैरमकदम किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो हमारे कांग्रेस के सूबे बने उसमें मेरठ इस इलाके का और देहली और पंजाब के उस इलाके का एक सूबा बनाया गया। चुनान्चे उसके बाद इसी तरह के पोलिटिकल डिवीजन पर भी जोर दिया गया और यह कहा गया कि पोलिटिकल डिवीजन भी इसी तरह होनी चाहिये। सन् १९२८ से ३३ तक बराबर कांफ्रेंसेज हुई। साइमन कमीशन के समय, राउंड टेबुल कांफ्रेंस के समय, १९३१ में इलाहाबाद में यूनिटी कांफ्रेंस के समय और फिर १९४६ और ४७ में जो कांफ्रेंसें हुईं, सब में यह मांग की गई और इस मांग को दुहराया गया कि यह स्टेट इस तरह से बननी चाहिये। तो यह कहना कि इसकी कोई मांग नहीं है, बिल्कुल गलत है। मांग इसलिये नहीं है कि हमने सिखों का रवैया अख्तियार नहीं किया। हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के डिरेक्टिव्स पर अमल किया। इसलिये अगर कहा जाय कि मांग नहीं है तो हो सकता है कि मांग नहीं है। लेकिन अगर मांग उस जबान में समझी जानी चाहिये थी तो सिखों की मांग सबसे पहले मांग समझी जानी चाहिये थी। और अगर शराफत और बुर्दबारी और तहम्मुल की जबान समझी जानी थी तो हमारी डिमांड सबसे पहले मंजूर की जानी चाहिये थी।

मैं नहीं जानता कि कमीशन ने किस तरीके से यह कहा है कि हमारी डिमांड नहीं है और किस तरह से उसका यह जजमेंट है और क्या क्राइटेरिया रखा गया है जिसकी वजह से कहा है। तो मैं अर्ज करूंगा शद्दोमद के साथ यह डिमांड है और हर बच्चा-बच्चा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का चाहता है कि सेपरेट स्टेट बनायी जाय। असेम्बली में भी हमने कहा था कि अगर आप इसको गलत समझते हैं तो इसके ऊपर रेफरेंडम करा सकते हैं, उसके लिये हम तैयार हैं। जो भी नतीजा निकले हमें मंजूर होगा। एलेक्शंस आ रहे हैं। अगर कांग्रेस इसको अपना एलेक्शन का एक खास ईश्यू नहीं बनायेगी तो दूसरी कोई पार्टी बना लेगी और आप देख लेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। जो शख्स इस डिमांड को लेकर खड़ा हो जायगा मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि उसको कामयाबी हासिल होगी चाहे वह किसी पार्टी के टिकट पर खड़ा हो या इंडिपेंडेंट खड़ा हो। तो शद्दोमद के साथ यह कहना कि डिमांड नहीं है, मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं है।

अब जो आर्गूमेंट्स दिये हैं कमीशन ने रिजेक्शन के लिये उनकी बाबत अर्ज है कि उन्होंने यह कहा है कि इसमें इकानामी है इसलिये कि बड़ी स्टेट होने की वजह से इकानामी होती है। दूसरे उन्होंने यह कहा कि हेडवर्क्स जो हैं वह वेस्ट में हैं और ईस्ट को वहां से पानी सप्लाई होता है इसलिये ठीक नहीं है। तीसरी बात यह कही कि डिमांड नहीं, जिसका मैंने जवाब दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि फेडरल क्वेश्चन पर हम कुछ ज्यादा जोर नहीं देते हैं, हालांकि उन्होंने यह मान लिया कि यह हकीकत है कि इस किस्म का लोगों में जजबा है कि यू० पी० को इतना बड़ा नहीं होना चाहिये कि इतनी बड़ी आवाज पार्लियामेंट में रखे और ज्यादा असर कायम करें।

यह कहा गया कि यू० पी० में प्रार्विशियलिज्म नहीं है और यह सही है कि यू० पी० में तो नहीं है, हमारा वतीरा भी ऐसा नहीं है, हमारा तरीकेकार ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी स्टेट्स के लोग जो हैं वह भी ऐसा समझते हैं या नहीं? गलत सही, ठीक सही, लेकिन उनका जजबा क्या है? फेडरल क्वेश्चन पर जोकि पणिक्कर साहब ने अपनी राय पेश की है, मैं समझता हूं कि उससे बेहतर एक्सपोजीशन नहीं किया गया होगा।

कुछ साहबान ने यह कहा है कि वह नोट मीनिंगलेस है। वह जरूर मीनिंगलेस है लेकिन इसलिये नहीं कि वह वाकई मीनिंगलेस है, बल्कि इसलिये कि वह साहब समझ नहीं सके कि उसके मानी क्या हैं। क्योंकि उसको समझने के लिये बड़ी अक्ल और तमीज और दिमाग की जरूरत है। वह इसलिये भी मीनिंगलेस है कि उसके समझने के लिये कांस्टीट्यूशनल हिस्टरी से वाकफियत होनी चाहिये और मुख्तलिफ स्टेट्स के कांस्टीट्यूशन की वाकफियत होनी चाहिये। वह इसलिये मीनिंगलेस है कि उसको समझने के लिये इंसान के दिमाग में अक्ल का खजाना होना चाहिये, और लास्टली वह इसलिये मीनिंगलेस है कि छोटा मुंह बड़ी बात की मशहूर पुरानी कहावत को सही साबित रखने के लिये एक ताजी मिसाल की जरूरत थी। हो सकता है कि किसी बात में आनेस्ट डिफरेंस आफ ओपीनियन हो। हो सकता है कि पणिक्कर साहब ने गलत कहा हो। लेकिन यह कह देना कि मीनिंगलेस है, मैं समझता हूं कि वह "मीनिंगलेस" वर्ड को ही नहीं समझते कि उसका मतलब क्या है। चाहे उसके माने गलत ही क्यों न हों मतलब तो कोई होता ही है। बहरहाल जो भी उन्होंने सोचा हो, इससे मुझे बहस नहीं है। अब जनाब खुद ख्याल फरमायें कि इतनी बड़ी स्टेट को कायम रखने के लिये .. ..

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या "तमीज" शब्द पार्लियामेंटरी है?

श्री अध्यक्ष—मैं उसको अनपार्लियामेंटरी नहीं समझता जिस कंटेक्स्ट में वह आया है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जी हां, विद रेफरेंस टु कांटेक्स्ट उसको समझने की कोशिश की जाय। तो जनाबवाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि बड़ी से बड़ी स्टेट को बड़ा रखने के लिये एक वजह यह बतलायी जा सकती है कि इसमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेंसी बहुत ज्यादा है, प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। तो फिगर्स मुलाहिजा

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

फरमाइये कि क्या डेवलपमेंट की फिगर्स हैं। सरदार पणिक्कर ने लिखा है कि यू० पी० की लिट्रेसी १०.८ है जबकि देहली की ३८.४, ट्रावनकोर की ४६.४ और उड़ीसा जैसे बैकवर्ड सूबे में १५.८ है। एक्सपेंडीचर इन एजूकेशन में आप देखें कि यहां १.३ है, बम्बई में ३.६ और मैसूर में ३.७, ट्रावनकोर में ३.६, सौराष्ट्र में ३ और जनाब पर कैपिटा एक्सपेंडीचर जो है सोशल सर्विसेज पर वह है २.७ यू० पी० में, ६.८ मैसूर में और ६ बम्बई में। अब उन्होंने जो फीगर्स नहीं रखी हैं वे अर्ज करता हूं ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाय। मेडिकल सर्विसेज की फीगर्स मुलाहिजा फरमाइये। ०.२ हास्पिटल बेड्स हैं अपने यहां एक हजार पापुलेशन पर यानी कि ६,३०० आदमियों पर एक। नर्सेज की हालत यह है कि ४३ हजार आदमियों पर एक नर्स है यू० पी० में। १४५ बेड्स हैं टी० बी० पेशेन्ट्स के लिये एक करोड़ आबादी पर, ८१ मेटर्निटी सेन्टर्स हैं १ करोड़ आदमियों पर, जबकि यू० एस० ए० में १०.४८ और चायना में ७.१ (यानी कि ८०० पर एक तादाद है)। एक डाक्टर है ६,३०० आदमियों पर जबकि चीन में ८८० आदमियों पर १ डाक्टर है। तो जनाबवाला, यह स्पीड है प्रोग्रेस की और मैं समझता हूं माफ किया जाऊंगा अगर यह कहूं कि अगर इस स्पीड के मुताल्लिक यह कहा जाय कि यह ऐटोमिक एज में बुलक कार्ट की स्पीड है तो कुछ बेजा नहीं होगा।

अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बातें कही हैं उनका बहुत जल्दी-जल्दी जवाब दे रहा हूं। उन्होंने एक तो मुकाबिला किया यू० पी० के एरिया का आस्ट्रेलिया और दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्रीज से। मैं बहुत अदब से यह अर्ज करूंगा कि एक पूरे इंडिपेंडेंट कंट्री का मुकाबिला एक फैडरेशन की फेडरेटिंग यूनिट से करना मेरे खयाल में कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—और चीन का यू० पी० से मुकाबिला करना?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—वह जायज है इसलिये कि वह मुकाबिला था और मेरा मुआजना है। एक बात उन्होंने यह फरमायी है कि कैपिटल्स और कंट्रीज के सेंटर में नहीं हैं। तो हम तो इस वक्त कैपिटल का झगड़ा ही नहीं उठा रहे हैं। वह तो दिल्ली, आगरा, मेरठ कहीं हो जाय। हमने तो अपनी डिमांड को कैपिटल के साथ नहीं लगा रखा है। मैं इसलिये यह अर्ज कर रहा था कि हमारी डिमांड में वह लचक है, यही नहीं कि कैपिटल में ही लचक है, बल्कि हमारी डिमांड में तो उस एरिया में भी लचक है कि जितना एरिया मुनासिब हो, उसमें तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुये, इकोनामी को मद्देनजर रखते हुए जहां मुनासिब हो कैपिटल बनाया जाय।

इस फेडरल प्रिंसिपिल के सिलसिले में एक बात और अर्ज करके मैं खत्म करता हूं। जहां तक फेडरल प्रिन्सिपिल के एप्लीकेशन का सवाल है यह एक बहुत ही जरूरी चीज है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम में नेहरू जैसा लीडर मौजूद है। आज वह तमाम लोगों को दबा कर एक साथ रख सकते हैं, तमाम हिन्दुस्तान उनको अपना लीडर तसलीम कर रहा है। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि फार आल टाइम टु कम हर आदमी जो उस पोजीशन में हो उसका वैसा ही असर मुल्क पर जैसा कि आज पंडित जी का है। तो पेश्तर इसके कि डिसयूनिटी के बीज बोये जायं और ज्यादा डिसयूनिटी बढ़े, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है कि अभी से इसका इन्तजाम कर लिया जाय कि वे जजबात कम हो जायं और जो नफरत हमसे दूसरी स्टेट वालों को पैदा होती चली जा रही है और पैदा हो चुकी है, वह कम हो जाय और यू० पी० को जो आइन्दा एक शदीद नुकसान इस नफरत की बाइस उठाने का इमकान है वह बाकी न रहे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय श्रीचन्द्र जी, अतहर साहब और माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषणों को बड़ा ध्यान से सुना। मैं चूंकि अपने को सीमित रखना चाहता हूं अपने सूबे के मसले से, इसलिये मैंने माननीय झारखंडे राय जी के भाषण का जानबूझ कर जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसमें जाने से मैं झंझट में पड़ जाऊंगा और सारे हिन्दुस्तान के मामले में राय देना मेरे लिये मुश्किल काम है। मैं मुख्य मंत्री जी की

इस सलाह को भी मानता हूं और इसको मुनासिब समझता हूं कि अपने सूबे तक ही हमें अपने को सीमित रखना चाहिये। छोटी मोटी बातें दूसरी जगहों के सम्बन्ध में कह लें तो कोई बात नहीं है।

मैं उस प्रस्ताव का जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, साधारण तौर पर समर्थन करना चाहता हूं। मैं अपने दोस्तों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि असल में हम लोग इस मसले को लेकर कुछ भटक गये हैं। हमें जिन मसलों को अपनी सारी शक्ति लगा कर हल करना चाहिए उस ओर हमारा ध्यान जरा कम है। वह मसला यह है कि हमारा मुल्क रोटी और वस्त्र किस तरह से पावे और यह रोटी, वस्त्र और घर जरूरी मसला है और जब इसके लिये सारे देश की जनता आवाज उठाती है तो कभी-कभी हमारे सामने ऐसी चीज रख दी जाती है जिससे हम भटका करें। मैं समझता हूं कि बारह आने यह मसला इसी तरह का है। वैसे मैं इसको भी मानता हूं कि भाषावार प्रान्तों की मांग लोकप्रिय है, लेकिन यह रोटी और कपड़े से पहले नहीं हो सकती है। मैंने अभी तक यह आवाज नहीं सुनी कि जो साधारण लोग गांव या शहर के रहने वाले हैं जिनको थाने पर, लेखपाल तथा कानूनगो के सर्किल पर और तहसील की अदालत में जाना पड़ता है, उसकी किसी ने नाप-जोख की है और उसकी दिक्कत को देखकर हेड क्वार्टर को बदला जाय ऐसी सलाह दी है। यह सुनकर मुझे बड़ी निराशा और घबराहट होती है। मैं इस चीज को मानता हूं कि जिस हद तक जनता को स्वराज्य मिला है उनके लिये यह मांग लोकप्रिय कही जा सकती है कि हम स्टेट्स का रिआर्गनाइजेशन कर दें क्योंकि इस समय उस तबके के हाथ में राजनीतिक सत्ता है और जब तक उसके हाथ में राजनीतिक सत्ता है तो हमें दूसरे क्या कहना चाहेंगे।

हमारे दोस्तों ने जो सुझाव दिये और संशोधन रखे हैं उनके संबंध में यदि मैं कुछ न कहूं तो यह बड़ा अन्याय हो जायगा। माननीय श्रीचन्द्र जी की बात मैंने बहुत ही ध्यान से सुनी और बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं। मैं उनसे अदब से कहना चाहूंगा कि जब वह अपने को पणिक्कर साहब के साथ करते हैं तो उन्होंने शायद उनको गौर से पढ़ा नहीं है। पणिक्कर साहब जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा श्रीचन्द्र जी कहते हैं। वह कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, हमें सेंटर से मदद नहीं मिल पाती, सेंटर हमारे साथ अन्याय करता है और हमें जितना पैसा मिलना चाहिये वह मिलता नहीं है चाहे वह इंकम टैक्स में से हो, एक्साइज ड्यूटी की आमदनी में से हो, लेकिन जितना हिस्सा हमारी स्टेट का है वह हमें मिलना चाहिये, जो नहीं मिलता है, लेकिन पणिक्कर साहब का नोट इस आधार पर है कि हम अनुचित लाभ उठाते हैं अपने साइज और स्वरूप की वजह से और लोक सभा तथा राज सभा में भी हम अधिक मेम्बर्स भेजने के कारण दूसरी स्टेट्स का हिस्सा भी खींचते हैं यह पणिक्कर साहब की राय है। श्रीचन्द्र जी की यह राय नहीं है उनकी राय यह है कि जितना हक़ इसको मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है। तो मैं समझ नहीं पाया कि हमारे दोस्त, बुजुर्ग श्रीचन्द्र जी किस तरह पणिक्कर जी के नोट आफ़ डिसेंट को सपोर्ट करते हैं। उसके कंटेंट जो हैं वह श्रीचन्द्र जी की बात के माफिक नहीं है। मैं पणिक्कर साहब की बात से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि मैं उस मामले में श्रीचन्द्र जी की बात से सहमत हूं। मैंने अध्यक्ष महोदय, कई बार यह निवेदन किया है कि हमारी सरकार में जो एक फाल्स नोशन आफ़ डिग्निटी है उसने अपने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे ढकेला है। पिछले पांच, सात वर्ष की हुकमत में सरकार ने, जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा, डेवलपमेंट के काम में जो कुछ करना चाहिये था वह नहीं किया, जो कर सकती थी वह भी पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिल्कुल मुनासिब शिकायत है अतहर साहब की, बिल्कुल मुनासिब शिकायत है श्रीचन्द्र साहब की। इन दोनों साहबान की शिकायत अपने मंत्रियों के विरुद्ध है। वे कहते हैं कि मिनिस्टर साहबान जो हैं वह जनता के प्रति अपने फर्ज को जो अदा करना चाहिये वह अदा नहीं करते। सरकार को चाहिये था कि वह अस्पताल ज्यादा खोले, सरकार को चाहिये था कि वह ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के काम करे, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये और डेवलपमेंट के काम तो तभी बढ़ सकते थे जब कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ें, हमारे हाथ में पैसा होता। पैसा लाने के लिये जिस वक्त बात आती थी उस वक्त हमारी हुकूमत कहती थी कि हम तो सेल्फ

[श्री गेंदासिंह]

सफीशियेन्ट है। अब भी वह यही ग़लती करती है। अभी कुछ दिन पहिले निर्वाचन पर बहस हुई थी तो हमारी तरफ़ से यह बात कही गई। हमको कहा गया कि तुम अशुभ बात कहते हो। जब हमने कहा कि हमारा सूबा पिछड़ा हुआ है तो मुझे डांटा गया और मेरी बदनामी की गई। मैं कहता हूं कि आज भी वही बात है। उस दिन तो हमारे श्रीचन्द्र जी और अतहर साहब मुझको डंटवाने में मदद करते हैं जब वह वहां बैठ कर यह कहते हैं कि यह स्टेट सारे हिन्दुस्तान के स्टेट्स में पिछड़ा हुआ नहीं है। यही तो मैं कहता था और जब मैं यह कहता था तो क्यों नहीं आपने सच्ची बात को कबूल किया? अगर आप उस समय नहीं रहे तो किसी वक्त उस बात को कबूल करना चाहिये। मैं आज भी आपको मुबारकबादी देता हूं ख्वाजा साहब को कि जो अपनी हुकूमत की कलई को खोल रहे हैं और इसके उसके सामने इन बातों को रखा है। इन मसलों पर जरा इस समय हमें गौर करना चाहिये। अतहर साहब की बात बेबुनियाद नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं, वह मौजूद हैं। मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, मैं चाहता था कि वे भी मेरी सुन लेते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम अशुभ बात कहते हो। पिछली पंचवर्षीय योजना में २३ अरब रुपया खर्च होने वाला था और उसमें कुल १ अरब ६६ करोड़ रुपया हमको मिला। इस बार कुल ४२ अरब रुपया खर्च होना तय हुआ है जिसमें हमको कुल २ अरब ६० करोड़ रुपया मिलने वाला है। यह कौन सा परसेंटेज है? यह मैं पणिक्कर साहब से पूछूं या वित्त मंत्री जी से? पणिक्कर साहब मुझको मिलते नहीं, मैं वित्त मंत्री जी से पूछता हूं। मैं यह क्या कहूं कि हमारे मिनिस्टर काम करने वाले नहीं हैं। वह लोग झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में रहते हैं। यह सही है मैं नहीं चाहता कहना, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है, श्रीचन्द्र साहब और अतहर साहब की वह हमको इसी चक्कर में डालती है।

मैं कहता हूं कि जो हमारे पश्चिम के साथी नाराज हो गये और चाहते हैं कि अलग हो जायं वह पणिक्कर साहब की बात को लेकर अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि पणिक्कर साहब तो कहते हैं कि स्टेट दूसरों का हक छीनने के लिये बड़ा है। इसलिये इसको टुकड़े कर दो, लेकिन हमारे दोस्त सरकार को कहते हैं कि तुम अपना हक नहीं ले पाते हो और इसलिये हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? ऐसे लोगों के साथ रहेंगे कि जो दिल्ली की हुकूमत से लड़कर ठीक ठीक अपना हक ले सकें? इस मांग का स्वागत करना चाहिये और हमारे सामने के और उन माननीय सदस्यों को भी समझना चाहिये कि वह क्या कह रहे हैं और पणिक्कर साहब के साथ अपने को क्यों जोड़ रहे हैं। असल बात कुछ और है। आखिर हमारे माननीय सदस्य चुन कर यहां पर आये हैं। हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो उस आजाद हिन्दुस्तान के वह मेम्बर हैं। जिस वक्त उनके चुनने वाले यह सवाल करते हैं कि आप ने हमारे लिये क्या किया तो बेचारे वह सिवाय इसके कि और क्या कहें कि सारा का सारा पैसा पूर्वी जिलों को चला जाता है। उनके पास और कोई इसका जवाब नहीं है। आखिर जनता उनसे पूछती है कि तुम वहां किस लिये गये तो वह यही कहते हैं कि जब बटवारा होगा तब तुम्हारा भला होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार को आपने यहां सुनाया यही बात, यदि जनता को भी सुनाया करें तो यह गवर्नमेंट कुछ सुधरती। यह गवर्नमेंट यदि कुछ सलाह आपकी भी मान ले और उस सलाह से अगर आप उनको फायदा पहुंचायें तो देश की जनता को और जिले के लोगों का लाभ हो सकता है। यह मसला हमारे सामने है और सबके सामने है कि वहां पश्चिमी जिलों की जनता कहती है और किसान और खेती में मजदूरी करने वाले कहते हैं कि चाहे दिल्ली की सरकार से कहो या आगरा में सरकार बनाओ, लेकिन हमको रोटी रोजी मिलनी चाहिये। वह तो रोजी रोटी के लिये जान दे रहे हैं, लेकिन आप उस बात को महसूस नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को इस दृष्टि से न देखें कि मैं सरकार को कुछ सुनाने के लिये कह रहा हूं। मैं सचमुच अपनी भावना को कह रहा हूं कि पच्छिमी जिले के लोगों की शिकायतों को जानने की कोशिश की जाय। यह बात निश्चित है कि स्टेट गवर्नमेंट जिस प्रकार से इस वक्त काम कर रही

है उसमें पच्छिमी जिले के लोग यह जरूर कहेंगे कि हमको अलग हो जाना चाहिये। इसलिये कि पूर्वी जिलों को प्रदेश से इगनोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना संभव नहीं है। उसकी जनसंख्या इतनी है कि सचमुच वहां से ज्यादा मेम्बर आयेंगे, इसलिये कि पापुलेशन की बेसिस पर सीटों का बटवारा है। ज्यादा मेम्बर वहां से आयेंगे तो वह अपनी गवर्नमेंट बनायेंगे। तब उस गवर्नमेंट को यह सोचना पड़ेगा कि उधर के लिये कुछ किया जाय। उसकी कैसे उपेक्षा करें, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है। अगर वह उपेक्षा करेंगे तो पार्टी उनकी नहीं रह सकती। यदि सरकार उपेक्षा नहीं करेगी तो फिर पैसा कहां से आवे। दिल्ली से मांग नहीं कर सकते, क्योंकि बड़प्पन में फर्क पड़ जायगा। अगर वहां से मांग नहीं करते तो फिर क्या हो। तब पश्चिम वाले अलगाव की बात न करेंगे तो क्या कहें। यह हमारे लिये मुनासिब बात नहीं होगी और पश्चिम के ही दोस्तों के लिये यह मुसीबत की बात होगी तो फिर सरकार को जरा इसे महसूस करना चाहिये। यू० पी० की सरकार को हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स में अगुवा होना चाहिये और एक नए ढंग पर प्लानिंग की बात करनी चाहिये। मैं यहां पर प्लानिंग की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह आपको सोचना चाहिये कि किस तरह से सारे देश को रोटी दें, वस्त्र दें और आश्रय दें। अगर सब के लिये इस प्रकार का इन्तजाम हो जाय तो फिर पच्छिम वाले झगड़ा नहीं करेंगे और वह नहीं चाहेंगे कि दूसरी तरफ जायं।

दूसरी बात यह कही गयी और मैं भी इतनी बात को जरूर समझता हूं। श्री नन्द्र जी ने यह कहा कि कोई देश रकबे से बड़ा नहीं माना जाता है। जहां पर आदमी ज्यादा हों वही बड़ा माना जाता है। मैं भी कहता हूं कि रकबे से तो जंगल बड़ा होता है। रकबे से मुल्क कोई बड़ा नहीं माना जाता है। इसी तरह से मैं उनसे एक बात और निवेदन कर दूं कि कुछ आदमी तो पूरे आदमी होते हैं और कुछ आधे आदमी होते हैं। यह खुशकिस्मती की बात है कि कुछ व्यक्ति कभी-कभी पैदा होते हैं, वह सारे प्रदेश और देश के देखे जाने लगते हैं। महात्मा गांधी मामूली सी जगह राजकोट में पैदा हुये और सारे भारतवर्ष के नेता हो गये तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि वह राजकोट के थे। तिलक जी पैदा हुये महाराष्ट्र में लेकिन सारे देश के नेता हुये। गोखले जी पैदा हुये देश के एक कोने में परन्तु सारे देश के नेता हुये। इसी प्रकार से जब यह देखते हैं जवाहर लाल जी पैदा हुये यू० पी० में मगर उनको भी यह हक हासिल है और गौरव हासिल है कि वह सारे भारतवर्ष का नेतृत्व कर सकें तो फिर यह चिढ़ की बात तो नहीं होनी चाहिये। क्या राजा जी सारे देश के नेता नहीं हैं? हम तो उनको भी सारे देश का नेता मानते हैं और कोई चिढ़ नहीं समझते। ऐसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं कि उनके पीछे चलना पड़ता है और यह व्यक्ति कभी कभी पैदा होते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को घटाया न जाय, जो व्यक्तित्व उठे हुए हैं, उनको नीचे न खींचा जाय, क्योंकि वे मुल्क की भावनाओं के प्रतीक हैं। इसी प्रकार से डा० राजेन्द्र प्रसाद बिहार में पैदा हुए लेकिन उन्हें सारे देश के लोग अपना नेता मानते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट में नहीं हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव के लिये यह मानने के लिये कौन तैयार होगा कि वे केवल उत्तर प्रदेश के हैं, उसी प्रकार से जय प्रकाश नारायण के लिये भी मैं यह मान नहीं सकता कि वे केवल बिहार की संपत्ति हैं। अतः ऐसे व्यक्तित्व को हमें बनाना होगा, जो सारे मुल्क को अपने पीछे ले जायेंगे। मैं बहुत ही अदब से उस नोट आफ डीसेंट के खिलाफ यह बात कहना चाहता हूं कि पणिक्कर साहब ने जो बात कही है वह उचित नहीं है। कहीं भी ऐसी जो पर्सनालिटीज हैं वह इसलिये नहीं हैं कि वे अपने व्यक्तित्व से दूसरे लोगों को अनुचित फायदा पहुंचाये बल्कि उन पर्सनालिटीज का रहना हमारे सबके हित में ही है। हम चाहते हैं कि हिन्दोस्तान हमारा है और उसके टुकड़े न हों। अगर हिन्दोस्तान के टुकड़े न होने देना है तो ऐसी पर्सनालिटीज को हमें बढ़ाना होगा। हम आज डैमोक्रेटिक मुल्क में हैं और डेमोक्रेसी में यह होता है कि अगर कोई बात गलत कही जाती है जो नुकसान की बात हो तो उसका विरोध हम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी बातों को भी ध्यान में रखना होता है कि जो पर्सनालिटीज बड़ी हैं उनको हम नीचे न गिरायें।

[श्री गेंदा सिंह]

एक बात बहुत जरूरी है उसको भी मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश भूमि के मामले में बहुत गरीब है, बहुत ही घना बसा हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बात से सहमत नहीं हो सकता कि और देश बहुत घने हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे जिले हैं जिन जिलों में पहाड़ी एरिया है जिनको हम आबाद नहीं कर सकते, उसके कारण मालूम होता है कि हमारे प्रदेश की आबादी घनी नहीं है। हमारे प्रदेश की आबादी घनी है और अगर उसके लिये किसी दूसरी स्टेट को नुकसान पहुंचाये बिना, उसका कोप भाजन बने बिना, हमें कोई हिस्सा मिल सके तो उसका हमें प्रयत्न करना चाहिये और वहां अपनी आबादी को खपाना चाहिये। लेकिन इसके लिये हम किसी दूसरे प्रांत के हिस्से को जबरदस्ती लेना नहीं चाहते। अब यह मुसीबत तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि हम ऐसा बंदोबस्त न करें, जिससे खेती और दूसरे रिसोर्सेज के लिये ऐसी चीज न मिले, जिससे हम अपने प्रदेश को और आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़ाने की बात तो और है लेकिन हम इस वक्त तो रोटी और वस्त्र की बात ही करते हैं। हो सकता है इससे कुछ लोगों को नाराजगी हो। हम नहीं चाहते कि दूसरी स्टेट अगर बन रही है तो उनका हिस्सा काट कर उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। अगर उत्तर प्रदेश अपने रिसोर्सेज को और अपनी अक्ल को ठीक से काम में लाये तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश म किसी को कोई शिकायत बाकी नहीं रह जायगी। उससे पश्चिमी लोगों को भी फायदा होगा, उनकी शिकायत दूर हो जायगी और पूर्वी लोगों की शिकायत भी अगर जल्दी दूर न हुई तो थोड़ी देर में अवश्य दूर हो जायगी। जो लोग अलहदा होने की बात सोचते हैं वे भी ठंडे दिल से सोचें कि क्या हम सब मिल कर सूबे को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते और अगर ले जा सकते हैं तो फिर वे यह न सोचें कि मैं इस तरफ की बेंच से कह रहा हूं। इसलिये उसका किसी न किसी प्रकार से विरोध होना ही चाहिये। अपने जीवन में जब से मैं यहां आकर बैठा हूं हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि उस तरफ से कोई भी बात कही जाय तो उसके मेरिट पर ही विचार करें और मेरिट पर विचार करके मेरी बुद्धि में जितनी बात आती है, हो सकता है कि मेरी बुद्धि में न आती हो, लेकिन मेरिट पर विचार करके ही कुछ कहता हूं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और हम अपने सूबे की तरक्की करना चाहते हैं, अपने सूबे की भलाई करना चाहते हैं तो स्टेट लेविल पर सोचने के साथ-साथ हमको गांव के लेविल पर, उस निचले स्तर पर भी सोचना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं और अपने दोस्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि वे यह न समझें कि हमारे साथ रह कर उनकी गरीबी बढ़ेगी। यह बड़ी अपमानसूचक बात है, मैं एक बात कहने के लिये आपकी इजाजत चाहता हूं कि कुछ दिन पहले देहली से कुछ लोग आये और हमसे उन्होंने बात की कि हमको इस सूबे से अलग हो जाना चाहिये और देहली में कुछ जिलों की राजधानी बनानी चाहिये। मैंने पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है, कारण उन्होंने बतलाये वह यह कि हमारा इकनामिक स्टेंडर्ड ऊंचा है और इन लोगों के साथ रहने से हमारी तरक्की रुकती है। उन्होंने शायद समझा नहीं था कि मैं उसी एकनामिक स्टेंडर्ड का हूं जो उनसे नीचा है। इस पर मैंने उनसे कह दिया कि आप मुझको राजी करने की मेहनत न करें। यह तो उसी तरह की बात हो गयी कि एक ही घर के दो भाइयों में एक भाई अगर धन वाला हो जाय तो वह छोटे भाई का अपमान करे। इसी तरह की बात मुझे वह लगी कि चूंकि हम दरिद्र हैं इसलिये वे हमारे साथ नहीं रह सकते। मैंने कह दिया कि अगर आप देहली में हुकूमत बनाना चाहते हैं तो जाइये वहीं पर बनाइये, हम आपके रास्ते में बाधक नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की बात कहना ही नामुनासिब है कि हमारा सब रुपया इन पहाड़ वालों में या पूरब वालों में खर्च हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर बहुत से आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये। अगर वे आंकड़े प्रस्तुत करते तो जहां कहा जाता है कि हमारा सारा पैसा इधर ही खर्च हो जाता है, मैं समझता हूं कि हिसाब जोड़ने पर ज्यादा अन्तर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं उसको जोड़ता नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरी यह आदत भी नहीं है जोड़ने की कि गोरखपुर में कितना

खर्च हुआ और मेरठ में कितना खर्च हुआ। लेकिन हां, उस समय जरूर जोड़ा करता हूं जब अखबारों द्वारा यह खबर मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना रुपया दिया है, तो उस समय मैं जोड़ता हूं कि कितना रुपया किसको दिया गया और हमारे हिस्से में कितना मिला। जब मैं कभी इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न करता हूं तो चूंकि वह जुरिस्डिक्शन में नहीं आता इसलिये नामंजूर हो जाता है। मैं पूछा करता हूं कि सरकार हमको बतलाये कि कितना हमारा हिस्सा है उसने कितना प्राप्त किया। मैं समझता हूं कि अगर हमारी सरकार खबरदारी के साथ अगली पंचवर्षीय योजना के हर काम के लिये अपने हिस्से की परवाह करेगी और बिलकुल मेरठ के स्टैंडर्ड से अपने को न नाप कर सारे देश के स्टैंडर्ड से नापने की कोशिश करे तो सूबे की बड़ी उन्नति हो सकती है। जब देहली वाले मेरठ या गाजियाबाद में कभी आते हैं तो उसी हिस्से को देख कर समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश तो पहले से ही इतना डेवलप्ड है वहां डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है और इस तरह से एक झूठी तसवीर यू० पी० की वे अपने मन में बना कर चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि हम इस झूठे बड़प्पन में न पड़ें।

रह गयी बात भाषावार प्रान्त की। जैसा कि श्री झारखंडे राय जी ने कहा कि इस तरह का प्रान्त बनना चाहिये, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि भाषा के आधार पर अगर कोई स्टेट आर्गनाइज हो जाय तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना है कि इसके लिये हमको कीमत कितनी देनी पड़ेगी। अगर हम इतने छोटे-छोटे स्टेट बना डालें तो जितने स्टेट के गवर्नर साहब होंगे, पार्लियामेंट होगी, असेम्बली होंगी, मिनिस्टर्स होंगे, उन्हीं के रखने में किसानों और कमाने वालों का सारा पैसा खर्च हो जायगा। इस तरह से अगर हम जनता से सारा पैसा खींच कर उन्हीं के ऊपर खर्च कर डालें, इससे तो अच्छा यही है कि हम जिस तरह से पड़े हैं उसी तरह से पड़े रहें। लेकिन अगर स्टेट्स अधिक बनानी हों तो बहुत सी बुनियादी बातों पर सोचना होगा और उन पर जिनसे जनता पर टैक्स का बोझ न पड़े। सरदार पणिक्कर ने भी कहा है कि जो स्टेट बाकी रेजीडुएरी स्टेट रह जायगी उसको टैक्स बढ़ाने की बात सोचनी पड़ेगी लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि स्टेट्स ठीक ढंग से फिर से आर्गेनाइज हो जायं और एक वैज्ञानिक ढंग से आर्गेनाइज हो जायं लेकिन टैक्स बढ़ाने की बात हम कैसे कबूल कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी कहना पड़ेगा कि कांस्टीट्यूशन में राज्य प्रमुख नहीं रहेंगे लेकिन राज्यपाल तो रहेंगे, क्योंकि उनके दर्जे को मन्सूख करने का हमें अधिकार नहीं। वह भी रहें, असेम्बली ऐसी ही बनी रहे, यही हमारा वेतन बना रहे, यही यहां के खर्च बने रहें इसके बावजूद हम कहें कि स्टेट बढ़ाओ तो फिर उसके लिए पैसा कहां से आयेगा। एक तरफ हम यह बात स्वीकार कर लेंगे तो दूसरी तरफ बजट प्रोपोजल आयेगा और हाफिज जी जैसे सिद्धहस्त लोग दूसरों से बात को मनवाने वाले कहेंगे कि उस दिन तो तुम ने कहा था कि स्टेट बढ़ाओ और अब टैक्स प्रोपोजल पर क्यों मुखालफत करते हो और उस वक्त उसका हमारे पास कोई जवाब न रहेगा। मैं श्री झारखंडे राय के टर्म्स पर भी सोचता हूं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि टैक्स बढ़ा कर, क्योंकि यहां की जनता के पास पहले अन्न, कपड़ा और रहने का घर होना चाहिए और उसे छोड़ कर टैक्स बढ़ा कर यहां बैठ कर हुकूमत की जाय यह किसी को मंजूर न होगा। अन्त में मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस प्रस्ताव से मैं आम तौर से सहमत हूं और जो बातें उन्होंने अपने भाषण में कहीं उनसे कई स्थान पर मतभेद है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर कुछ हिस्सा इस राज्य में मिलाया जाय तो बहुत ही कुशलतापूर्वक मिलाया जाय, किसी की नाराजगी से नहीं, मर्जी से और हम चाहते हैं कि हमारा काम ठीक हो, और दिक्कत दूर हो, लेकिन उससे दूसरों की दिक्कत न बढ़े इसका ध्यान अवश्य रहना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) (जिला बिजनौर)—जनाब स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि मेरी आवाज बहुत पड़ी हुई है और मैं बोलूंगा भी कुछ दिक्कत के साथ। मगर मैं चूंकि कल और परसों कहीं और होऊंगा इसलिए मैंने स्पीकर साहब से इजाजत ली कि मैं पश्चिमी जिलों का एक आदमी हूं और मैं इस वक्त गवनमेंट का एक मेम्बर होने की हैसियत से नहीं, बल्कि पश्चिमी जिले का एक आदमी होने की हैसियत

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

से अपने कुछ ख्यालात एवान के सामने रखना चाहता हूं । मैं यह नहीं कर सकता कि इस थोड़े से वक्त में जो बातें यहां कही गई हैं उन सबके मुताल्लिक कुछ अर्ज कर सकूं, लेकिन दो-चार बातों के मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज करूंगा। मैं अपने ख़यालात इस सदन के सामने रखूंगा कि यह कहां तक मुनासिब है कि यू० पी० के जिलों को इससे कट करके किसी और तरफ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। जब से यह सवाल उठा मैंने उस पर वक्त-फवक्तन सोचा भी मगर जो तकरीरें आज यहां हुईं इसकी मुआफिकत में कि यू० पी० का कुछ हिस्सा कट कर किसी दूसरी जगह जाय तो मैं कुछ समझा और जो समझा वह मैं समझता हूं कि बिल्कुल यही समझा हूं और उसको समझने के बाद मुझको गालिब साहब का एक शेर याद आ गया वह मैं सदन को इसलिये सुनाना चाहता हूं कि यह जो सवाल है वह क्यों उठा है और इसका नतीजा क्या है।

श्री अध्यक्ष—उसका मतलब भी बता दीजियेगा अगर हम लोग न समझें तो।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बिलकुल समझ जायेंगे । मालूम नहीं गालिब साहब को उस जमाने में यह बात मालूम होगी कि उन्होंने इस किस्म का शेर कह दिया। जब मैं अपने भाई श्रीचन्द्र साहब को और अतहर साहब को सुन रहा था तो मुझे वह शेर बराबर याद आ रहा था। वह शेर यह है :

"अब तो घबरा के यह कहते हैं कि मर जायेंगे।
मर के भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे।।"

तो मैं दरअस्ल इसी झगड़े में पड़ा हुआ था अपने दिमाग में कि मेरे भाई जो फरमात हैं उसके ऊपर अमल होने के बाद भी अगर हम वहीं के वहीं रहे या और कहीं ज्यादा मुसीबत में मुब्तिला हो गये तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब मेरे भाइयों की तकरीर में मुझे कहीं नहीं मिला। बड़ा है यू० पी० और इंतिजाम बड़े स्टेट का सही नहीं हो सकता है और बड़ा रकबे में नहीं, बल्कि बड़ा आदमी ज्यादा होने से। कहा जाता है कि डेवलपमेंट में जो कुछ वहां होना चाहिये था वह नहीं हुआ। कन्द्रीय सरकार से जिस कदर रुपया मिल सकता था और जो वहां पर खर्च किया जा सकता था वह खर्च नहीं हुआ, वहां रुपया नहीं मिला। ये सब बातें ऐसी हैं कि जो इस वक्त यहां कह दी गईं, इसकी मुआफिकत में कि यू० पी० के जिले यहां से कट जायं। मैं यू० पी० का एक आदमी शायद यू० पी० के पश्चिमी जिले की बदकिस्मती से हूं और सन् १९४६ से लेकर सन् १९५२ तक उन मुहकमों का इन्चार्ज रहा, जिन मुहकमों में डेवलपमेंट का काम होता था । फिगर्स कुछ तो दी गईं मेमोरेंडम में वे गलत दी गई थीं और मैं अब दे दूं तो वे भी गलत हों, लेकिन मैं तवज्जह दिलाता हूं कि वे इस बात को इस नुक्तेनजर से देखें कि सन् १९४६ से लेकर ५० तक जितने ट्यूबवेल्स बने वे कहां बने, जितने चैनेल्स, नहरें बनीं, वे कहां बनीं, बिजली के लिये जितने काम हुये वे कहां हुए। कभी-कभी यह होता है कि बहुत बड़ी रोशनी सामने भी हो तो वह नजर नहीं आती। पश्चिमी जिलों में इस वक्त तक तीन पावर स्टेशंस बने। इस हाउस को उनके पूरे हालात मालूम हैं या नहीं। खटीमा पावर स्टेशन बना। कहा गया कि यह पश्चिमी जिलों में खारिज हो, लेकिन कम्बख्त खारिज नहीं हुआ और वह वहीं का वहीं रहा। पश्चिमी जिलों में मुहम्मदपुर पावर हाउस बना तो कहां बना ? यह जो बिजली का डेवलपमेंट इस वक्त तक इस स्टेट में हुआ है तो वह कहां हुआ और वह किस तरीके से हुआ यह मैं इस हाउस को बतला दूं। यह नहीं कि आगे की कोई बात बतला रहा हूं। आगे की बात भी है और इस वक्त की भी है और मैं एक फिकरे में उस बात को वाजेह करता हूं कि जो सहारनपुर का रहने वाला एक काश्तकार है उसकी किस्मत बलिया के रहने वाले एक काश्तकार से बंधी हुई है। जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, जितनी बिजली बन कर इन पावर स्टेशंस में मिल गई है वह आगे को बढ़ा कर सारी स्टेट के अन्दर, एक सिरे से लेकर दूसर सिरे तक फैल जायगी और जितने पावर स्टेशन्स हैं वे सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं।

एक बात कही जा रही थी कर्ज लेने की। मेरी समझ में नहीं आता कि रेवेन्यू का सवाल कहां से आता है। जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं वे सब कर्जा लेकर तो हुए ही हैं। जितने पावर स्टेशन्स बनाये गये हैं कर्ज लेकर, जितनी नहरें और ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं ये कहां से बनाये गये--सब कर्जे के रुपये से बने हैं। कर्जा तकसीम करके लेंगे? तब नहीं लेंगे। जब सवाल यह आये कि इतने करोड़ रुपये का जो यू० पी० पर कर्जा है उसमें से इतना हिस्सा जो पश्चिम के लिये है वे दें तब कोई उस वक्त देने के लिये तैयार नहीं होगा। जब कोई बात कहें तो पहले यह सोचें कि उसके इम्पलिकेशंस, जो-जो बातें उसके अन्दर से निकलती हैं और किस तरह से उसका एक-दूसरे पर असर पड़ता है--उन सब का क्या होगा। इन सब बातों को समझ कर कोई एक बात कायम की जाय तब तो उसके कुछ मानी हो सकते हैं वर्ना महज इस बात पर कि मुझे यह डिसटिंक्शन है सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। मैं नहीं जानता कि कहां मैं रहता हूं और कहां दूसरे भाई रहते हैं। यू० पी० के अन्दर सहारनपुर से लेकर बलिया तक क्या यह जबान नहीं बोली जाती जो यहां इस सदन में बोली जा रही है? कौन सा जिला है इस यू० पी० में, जिसमें यह जबान नहीं बोली जाती जो इस सदन में बोली जाती है चाहे इसको जो कुछ भी कहते हों? हर जिले के अन्दर यही जबान बोली जाती है। यही कपड़ा जो यहां पहने बैठे हैं तमाम पश्चिमी और पूर्वी जिलों के नुमाइन्दे वहीं सारे यू० पी० के अन्दर पहना जाता है। इनके कल्चर के अन्दर क्या फर्क है। इनके खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने में जो जिन्दगी की रहन-सहन से ताल्लुक रखती है उनमें क्या फर्क है। किस बिना पर उनको एक नहीं कहा जा सकता। कहां जबानें दो बनीं या तीन बनीं ऐसे तो अंग्रेजी भी बोली जाती है और यों शायद अरबी, फारसी के बोलने वाले भी हैं, लेकिन वे सारी जनता के आदमी जिस जबान को बोल रहे हैं उसे देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि सहारनपुर से लेकर बलिया तक एक जबान नहीं है या सहारनपुर स लेकर बलिया तक एक कल्चर नहीं है। यों तो एक-एक घर में, एक एक मोहल्ले में आदमियों के अन्दर कुछ न कुछ फर्क होता ही है। लेकिन वह फर्क कभी कोई नोटिस में नहीं लाता। यह एतराज भी किया गया कि आदमी ज्यादा हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी बतलाई गई। मेरी समझ में नहीं आया। फर्ज कीजिये इस जिला लखनऊ में जितने आदमी रहते हैं, इससे दुगने यहां रहने लगें, एक बात है और इसी जिले के आदमियों को छांट करके दो जिलों के अन्दर बांट दें। इन्तजाम किस हालत में मुश्किल होगा? इन्तजामी मुश्किल तो रकबे की लम्बाई से ज्यादा पैदा होती है, ज्यादा आदमियों की तादाद से नहीं। मैं नहीं समझता इस बात को। तो जो बड़ाई है, अगर रकबे की बड़ाई है, तो उससे ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी पैदा हो सकती, अगर्चे यू० पी० इतना बड़ा रकबा रखता है जिसको कोई साहब यह भी कह दें कि इतना नहीं होना चाहिए किसी स्टेट को। लेकिन मैं यहां कहता हूं कि बतलाओ, उस रिपोर्ट में किसी ने लिख दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी पर एतराज नहीं करता, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं और उससे दुनिया इनकार नहीं कर सकती, और जिनका ऐसा ख्याल है वह बतला दें, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी स्टेट इस देश की जिसका ऐडमिनिस्ट्रेशन यू० पी० से अच्छा हो। मैंने यह सवाल किया है और उन साहबान से किया है जो साहबान जिम्मेदारी से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसका जवाब कोई नहीं पाया। मैं कहता हूं कि बतला दें। छोटी को बतला दें अगर रकबा कम होने से अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन होता है अगर यहां आदमियों की तादाद ज्यादा है तो उस हालत में जब कि वहां का इन्तजाम खराब नहीं है तो कैसे मैं मानूं इस बात को, आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, जिस चीज का रोजाना तजुर्बा हो, उसको देखते हुए किसी और वजह से इस बात को पलट कर कहने लगें तो माकूल बात थोड़े ही हो सकती है। मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई माकूलियत नहीं है इस बात के कहने के वास्ते कि चूंकि यू० पी० का इन्तजाम खराब है, इसलिए यू० पी० को बांट दिया जाय। चूंकि यू० पी० में तीन जबानें बोली जाती हैं, चूंकि यू० पी० के कल्चर में तीन रंग हैं इसलिए बांटें, इसमें एक भी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बात एगजिस्ट नहीं करती। यू० पी० के आदमी वहां ज्यादा जाते हैं, उनका यू० पी० वाले से कम से कम कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यू० पी० के सहारनपुर के जिले को काट करके वहां मिला दो, पंजाब में। अगर कोई शख्स समझता है कि कल्चर और जबान किस चीज का नाम है, तो कभी कोई नहीं कह सकता कि लुधियाना और अमृतसर में वही जबान बोली जाती है जो सहारनपुर में बोली जाती है। पंजाब के जिलों में और यू० पी० के पश्चिमी जिलों में खुला हुआ फर्क है, जो गैर से गैर आदमी जरा सी देर में महसूस कर सकता है। मैं कहता हूं कि ख्वाजा अतहर हुसैन साहब को और अमृतसर के एक आदमी को साथ-साथ खड़ा कर दीजिये, अगर वह यह कहें कि हां, साहब दोनों बिल्कुल एक हैं तो मैं मान लूंगा और अगर उस आदमी को और ख्वाजा साहब को यह कहें कि यह दो हैं तो मैं मान लूंगा। पंजाब के साथ जोड़ने को तैयार हैं। मुझे कोई चीज नजर आयी नहीं, जिससे कटौती करके यहां से वहां को ले जायें।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को उपस्थित करने की तो आज्ञा नहीं मिली, लेकिन जो आपने मुझे यहां पर अपने विचार रखने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। ऐसा मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव नेता सदन ने हमारे सामने रखा है वह हर तरह से उपयुक्त है और हम उसका समर्थन करना चाहते हैं यद्यपि मैं यह पसन्द करता कि यह प्रस्ताव कुछ और स्पष्ट और कुछ और जोरदार होता फिर भी जैसा यह है मैं इसका समर्थन करता हूं।

उत्तर प्रदेश के संबंध में जहां तक विचार करना है पहले मैं उस पर भौगोलिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूं। इतिहास बदला करता है लेकिन भूगोल नहीं बदलता। अगर हम केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से ही विचार करें तो हम साफ-साफ देखेंगे कि प्रकृति ने ही उत्तर प्रदेश को अविभाज्य बनाया है। बन्द मित्रों को अविभाज्य शब्द खटकता है तो मैं अविभाज्य की जगह इकाई शब्द प्रयोग करूंगा। उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई है और मैं यह उनसे कहूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के इतिहास और भूगोल का अध्ययन करें तो उनको मालूम होगा कि सदा से यह ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहना चाहिये। कभी-कभी इतिहास में ऐसे अवसर आये हैं जब कि बाहरी लोगों ने उत्तर प्रदेश के कुछ अंगों पर कब्जा कर लिया है, थोड़े समय के लिये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा इससे अलग रहा है, लेकिन जब कभी उत्तर प्रदेश के लोगों में ताकत हुई है तो बराबर उत्तर प्रदेश अपने असली रूप में आ गया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि स्वतंत्र हिन्दुस्तान में हमारा भी एक स्थान है और हम अपने पुराने भौगोलिक और ऐतिहासिक इकाई के आधार पर अपने रूप को पा गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों से ले करके और जहां पर घाघरा बलिया जिले में गंगा से मिलती है वहां तक की तमाम गंगा की घाटी को देखा जाय तो मालूम होता है कि यह एक प्राकृतिक देन है चाहे इसको दक्षिण से देखा जाय या उत्तर से देखा जाय दोनों तरफ से भिन्न-भिन्न धारायें आकर गंगा में मिलती हैं और इस इकाई को पुष्ट करती हैं। यह सब प्राकृतिक देन ही दिखाई देती है और जहां तक सवाल संस्कृति का है, मैं तो यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान की संस्कृति का मेल यदि कहीं देखने में आ सकता है तो वह इस उत्तर प्रदेश में ही। अगर आप बनारस में जायं तो आप वहां दक्षिणी लोगों को एक बहुत बड़ी संख्या में पायेंगे। वहां पर बंगाल और महाराष्ट्र के लोगों को भी आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश तो केवल गंगा और जमुना का ही नहीं, बल्कि हमारी तमाम भारतीय संस्कृति का एक संगम स्थान है। ऐसे प्रदेश के विभाजन करने का विचार तो वही कर सकते हैं या सोच सकते हैं जिनके पास कि हृदय नहीं है या बुद्धि नहीं है। इस शब्द का प्रयोग करने के लिये मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि भौगोलिक आधार कभी बदल नहीं सकता है, प्रकृति अपनी जगह पर रहती है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जिसको हमने आज गंगा की घाटी बतलाया, उसमें कई राज्य कायम हुये हैं, लेकिन सर्वत्र और सर्वकाल में एकता कायम रही है। आज भी मैं देखता हूं, भाषा हिन्दी ही है यद्यपि जैसा मेरे एक मित्र ने बताया कहीं पर ब्रज भाषा, कहीं पर अवधी और कहीं पर भोजपुरी और गढ़वाली बोली जाती है, लेकिन सबका आधार संस्कृत और हिन्दी ही रहा है और आज तक है। इसके अलावा जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करते हैं तब भी ऐसा ही लगता है। आज के दिन हमारे राष्ट्र के लिये यह दृष्टिकोण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा राष्ट्र एक बहुत बड़े प्रयोग में लगा हुआ है। हम अपने लोगों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। जिस प्रस्ताव के द्वारा गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया है उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हम ऐसा कोई रिआर्गेनाइजेशन न करें, जिससे हमारे इकोनामिक संगठन और प्रगति में बाधा पड़े। आज हम इस दृष्टिकोण से विचार करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी सिंचाई के साधन हैं, जितने भी बिजली के साधन हैं, जितने भी यातायात के आज हमारे साधन हैं इन सबको देखेंगे तो इन सबका उद्गम स्थान पश्चिम में पायेंगे और पूरब को वह जाते हैं। अगर हम इस आर्थिक संगठन को और भी सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें इस विचार को अपने समक्ष रखना पड़ेगा। हम और भी बातों को देखें। छोटी-छोटी बातों में मैं नहीं जाना चाहता। हमारे बहुत से भाई बोलने वाले हैं। लेकिन मैं कुछ बड़ी बातों की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जोकि बहुत ही मौलिक और फंडामेंटल (बुनियादी) बातें हैं और जिनकी हम कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते। स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के संगठन वाले प्रस्ताव में एक और बड़ी भारी बात का जिक्र है और हम चाहेंगे कि सदन के सदस्य उसको अपने सामने रखें। वह इस बात का निर्देश करता है कि हमें इस मसले पर कैसे गौर करना है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमको इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर और डिस्पैशनेटली विचार करना चाहिये। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जबकि हम इसको भूल जायं कि हम पूर्व के हैं या पश्चिम के हैं। हमको सारे राष्ट्र और तमाम उत्तर प्रदेश राज्य को अपने सामने रख कर इस मसले पर विचार करना है। किसी ऐसे संकुचित दृष्टिकोण से कि हमारे खास जिलों को, खास तबके को, खास दृष्टिकोण को कैसे पुष्टि मिलेगी, या कैसे हम किसी क्षेत्र का समर्थन पायेंगे, इस आधार से जब हम विचार करेंगे तो हम कभी भी उस बड़े पैमाने पर, जोकि राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिये आवश्यक होता है, उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से यानी वर्तमान संगठन और भविष्य के निर्माण की दृष्टि से इस बात को देखें तो समस्त उत्तर प्रदेश का आर्थिक संगठन या आर्थिक स्वार्थ एक ही है, ऐसा स्पष्ट हो जायगा, उसको हम बांट नहीं सकते हैं और इस तस्वीर को आज हमें सब के ऊपर और आगे रखना है।

अभी हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने बतलाया और मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि हमको इस मसले पर तमाम उत्तर प्रदेश को सामने रखकर विचार करना है और इन छोटी-छोटी बातों को कि पूरब के लोगों को कितना रुपया मिला और पश्चिम के लोगों को कितना मिला, इस मसले पर उस दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस सदन में रोज ही बहुत से प्रश्न आये हैं, उन पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार हम करते हैं और करेंगे, लेकिन इस प्रश्न पर तो हमको एक बड़े दृष्टिकोण से विचार करना होगा तभी हम उसका सही अन्दाज लगा सकते हैं।

अब संस्कृति की बात रह गयी। मैं आपसे इस संबंध में पहले ही निवेदन कर चुका हूं। फिर भी जहां तक रहन-सहन का सवाल है मैं तो यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जरूर ऐसा है कि किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का स्तर ऊंचा है। किसी का रहन-सहन ऊंचा है और किसी का मन्द है, लेकिन इससे संस्कृति में भेद नहीं आता। अगर आप गढ़वाल या अल्मोड़ा या बद्रिकाश्रम में जायं या पूर्वी जिलों के बहुत से पिछड़े हुये भागों में जायेंगे तो लोगों के जीवन, रहन-सहन, विचारधारा की ओर देखेंगे

[श्री राधामोहन सिंह]

तो उसमें एकता पायेंगे। ऐसी हालत में इस चीज को सोचना कि पूरब और पश्चिम की स्थिति में इस सम्बन्ध में भेद है और सांस्कृतिक आधार पर कोई बटवारा हो सकता है तो वह नितांत निर्मूल है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन कायम हुआ उसका असली ध्येय यह था कि जहाँ कहीं हमारे देश में भाषावार प्रान्तों का प्रश्न बहुत जटिल हो गया था उन्हीं को सुलझाने के लिये यह कमीशन कायम हुआ था। लेकिन यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि हमारे यहां के कुछ लोगों ने इस मौके पर अपने मन की करने के लिए प्रान्त के विभाजन का प्रश्न खड़ा कर दिया जहाँ भाषा का कोई प्रश्न नहीं था। मैं भी जानता हूं कि पश्चिम के जिलों में बहुत से ऐसे हमारे माननीय सदस्य हैं जो बहुत ऊंचे खयाल के हैं और उन्होंने इस प्रश्न पर बड़े ऊंचे स्तर से विचार किया है, फिर भी मैं यह कहूंगा कि कुछ लोगों ने इस मौके पर गलत प्रयास किया और गलत तौर पर यह कोशिश की कि उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा हो जोकि इस कमीशन के उद्देश्य से परे की चीज थी। उस प्रस्ताव के क्षेत्र में यह बटवारे का प्रश्न किसी तरह से बैठता नहीं है। न तो उसमें कोई सांस्कृतिक प्रश्न उठता है और न भाषा आदि का कोई ऐसा प्रश्न है कि जिसको लेकर हम उत्तर प्रदेश के बटवारे के प्रश्न को ले सकते हैं।

मुझको, अध्यक्ष महोदय, स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ते समय एक बहुत ही दुखद अंश भी देखने को मिला। उक्त कमीशन के एक माननीय सदस्य श्री पणिक्कर साहब के असहमति के नोट को भी पढ़ने का हमें मौका मिला। मुझे दुख हुआ कि ऐसे ऊंचे दरजे के आदमी जिनके बारे में मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वह बहुत ही विद्वान् और बहुत ही पढ़े-लिखे और यहां के सांस्कृतिक साहित्य के विशेषज्ञ हैं। ऐसे ऊंचे दरजे के आदमी के नोट को पढ़ करके मुझे बहुत वेदना हुई। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इससे बढ़ करके डिस्रेप्टिव विभेद उत्पन्न करने वाला और राष्ट्रीय एकता के लिए घातक और राज्यों में क्षोभ की सृष्टि करने वाला कदाचित् ही कोई और लेख हो।

इस रिआर्गनाइजेशन का जो उद्देश्य लिखा है वह स्पष्टतः "नेशनल सिक्योरिटी ऐंड यूनिटी" ही है। तो विभिन्न विचार रखते हुए भी हमें इस बात को नहीं भूलना है कि आज जो हम अपने राष्ट्र को संगठित करने जा रहे हैं उसका मूलभूत आधार नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी है। आज हमारे देश में विभिन्न स्थितियों के होते हुये भी राष्ट्रीय कांग्रेस का पिछले ६० साल का इतिहास यह जाहिर करता है कि हमने सबको एक करके एक राष्ट्र कायम करने का प्रयत्न किया है। उत्तर प्रदेश में कुछ भिन्नतायें होते हुये भी मुझे इस बात का गर्व है कि हमने पिछले दिनों में बहुत कुछ एकता कायम की है और अपने छोटे-मोटे स्वार्थों को त्याग कर एकता की भावना से एक बड़ा राष्ट्र कायम करने का हमने यत्न किया है। आज उस भावना को जो क्रमशः दृढ़ होती जा रही थी पणिक्कर साहब के नोट ने एक झटके से एक नया मोड़ दिया। मुझे दुख है कि कुछ लोगों ने उसे समझने में गलती की है। मुझे अपने मित्र श्रीचन्द्र जी के भाषण के प्रति भी कुछ कहना है। पणिक्कर साहब के नोट का जो खतरनाक नोक और निम्नतर स्तर था वह यह कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है और कहा कि उत्तर प्रदेश अपने आकार-प्रकार के कारण देश की राजनीति में एक डामिनेट पावर रखता है जिससे राष्ट्र के अहित की आशंका है। मैं उनसे पूछूं कि इतने बड़े आदमी ने अपने नोट में एक भी उदाहरण इस बात का नहीं दिया है कि हिन्दुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश का आज तक बहुमत होने के कारण किस जगह पर अपने स्वार्थ में हमने राष्ट्र का अहित किया है। अगर वह इस भावना के समर्थन में एक भी ऐसा उदाहरण दिये होते तो मुझे आज इन शब्दों के कहने का अवसर न होता। लेकिन उन्होंने अपनी दलील की पुष्टि करते हुये यह कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश का बहुमत है इसलिये और राज्यों को इस बात की आशंका हो सकती

है । लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वे इतिहास और राजनीतिक विद्यार्थी होते हुये भी उन्होंने इस बात की बिल्कुल अवहेलना कर दी कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है । किस राज्य को कितना और क्या दिया जाय इसका फैसला तो कैबिनेट करती है न कि पार्लियामेंट । इसलिये इसकी आशंका बिल्कुल नहीं है कि किसी एक विशेष राज्य का बहुमत पार्लियामेंट में होने के कारण कैबिनेट या सरकार पर कोई असर पड़ सकता है । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पणिक्कर साहब के नोट से मुझे बड़ा दुख हुआ ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां मैंने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इकाई की बातों का जिक्र किया वहां हमें एक बात कहनी है आज के नये जमाने में देखना है कि हमारा फ्रंटियर स्टेट बहुत ही विशाल और सुदृढ़ होना चाहिये । उत्तर प्रदेश एक सीमा का राज्य है । अभी हमारे देखने म आया कि हमारे एक मित्र राष्ट्र के नेतागण हिमालय को पार करके यहां आय हुये हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने बताया ह कि हिमालय अब विभाजन का कारण न होकर वह एक जोड़ने का कारण हो सकता है । ऐसी हालत में हमें यह देखना है कि हिन्दुस्तान की सुरक्षा को खतरा पूव या पश्चिम से नहीं है बल्कि उत्तर से हो सकता है । इसलिये उत्तर में हमें एक ऐसा सुदृढ़ राज्य कायम करना है जो हमारी रक्षा कर सके । ऐसी हालत में मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह पर है ।

उत्तर प्रदेश की प्रगति के जो आंकड़े दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश कोई उन्नति नहीं कर रहा है मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह तो रोज ही हम देखते हैं कि सदन में इस पर बहस होती है कि हमारी गवर्नमेंट योग्य है या अयोग्य । लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश या और छोटे-छोटे प्रदेशों में जो डाकुओं क हमले हो रहे हैं तो अगर वहां कोई बड़ा राज्य होता तो वह इन घटनाओं का मुकाबिला कर सकता था । आज देश में बड़ा राज्य होना अभिशाप न होकर एक अनिवार्य आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अविभाज्य है और अविभाज्य रहना चाहिए ।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)---अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय जब कि मैंने संशोधन वापस लिया था तो यह कह रहा था कि विचित्र बात यह है कि प्रान्तीय सभाओं मे वादविवाद होने के पश्चात् यहां से जो निर्णय जाते उन सब के पहुंचने के पश्चात् आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को सोचकर कोई निर्णय करना चाहिये था । किन्तु बात ऐसी हुई कि पहले उन्होंने निर्णय ले लिया फिर निश्चय किया कि अमुक तारीख तक सब विधान सभायें, विधान परिषद् या राज्य परिषद् अपना निर्णय देंगी । अनुशासन में रहते हुये भी और इस प्रजातन्त्र में आने पर भी अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता हूं कि जिधर ज्यादा हाथ उठते हैं उधर ही सत्य होता है । लेकिन यह बात और है कि मैं अनुशासन में होने के कारण चुप हो जाऊं, मौन धारण कर लूं । लेकिन यह नहीं मान सकता कि जिधर कम हाथ उठते हैं उधर असत्य ही होता है ।

मैं विचित्र परिस्थिति में हूं और अंग्रेजी के पढ़ने के पश्चात् और शास्त्रों का अध्ययन कर चुका हूं, इसलिए मैं जब कभी भी बोलने के लिय खड़ा होता हूं तो दो विचारधारायें मेरे सामने आ जाती हैं कि सभा में जाकर मनुष्य को सत्य बोलना चाहिये या मौन रह जाना चाहिये । तो उस समय यह सोचना पड़ता है कि प्रिय सत्य बोलूं या फिर मौन ही रहूं । ऐसे समय म शास्त्रकारों के दो मत हैं कि "मौनात्सत्यं विशिष्यते" अगर तुममें हिम्मत है तो मौन को छोड़ो और सत्य बोलो । एक मत यह भी है कि "सत्यात् मौनं विशिष्यते" यानी यदि किसी मे ऐसी बात हो कि दुर्बल हो या भय हो, दबता हो और सत्य कहने की शक्ति न रखता हो तो मौन धारण कर ले और तीसरा यह भी है कि सभा में से उठकर चला जाय तो इसमें वह हर विपत्ति से भी बच जायगा । विदुर ने कहा है कि "सकारणं व्यपदेशं कुर्यात्" यदि तुममें हिम्मत नहीं है तो सभा से बहाना बनाकर चले जाओ । मैं आज सत्य का आश्रय लेने वाला हूं और कुछ कहना चाहता हूं ।

[श्री नरदेव शास्त्री]

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विभाजन का प्रश्न है वह आज का नहीं है बल्कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां थी तब का है। मेरा सम्बन्ध देहरादून से १९०७ से है। १९०५ मे बंगाल पार्टिशन का प्रश्न सामने आया और कहा गया कि यह एक सैटिल्ड फैक्ट है लेकिन पालिटिक्स में कोई सैटिल्ड फैक्ट नहीं हुआ करता है। फिर भी दिल्ली बनी और बंगाल प्रान्त जैसा था वैसा नहीं रहा। पालिटिक्स में सेटिल्ड फैक्ट नहीं होता है। शासकों की नीति भी भिन्न प्रकार की होती है जैसे एक गणिका की होती है। "वेश्य इवनव नृपनीतिरनेकरूपा" जैसे गणिका कभी नर्म, कभी गर्म कभी कटु और कभी प्रिय होती है उसी प्रकार शासन की दशा है। इसलिये राजनीति की बातों पर भरोसा रखना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि शासक इसमें सत्य की और धर्म की भी परवाह नहीं करते हैं। इसीलिये कहा है कि "न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते ये न वदन्ति सत्यम्" कहने का आशय यह है कि वह सभा सभा नहीं है जहां पर कोई वृद्ध न हो, यथार्थवाद का कहना जो ठीक न समझता हो वह धर्म नहीं है और वह सत्य नहीं है जो छल से भरा हुआ हो। इसलिये मैं राजनीति की बात छोड़ कर यह कहना चाहता हूं कि हम सोचा करते थे और यह अफवाह थी देहरादून वगैरह में कि यह जो नई दिल्ली बनी है, यह एक आगे चलकर प्रान्त बन जायगी जिसमें अम्बाला, देहरादून और मेरठ डिवीजन वगैरह इसके अधीन रहेंगे। इसलिए यह कहना कि आज ही कोई विभाजन-बवंडर आ गया यह बात नहीं है। यह न मालूम अंग्रेजों ने क्यों नहीं बनाया और यह क्यों नहीं हुआ। फिर गलती तो अपने आप करोगे और दोष दूसरों को दोगे? गलती अपने आप करेंगे और दूसरों को देशद्रोही कहेंगे? कमीशन को मुकर्रर करने के लिये कौन-सा प्रार्थना-पत्र गया था? आंध्र के लोगों ने जब आन्दोलन किया तो कैसे आपने आन्ध्र को १०, १५ दिन के अन्दर ही रामलू की मृत्यु के उपरान्त एक प्रदेश मान लिया? यह किसकी गलती है? जब ब्रिटिशों का शासन था तो आपने ही कहा था कि जब हमारा स्वराज्य हो जायगा तो हम प्रान्तीय भाषाओं के आधार पर प्रान्त बनायेंगे। फिर आपने आन्ध्र को पृथक् बनाकर लोगों में इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न की कि इस प्रकार होने से पृथक् राज्य बनेंगे। मैंने रिपोर्ट को पूरा-पूरा पढ़ा है। उसमें मैं कमीशन वालों की नीयत पर कोई बात नहीं कहूंगा और इस प्रकार की कोई बात कहना सभ्यता से विरुद्ध बात है। जैसे कि हमारे एक भाई ने कहा कि श्री पणिक्कर ने किसी प्रान्त के पेट में छुरा भोंक दिया, शायद राष्ट्र के पेट में छुरा भोंकने की बात कही थी। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात किसी विधान सभा के सदस्य के कहने लायक नहीं है। फिर हम यह देखते हैं कि कमीशन ने ऐसा कोई मापदण्ड नहीं रखा कि जिसके आधार पर यह प्रान्त बनाये गये हों। बात तो यह होना कि हम चार करोड़ की आबादी का प्रान्त बनायेंगे, या ६ करोड़ की आबादी के प्रान्त बनायेंगे। ऐसा होने से गवर्नर भी घट जाते और प्रान्तीय सभायें भी घट जातीं। लेकिन ऐसा कोई मापदण्ड निश्चित नहीं किया गया और पणिक्कर जी की जो बात है उसमें तो उन्हें जैसा भान हुआ वैसा उन्होंने कह दिया।

मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने विभाजन का पक्ष क्यों लिया। मैं दोनों तरफ के इतिहास को जानता हूं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक देश की सीमायें एक-सी रही हों, कम ज्यादा न हुई हों। मुझे आश्चर्य होता है कि जब आप विभाजन के नाम से डरते हैं। तुमको ऋण चाहिये, धन चाहिये और विभाजन से डरते हो, तो कैसे होगा? घर में विभाजन न हो तो सब नष्ट हो जायंगे। विभाजन तो अच्छी चीज है, उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? अधिकार बांटते हो तो विभाजन करते हो, घर में प्रबन्ध करते हो तो विभाजन करते हो, विभाजन से कैसे डरते हो? तो इसलिये इस प्रान्त की यह कोई नयी बात नहीं है। यह १६ जिलों की बात है। मैंने इसलिये हस्ताक्षर किये कि मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां ८० फीसदी गढ़वाली रहते हैं और जब पणिक्कर जी का डेपुटेशन वहां आया तो मैं उनके

साथ था। मेरी राय तो १६ जिलों की थी, लेकिन वहां के गढ़वाली जो थे वे चाहते थे कि हिमांचल प्रदेश से हमारे रीति-रिवाज मिलते हैं तो हमको उसके साथ मिलाया जाय। श्री हृदयनाथ कुंजरू ने उनसे कहा कि अगर तुम इस बात से असन्तुष्ट हो कि तुम्हारी ओर यू० पी० की सरकार अधिक ध्यान नहीं देती और तुम्हारे सुधार के लिये पूरा प्रयत्न नहीं करती तो हम यह सिफारिश कर देंगे कि यू० पी० की सरकार पहाड़ी प्रदेशों की ओर पूरा ध्यान दे। तो इस बात पर गढ़वालियों ने कहा कि हम तो यू० पी० में रहना ही नहीं चाहते। मैं देहरादून का प्रतिनिधि हूं और उत्तराखंड से मेरा सम्बन्ध है, गढ़वाल से भी मेरा सम्बन्ध है तो क्या कांग्रेस सरकार का सदस्य होने से मुझको वह नहीं बोलना चाहिये कि जो वहां के लोग चाहते हैं? वहां के लोगों की यह राय थी कि अगर हिमाँचल प्रदेश बनाकर देहरादून को राजधानी बना दिया जाय तो ठीक होगा। तो प्रजा की यह राय होने से मुझको यह लिखना पड़ा कि इसके विषय में वहां विभाजन होना चाहिये। मैंने संस्कृत पढ़ी है। मनुस्मृति में लिखा है कि आर्यावर्त जो था वह उत्तर में हिमांचल, दक्षिण में विन्ध्य, पूर्व और पश्चिम में समुद्र जहां तक था। लकिन आर्यावर्त कभी घट गया और कभी बढ़ गया। महाभाष्य में आया है कि अर्वली से लेकर बिहार के कालकवन तक यह देश आर्यावर्त बन गया था। वहां तक हमारा यह आर्यावर्त फैला हुआ था। इतना बड़ा था। बहुत से देशों का तो आज नक्शे में पता नहीं लगता है। इसलिये पालिटिक्स में यह कहना कि इस प्रकार से कोई कमी या ज्यादती नहीं हो सकती यह मेरी समझ में नहीं आता। जो लोग कहते हैं और नेता लोग उपदेश करते हैं कि हमारे देश के तीन शत्रु हैं। प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता और जातीयता। जब हमारी यू० पी० के नेता लोग बोलते हैं तो उसमें मुझे प्रान्तीयता की गन्ध आती है। क्योंकि यह नहीं कहते कि हम भी उसी के साथ हैं। महाराष्ट्र के बारे में एक भी यू० पी० वाले ने यह नहीं कहा कि बम्बई को महाराष्ट्र से क्यों अलग किया जाता है। किसी ने यह बात नहीं कही है। सब अपने-अपने फायदे की बात सोचते हैं। कोई नहीं कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। जब अपना मामला आता है तो कहा जाता है कि अन्याय हो रहा है। हमने १०, १५ आदमियों ने विभाजन की बात कही तो हरद्वार में एक शिविर लगाया गया और कापी बांटी गयी कि उत्तर प्रदेश अविभाज्य है। क्या यह बहुत बड़ी बगावत है, जिससे उत्तर प्रदेश नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। हमने अपनी राय को बतलाया जो कि शासन के असन्तोष से वहां पर प्रकट हुआ उसी को सरकार तक पहुंचाया। सत्य प्रकट करने के कारण हमको देशद्रोही कहा गया। क्या आपने हमसे ज्यादा संगठन किया है? क्या आपने हमसे ज्यादा जनता की सेवा की है और देश के लिये कष्ट उठाया है? जनता की भावना को देखकर हमने भी उस आवाज को ऊपर तक पहुंचाया तो फिर कौन सा ऐसा विरोध का काम किया। मैं पचास-पचपन वर्ष से उत्तर प्रदेश में रहा इसलिये यहीं का नागरिक हूं। मैं शोलापुर के पास एक गांव का रहने वाला हूं। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि प्रान्तीयता नहीं लाना चाहता।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री नरदेव शास्त्री—मैं तो अभी १०-५ वर्ष और जिन्दा रहूंगा।

श्री अध्यक्ष—मेरा मतलब आपके बोलने के समय से है। वैसे आप १०, २० वर्ष, भगवान् करे, जीवित रहें।

श्री नरदेव शास्त्री—जो संशोधन मेरे नाम पर था उसकी वजह से मुझको १०,१५ मिनट और ज्यादा मिलने चाहिये। इतनी रियायत तो हमको मिलनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजा वीरेन्द्रशाह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सरदार पणिक्कर के इस नोट का विरोध

[श्री रामसहाय शर्मा]

करता हूं जो कि उन्होंने अपनी राय दी है कि यह उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और इसका विभाजन हो जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश के बड़ा होने के अतिरिक्त उसके लिये मैं यह सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मध्य भारत के चार जिले भिन्ड, ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी शामिल हों और बुन्देलखंड के चार जिले दतिया, टीकमगढ़ छत्तरपुर और पन्ना शामिल किये जायं।

इनको शामिल करने के लिये मेरे कुछ तर्क हैं। आपको याद होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बुन्देलखंड है जिसके दो टुकड़े हैं। एक टुकड़ा उत्तर प्रदेश के साथ है और दूसरा टुकड़ा विन्ध्य प्रदेश के साथ है। यह एक ऐसा अवसर है जब कि हिन्दोस्तान में बहुत समय के लिये सीमा निर्धारण का काम हो रहा है। इस समय यह आवश्यक है कि बुन्देलखंड के जो दो टुकड़े अलग-अलग पड़े हुए हैं उनको एक ही प्रान्त में शामिल किया जाय। अब प्रश्न यह होता है कि इन चार जिलों को उधर कर दिया जाय या उन चार जिलों को इस प्रान्त में शामिल कर दिया जाय। यह बात कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, कोई पाप या अभिशाप की बात नहीं है। हमें यह देखना है कि वहां की जनता क्या चाहती है और उसका लाभ किस प्रकार से हो सकता है। मान लीजिये कि लखनऊ की तरफ से यह आवाज उठाई जाय कि बुन्देलखंड के लोग गरीब हैं, उनके ऊपर अधिक रुपया खर्च होता है, हम उनसे उकता गये हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और न यह बात है कि बुन्देलखंड के लोग कहते हैं कि लखनऊ से हमारी ओर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है। जब दोनों ओर से आवाज नहीं उठती है तो फिर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। हमारे उत्तरीय जिलों के प्रतिनिधियों की यह बड़ी उदारता है कि वह पिछड़े हुए इलाके को छोड़ना नहीं चाहते हैं हालांकि उनको उस पर ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर वे उनको उतना ज्यादा रुपया न दें तो वह अपने क्षेत्र का ज्यादा कल्याण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़े हुए भाइयों की ओर से भी आवाज नहीं लगायी जाती कि हमारे साथियों द्वारा हमारे साथ अन्याय किया जाता है। पणिक्कर जी का 'नोट आफ डिसेंट' तो ऐसा है जैसा कि महमूद गजनवी ने कहा था, जब उससे कहा गया था कि तुम्हारे राज्य में बड़ा अंधेर है तो उसने कहा था कि मेरा राज्य ही इतना बड़ा है कि उसका ठीक प्रकार से प्रबंध नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां प्रश्न प्रबंध के गड़बड़ होने का नहीं है, केवल राज्य के बड़े होने का है। आप जानते हैं कि जिला झांसी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ा हुआ है लेकिन उसके पास के पन्ना, छत्तरपुर, दतिया और टीकमगढ़ आदि भी चाहते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय, लेकिन केवल यह कहना कि यह बड़ा है इसके ऊपर यह बड़ा भारी लांछन है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने झांसी का तथा बुन्देलखण्ड का जोकि उसके बिलकुल दक्षिण में है उसके लिये इतना अच्छा प्रबन्ध किया है कि सपरार, ललितपुर, अर्जुन, कबरई और माताटीला आदि बांध उधर की ओर बनाये हैं। माताटीला बांध पर ही ३ करोड़ ८७ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है, ८ करोड़ रुपया बिजली के लिये खर्च किया जा रहा है। सरकार ने और पश्चिम और पूर्व के एम० एल० एज० ने वहां के लोगों का बहुत ध्यान रक्खा है इसलिये वहां के नागरिकों की ओर से मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के शेष चार जिले जो आज विन्ध्य प्रदेश के भाग कहे जाते हैं उनको उत्तर प्रदेश में मिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय। आज वह समय है जब कि हिन्दोस्तान की सीमायें हमेशा के लिये बनायी जा रही हैं उस समय ऐसी गलती न की जाय कि उनको जबलपुर या भोपाल की राजधानी में ले जाया जाय। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि झांसी में ऐसी भी सड़कें हैं, जैसे मऊ रानीपुर से झांसी की सड़क, कि जिसमें चार-चार फर्लांग तक विन्ध्य प्रदेश की सड़क आ जाती है। इधर के लोगों की मोटरें गिरफ्तार हो जाती हैं, सवारियां पकड़ ली जाती हैं। इसी प्रकार की अड़चनें और सड़कों पर भी आती हैं। अतः मेरा कहना यह है कि जो झगड़े अभी होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाय।

सरदार पणिक्कर जी के नोट में जो यह बात कही गयी है कि यह प्रान्त बहुत बड़ा है इसलिये इसको बांट दिया जाय, यह बड़े शर्म की बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर यह प्रान्त बड़ा है तो इसने कौन सी ऐसी गलती की है जिससे इसके बड़प्पन में फर्क आया हो। उनका कहना है कि ८६ मेम्बर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय पंडित जवाहर लाल जी को जो कि मास्को में १५ लाख आदमियों के बीच में खड़े हुए और वहां उनका आदर हुआ तो क्या इस कारण से कि वह इस प्रदेश के थे। यह ८६ मेम्बरों वाला प्रदेश हमेशा से एक महान् प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश की यह परम्परा रही है कि यहां भगवान् राम पैदा हुए, भगवान् कृष्ण पैदा हुए और आज भी हमारे इस प्रान्त को पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा पंडित पंत जैसे विद्वान् पैदा करने का श्रेय प्राप्त है। बड़े प्रान्तों में केवल यही प्रांत ऐसा है, छोटे-छोटे प्रान्तों को देखें तो मालूम होगा कि देश के स्वतंत्र होने के बाद वहां जितने मंत्रिमंडल बने वहां अविश्वास के प्रस्ताव आये लेकिन केवल उत्तर प्रदेश को ही सौभाग्य प्राप्त है कि इतना बड़ा होने पर इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। यह इस बात को साबित करता है कि बड़ा प्रान्त होने पर भी हम यहां का शासन बहुत उत्तमता के साथ कर सकते हैं। मैं आपके सामने यह बात भी रखना चाहता हूं कि इस दृष्टि से भी इन ८ जिलों को उत्तर प्रदेश में शामिल करना जरूरी है कि श्री पणिक्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ग्वालियर से उज्जैन-इन्दौर को कोई सीधी रलवे लाइन नहीं है, इसलिये रलवे लाइन बनेगी लेकिन यहां तो रेलवे लाइन पहले से ही बनी-बनायी है। मेरा सुझाव है कि ग्वालियर से झांसी तक का क्षेत्र तथा दतिया, टीकमगढ़ आदि जिलों को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। जहां श्री पणिक्कर ने उत्तर प्रदेश के बड़ा होने की बात कही है वहीं पर उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी बहुत बड़े क्षेत्र-फल का मध्य प्रदेश बना कर तैयार किया है। तो क्या वजह है कि जब एक ओर तो आप यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और दूसरी ओर एक बहुत बड़ा प्रान्त बनाने को तैयार हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का जितना बड़ा भाग है उसमें से कम से कम चार जिले उत्तर प्रदेश में अवश्य सम्मिलित होने चाहिये।

मैं एक बात और आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि अगर मध्य भारत के चार जिले उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिये जायं तो उसको जमीन ज्यादा मिल जायगी, वहां की आबादी कम हैं। अगर जमीन ज्यादा होगी तो उत्तर प्रदेश के ऊपर जो अधिक भार है वह कम हो सकेगा और हरिजन भाइयों को, जिनके पास जमीन बहुत कम है, वहां बसाने का एक अवसर प्राप्त होगा। अगर वहां की आबादी कम है और भूमि ज्यादा है तो ऐसे क्षेत्र को अपने में शामिल कर लेने से हमको भूमि अधिक मिल सकेगी। वहां पर बहुत सी जमीनें जो बेकार पड़ी हुई हैं, लोगों को भूमिदान का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा चार जिले बुन्देलखंड के, जो टीकमगढ़, दतिया, पन्ना और छतरपुर, हैं वहां पर खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थ बहुत कम हैं। खास कर इन दो जिलों में पन्ना तथा छतरपुर में हीरा, सोना, चांदी, लोहा आदि तमाम चीजें अधिकता से पायी जाती हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश को बड़ा भारी फायदा होगा। इन जिलों के मिल जाने से यहां के कला-कौशल को बढ़ाने के लिये हमें लोगों को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा एक बात मैं यह भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस इलाके को कुछ लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं, मैंने माना कि आर्थिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश की रौनक भी इसी इलाके से है। यह वह इलाका है जहां गोस्वामी तुलसीदास तथा केशव जैसे कवि हुए हैं जिन्होंने हिन्दी के मस्तक को ऊंचा किया है। आर्थिक दृष्टि से वे भले ही नीचे हों लेकिन जिस भाषा की बिना पर आप प्रान्तों का निर्माण करने जा रहे हैं उस भाषा को ऊपर उठाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास तथा केशव जैसे कवियों को ही रहा है। आज भी हमारे कवि सम्राट्, श्री मैथिलीशरण गुप्त इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हिन्दी के सर वाल्टर स्काट और ऐतिहासिक उपन्यासकार श्री वृन्दावन लाल वर्मा उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसलिये हमको चाहिये कि इस क्षेत्र के कवियों से पूरा लाभ उठावें। वहां के

[श्री रामसहाय शर्मा]

रहने वाले गंगा के पानी से भी अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। बेतवा, घसान, केन और सोन का पानी जहां तक बहता है, वहां के रहने वालों का कहना है कि हमारा सम्बन्ध गंगा और यमुना क्षेत्र के रहने वालों से हो। अगर इस इलाके को हम अपने में शामिल न करके अलहदा कर दें तो यह उस इलाके के लिये बड़ी बदकिस्मती और दुर्भाग्य की बात होगी। इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पश्चिमी जिले की जनता ने भी इस बात की मांग की है कि हम लोगों का सम्बन्ध इस प्रान्त से बना रहे। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पश्चिमी जिले के ही रहने वाले हैं उन्होंने इस बात को बतलाया है कि वे जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहां की जनता ने इस बात को माना है कि पच्छिमी जिले भी इस प्रदेश के भाग रहें। मैं थोड़ा सा पिछले दिनों का अनुभव भी आप की सेवा में रखूंगा और वह यह कि अभी विन्ध्य प्रदेश में टीकमगढ़ का कुछ भाग मिलाया गया था और उसमें झांसी के कुछ गांव भी शामिल करने की बात थी और वहां के ३ गांव शामिल किये गये थे और इतने पर ही वहां के हजारों आदमियों ने इस बात की दरख्वास्त दी थी कि उनको इसी प्रदेश में रहने दिया जाय। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस प्रदेश से किसी भाग को भी अलग किया गया तो वहां के लाखों और करोड़ों लोगों की बुलन्द आवाज उठेगी और उसको दबाना आपके लिए मुश्किल हो जायगा। आज प्रान्त की जनता का एक-एक आदमी इस बात के लिए कटिबद्ध है और अपना गौरव समझता है कि सारा प्रान्त अविभाज्य रहे। आज यह प्रदेश अपने शासकों, कवियों और विद्वानों पर फख्र करता है और यह प्रदेश पूर्ण देश को नहीं बल्कि सारे संसार को सन्देश दे रहा है कि हमारे प्रान्त की जनता ने महान् विद्वानों को पैदा किया है और जिन पर वह ही गर्व करता है। हमारा प्रान्त बहुत बड़ा और एक आदर्श प्रान्त रहा है और बड़ा होने के नाते आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसके कारण से कोई कह सके कि बड़ा होने के कारण किसी बात में भी दुरुपयोग यहां के लोगों ने किया है। हां, एक बात अवश्य है कि पंडित जवाहर लाल की वजह से और पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त की वजह से उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ऊंचा उठा है लेकिन यह कोई इस समय की ही बड़ी बात नहीं है, वरन् राम, कृष्ण के समय से ही उत्तर प्रदेश देश का मुकुटमणि रहा है और आज भी यहीं के पं० जवाहर लाल नेहरू सरीखे शासक मौजूद हैं। इसलिए किसी तरह से भी ऐसी कल्पना करना कि आगे हमारा पतन होने वाला है उचित न होगा। इसकी कल्पना करना मैं समझता हूं हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। मैं इस पर गर्व करता हूं कि इसी प्रदेश ने नेता पैदा किये हैं और आगे भी जवाहर लाल नेहरू से भी बड़े विद्वान् यहां पैदा होते रहेंगे और कवि और बड़े वीर पुरुष यहां पैदा हुए हैं और होंगे। इसलिए भविष्य के लिए भी ऐसी आशा करनी चाहिए कि हमारे यहां ऐसे ही योग्य शासक पैदा होते रहेंगे जो कि प्रान्त का शासन सम्भाल सकेंगे और प्रान्त की हर दिशा में उन्नति कर सकेंगे। हमारे लिए यह कोई स्वप्न की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं राजा वीरेन्द्र शाह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं कि मध्य भारत के चार जिलों और विंध्य प्रदेश के चार जिलों को यू० पी० में मिला दिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सदन के सम्मुख काफी भाषण हुए और विभाजन के समर्थन में तरह-तरह के कारण यहां रखे गये। सरदार पणिक्कर का नाम भी लिया गया, उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी भी दोहाई दी गई, लेकिन यह साफ है कि सरदार पणिक्कर ने जिस लक्ष्य को सामने रख कर अपना मत रखा है उसको न तो मेरे मित्र चौधरी श्रीचन्द समझे और न कुछ और वक्ता समझे, सरदार पणिक्कर ने केवल एक दृष्टिकोण को सामने रख कर उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिये अपनी राय दी और वह लक्ष्य यह था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और इसका बड़ा होना राष्ट्र के हित में नहीं है और अगर इसके दो टुकड़े नहीं किये गये और यह छोटा नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश राष्ट्र की एकता में, राष्ट्रीयता में बाधक हो जायगा। उसके साथ-साथ उन्होंने फिर अपनी

वजूहात पेश कीं । अगर उसको गौर से पढ़ा जाय तो उन्होंने अपनी जो वजूहात पेश की है उसमें भी वे काफी उलझन में आ गये हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहाड़ी इलाका और गंगा और जमुना की वादी का इलाका मिलाकर बनता है और जिनमें आपस में कोई मुआफिकत नहीं है लेकिन उन्होंने जो तजवीज सामने रखी है उसमें पहाड़ी इलकों और मैदानी इलाकों को मिलाया है। अगर उन्हीं की वजूहात को मान लिया जाय तो ऐसा सूबा बन जाता जिसमें पहाड़ी इलाके एक तरफ होते और मैदानी इलाके एक तरफ होते लेकिन उन्होंने साफ कहा है और जो तजवीज सामने रखते हैं वह सिर्फ एक दृष्टिकोण की तहता में है और वह यह है कि उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा रहने से खतरा है। उन्होंने कहा कि संसद् के अन्दर ४९९ सदस्यों में से ८६ उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और कौंसिल आफ स्टेट्स में उत्तर प्रदेश के २१६ में से ३१ हैं और इस तरह से उत्तर प्रदेश की आवाज बड़ी भारी हो जाती है और वह भारी आवाज खतरे से खाली नहीं है। मैं श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा कि इस तर्क के पीछे अगर कोई सत्यता है, कोई वास्तविकता है तो वह जाहिर नहीं होती। श्री पणिक्कर ने जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में और सूबों की तजवीजों पर दस्तखत किये हैं सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी राय अलग दी है। अगर वह कहते कि तीन-चार करोड़ की ही आबादी का सूबा रहना चाहिये या दो-तीन करोड़ के बीच की आबादी का सूबा रहना चाहिये या इतने रकबे का सूबा रहना चाहिये तो जाहिर है कि ६ या सवा ६ करोड़ का सूबा वजनी होता है और उसको काट दिया जाय तब उनके कहने में शायद कुछ तत्व होता, लेकिन स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें सरदार पणिक्कर के दस्तखत हैं उसमें आपको कहीं ४० लाख का सूबा, कहीं ७० लाख का सूबा, कहीं एक करोड़ का सूबा, कहीं सवा करोड़ का सूबा मिलेगा और बम्बई और संयुक्त गुजरात और महाराष्ट्र की जो तजवीज उन्होंने की थी वह तो चार करोड़ से ऊपर जाती थी। तो किस तरह से वह यह कहते हैं कि ४ करोड़ का तो ठीक है और ४ करोड़ से ऊपर हो गया तो वह भारत की एकता में, भारत की राष्ट्रीयता में खलल पैदा करेगा, यह श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता। जहां तक रकबे को देखा जाय तो जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मध्यभारत का जो नक्शा स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने सामने रखा, राजस्थान और बम्बई का जो नक्शा सामने रखा वह हमारे सूबे के रकबे से कहीं ज्यादा है। उस वक्त सरदार पणिक्कर को ख्याल नहीं आया कि इतने बड़े ये सूबे हैं जिनका रकबा बहुत ज्यादा है कि वे राष्ट्रीयता के हित में बाधक बन जायेंगे। हमारे सूबे की आबादी ६ करोड़ से ज्यादा है लेकिन महज आबादी की बुनियाद पर यह समझना कि यह देश की राष्ट्रीयता में बाधक हो रहा है यह मुनासिब नहीं है। आज पार्लियामेंट में जो सदस्य जाते हैं वे एक सिद्धांत पर जाते हैं। आबादी के अनुपात से जाते हैं। अगर सूबे के दो टुकड़े कर दिये जायेंगे तो जितना सूबे का विस्तार होगा उसी के अनुपात से उतने आदमी जायेंगे चाहे किसी नाम से भेजे। कहीं इसकी आवाज उठ सकती है तो शायद कांग्रेस वालों में और कांग्रेस के अन्दर उठ सकती थी कि यू० पी० की आवाज भारी है लेकिन पार्लियामेंट में या केंद्र में कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता, वहां आवाज उठती है तो पार्टी के नाते। अगर आज सूबे के दो की जगह तीन टुकड़े कर दिये जायं और कांग्रेस मजबूत है तो उन तीनों टुकड़ों के कांग्रेस के सदस्यों की एक ही आवाज उठेगी। केन्द्र में यू० पी० की आवाज ज्यादा उठती है इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है।

यह जो मेरे मित्र श्रीचन्द्र जी ने कहा कि वह यू० पी० के टुकड़े इसलिये करना चाहते हैं कि आज केंद्रीय सरकार यू० पी० के साथ नाइंसाफी करती है। सरदार पणिक्कर कहते हैं कि यू० पी० का वजन ज्यादा है और श्रीचन्द्र जी कहते हैं कि यू० पी० में तादाद और रकबे के अधिक होते हुये भी यू० पी० को जो मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। मैं श्रीमन्, खुद तजुर्बे से कहता हूं कि प्रयाग प्रधान मंत्री का घर है लेकिन प्रयाग के साथ केंद्र क्या करता है। भारत के प्रधान मंत्री हमारे यहां के हैं मगर सूबे के फायदे का हिसाब देखा जाय तो सूबा शायद घाटे में रहता है। यह जाहिर है कि पिछले १०० वर्षों से इस सूबे

[श्री शिवनाथ काटजू]

जो नक्शा हमारे सामने रहा है उसमें पहाड़ी और मैदानी सब इलाके सम्मिलित हैं। बटवारे के लिये जो तर्क दिय गये हैं उसमें कहा गया है कि यहां के लोगों की आदतें और खसलतें जुदा-जुदा हैं। साइज बहुत बड़ा है, जिससे यहां का शासन ठीक नहीं चलता है और पश्चिमी जिलों की तरफ माकूल तवज्जह नहीं दी जाती। ये सब बातें रक्खी गईं। मेजारिटी रिपोर्ट ने सबको सामने रखते हुये यह कहा कि जितनी वजूहात रक्खी गईं वे सब बेबुनियाद हैं। यह कहना कि पश्चिमी जिलों के साथ अन्याय होता है इसके जवाब में माननीय मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमी जिलों में कितना रुपया लगा बिजली और उद्योग के संबंध में, उसको देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि इन जिलों की तरफ तवज्जह नहीं दी गई। लेकिन साथ-साथ मैं श्रीमन् यह कहूंगा कि मैं उस जिले का हूं जो न पश्चिम में है और न पूर्व में, बीच में है और दोनों में वह जिला पिसता है। प्रयाग के प्रतिनिधि के नाते, सूबे के नागरिक के नाते मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है कि अगर आज बुन्देलखंड में जरूरत हो तो उस पर खर्च किया जाय और अगर पूर्वी जिलों में बाढ़ आ जाय तो उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। अगर यह लक्ष्य लिया जाय कि हमारा रुपया हमारे जिले में लगे तो मैं कहूंगा कि दक्षिण का रहने वाला जो सैनिक है वह आपके लिये सर क्यों कटाये और जो यहां का रहने वाला है अगर आसाम के ऊपर हमला हो तो वह वहां क्यों सर कटाये। अगर इस प्रकार की संकुचित भावना चले तो हमारा देश कितने दिनों तक समृद्धिशाली रह सकता है। श्रीचन्द्र जी ने जितने तर्क पेश किये उन पर मैं आश्चर्य के साथ सोच रहा हूं। अगर जिन्ना मरहूम होते तो शायद वे भी इस पर आश्चर्य करते। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जिले के रहने वाले और पूर्वी जिले के रहने वाले खान-पान, रहन-सहन, बोली और भाषा में बिल्कुल अलग हैं। जब से यह नया सदन बना है मेरा सौभाग्य है कि श्रीचन्द्र जी के साथ बैठता हूं। मैंने तो महसूस नहीं किया कि श्रीचन्द्र जी और मुझ में भाषा या रहन-सहन के ख्याल से कुछ अन्तर है। खान-पान में हां कुछ फर्क ही हो, मैं मांसाहारी हूं और वे शायद शाकाहारी हों। इससे यह कहना कि मैं अलग हूं और वे अलग हैं यह मेरी समझ में नहीं आता।

मैं श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि ख्वाजा अतहर साहब ने एक नई चीज पैदा कर दी। अब तक सुनते थे हिन्दी, उड़िया और बंगला इत्यादि अलग-अलग भाषायें हैं लेकिन अब उन्होंने ब्रजभाषा, अवधी का जिक्र किया कि इसके हिसाब से यहां पर विभाजन होना चाहिये, सुरसेनी वे भूल गए थे। मेरे सामने झारखंडे राय जी ने भोजपुरी भी शुरू कर दी। अगर यह सब इस देश में चलने लगा तो श्रीमन्, भविष्य में क्या होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। ख्वाजा साहब ने ब्रजभाषा के प्रति इतना प्रेम प्रगट किया कि मैं सोच रहा था कि कम से कम उनकी बोली से नहीं मालूम हो रहा था कि ब्रजभाषा का उनको कितना ज्ञान है। लेकिन उन्होंने ब्रजभाषा के प्रति अपना प्रेम और भावनायें बहुत जोरदार शब्दों में प्रगट कीं। बहुत सारी बातों को तो मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन हमारा सूबा पिछले १०० वर्षों से अपना एक स्थान रखता है और हम दावे से यह कह सकते हैं कि इस प्रांत में प्रांतीयता नहीं है। हमारे यहां का दृष्टिकोण है, वह है भारतीयता। हमारे यहां का कोई नाम नहीं है, बंगाल को बंगाली, पंजाब को पंजाबी, गुजरात को गुजराती अपनाते हैं परन्तु हमारे सूबे का कोई नाम नहीं। अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्राविंसेज कहा। फिर उत्तर प्रदेश बन गया। पहले शायद आर्यावर्त था। लेकिन यह एक एसा टुकड़ा है जिसमें भारतीयता भरी हुई है और सौ वर्ष से एक ही सूत्र में पिरो दिया गया है। अगर कोई माकूल वजह होती तो कह सकते थे कि इसके टुकड़े किये जायं। सरदार पणिक्कर ने कहा कि यहां शिक्षा का अभाव है। सरदार पणिक्कर उनका मुकाबला दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली बड़ा शहर है। नगर होने के नाते वहां की शिक्षा पर ज्यादा रुपया सर्फ होता है। वहां के देहात के रकबे में और दिल्ली के शहरी रकबे में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। फिर हमारा सूबा गरीब सूबा है। हमारे यहां अगर शक्कर की मिलें नहीं होतीं तो जो आज हम कर सकते हैं वह भी नहीं कर सकते थे। कानपुर के अन्दर कुछ थोड़ से टैक्सटाइल

और चमड़े का कारबार था और उसके अलावा सिवा इसके कि कृषि की चीजें थीं और कुछ नहीं था। शक्कर की मिलों की वजह से कुछ हम थोड़ा सा पनपे हैं। लेकिन इतने बड़े प्रांत को साथ लेकर और इस शासन को एक सूत्र में बांध कर एकीकरण से हमने बहुत कुछ कर लिया है। अगर आज बिल्कुल बिला वजह किसी माकूल दलील के बगैर इसका विभाजन किया जाता है या सोचा जाता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कम स कम जनता इसके माफिक नहीं है। अब लोग अपने-अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और आजकल तो यह एक रवैया हो गया है कि खुद जो कहते हैं, उसको कहते हैं कि जनता की आवाज है। मैं यह यकीन दिलाता हूं कि जनता की आवाज यह साफ कहेगी कि यू० पी० के टुकड़े न किये जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय बालेंदुशाह जी कल बोलेंगे।

मैं एक सूचना दे दूं। मेरे पास कई एक संशोधन आये हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जितने संशोधन आये हैं उनके अनुसार और इस प्रस्ताव के अनुसार यू० पी० की क्या शक्ल होगी। तो मैं यह समझता हूं कि इन संशोधनों के अनुसार जो शक्ल उत्तर प्रदेश की हो सकती है उसके नक्शे बनाकर छोटे-छोटे, लाबी में टंगवा दूं हर एक के संशोधन के अनुसार, जिससे समझने में आसानी हो। तो वह मैं कल टंगवा दूंगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ नवम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९ पर)

गत बारह महीनों में गाजीपुर जिले की भिन्न-भिन्न तहसीलों में बनाये गये तथा बनाये जाने वाले नलकूपों की सूची

तहसील का नाम	बनाये गये नलकूप की संख्या	स्थान का नाम
गाजीपुर ..	१२	१—खोतरी २—ससुड़ी ३—चक दाउद ४—तिलाड़ी ५—कस्तुआ ६—गाइ ७—मरदह ८—सिगेरा ९—गाजीपुर केन्ट नं० १ १०—गाजीपुर केन्ट नं० २ ११—बीकापुर १२—तलवल ।
सैदपुर ..	१	बूढ़नपुर
मोहम्मदाबाद यूसुफपुर	१३	१—बांका २—दौलताबाद ३—डिहवा नं० १ ४—डिहवा नं० २ ५—अलावलपुर ६—रसूलपुर ७—उबधो ८—भेख ९—लोकनाथ पाह १०—बहोरन पाह ११—दिलेवरपुर १२—शेरपुर १३—ग्राम घाट

४८ प्रस्तावित नलकूपों का विवरण इस प्रकार है :

तहसील का नाम	प्रस्तावित नलकूपों की संख्या	
सैदपुर ..	२७	इन नलकूपों के स्थान अभी निश्चित नहीं हुए हैं ।
गाजीपुर ..	७	
मुहम्मदाबाद ..	१४	
योग ..	४८	

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३६ एल० ए०—१९५६—७९६ ।